



वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एनएएससी काम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110 012

www.plantauthority.gov.in



वार्षिक प्रतिवेदन

2011-12



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एनएएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली 110012

www.plantauthority.gov.in

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
आमुख	i
आभार ज्ञापन	ii
विशेष सारांश	iii
1. पृष्ठ भूमि	1
2. पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति	4
3. कृषक अधिकारों से संबंधित क्रियाकलाप	27
4. फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	32
5. भारतीय पौधा किस्म जरनल, राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर एवं प्रकाशन	41
6. डेटाबेसों, इंडस, और वेबसाइट का विकास	43
7. विधायी कोष्ठ और सूचना का अधिकार	45
8. प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम	47
9. पीपीवी और एफआर प्राधिकरण से संबंधित साधारण गतिविधियां / क्रियाकलाप	55
10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	60
11. वर्ष 2011–12 के लिये प्राधिकरण के वित्तीय विवरण (तुलनात्मक पत्र, आय एवं व्यय का लेखा तथा प्राप्तियां एवं अदायगिया)	61
12. नागरिक आचार संहिता	66

अनुबंध

I.	पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सदस्य	68
II.	कार्यक्रम, नियोजन एवं नीति समिति	69
III.	प्राधिकरण के स्वीकृत पद	70
IV.	प्राधिकरण के मानव संसाधनों का विवरण एवं संगठनात्मक ढांचा	71
V.	प्राधिकरण द्वारा डीयूएस केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता	73
VI.	दिशानिर्देश विकसित करने के लिए परियोजनाओं को प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गयी वित्तीय सहायता	75
VII.	विशेष परीक्षणों, कृषकों से संबंधित परियोजनाओं तथा फील्ड जीन बैंकों के लिए उत्तरदायी संस्थानों को वित्तीय सहायता	77
VIII.	प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संगठनों को जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु दी गई निधि संबंधी सहायता	78
IX.	प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की सूची	80
X.	संक्षिप्तियां	88





डा. पी. एल. गौतम
अध्यक्ष
पौधा किस्म और
कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण



आमुख

मुझे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पी.पी.वी. और एफ.आर.ए), नई दिल्ली की वर्ष 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। भारत पौधा किस्मों और कृषक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 को सबसे पहले लागू व कार्यान्वित करने वाले देशों में से एक है। इस अधिनियम से किसानों/कृषक समुदाय की आकांक्षाएं पूरी होती हैं और विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से जुड़े व्यापार संबंधी पहलुओं पर हुए समझौते के प्रावधान पूरे होते हैं।

भारत सरकार ने नवम्बर 2005 में इस अधिनियम के प्रवधानों के अंतर्गत पी.पी.वी. एवं एफ.आर.ए की स्थापना की। प्राधिकरण ने अपने उददश्यों को पूरा करने के लिए पौधा किस्मों की विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा, पौधा किस्मों के पंजीकरण, राष्ट्रीय जीन बैंक, फील्ड जीन बैंकों, डेटाबेसों, डीयूएस परीक्षण केन्द्रों, भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित करने जैसी वांछित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सम्पन्न किया है। इसने 57 अधिसूचित फसल प्रजातियों की किस्मों के पंजीकरण कार्य को बहुत विस्तार दिया है।

प्राधिकरण ने 'पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार' का शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत कृषि हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में जैव-विविधता के संरक्षण में कृषक समुदायों के भूत, वर्तमान और भावी योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपये नकद और एक उद्घरण पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और पौधों के सुधार में जुटे व्यक्तिगत किसानों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के लिए प्रक्रियाएं व दिशानिर्देश स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राधिकरण प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, प्रकाशनों आदि के माध्यम से विभिन्न पण्डारियों के बीच अधिनियम के बारे में चेतना जगाने और क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रमों को सम्पन्न करने का कार्य भी कर रहा है। यह डीयूएस केन्द्रों, फील्ड जीन बैंकों तथा परियोजनाओं के निष्पादन की निरंतर निगरानी करता है। प्राधिकरण पूसा परिसर नई दिल्ली में अपने स्वतंत्र कारपोरेट कार्यालय व आवासीय परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं।

मुझे प्राधिकरण की वृद्धि व विकास में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार द्वारा कराए गए मार्गदर्शन व दिशानिर्देश का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता व गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार तथा राज्य मंत्रियों श्री हरीश रावत तथा डॉ. चरण दास महांत द्वारा प्राधिकरण के प्रति दिखाई गई रुचि तथा उनके मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं श्री आशीष बहुगुणा, सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग और उनके पश्चात् इस विभाग के सचिव श्री पी.के.बसु; डॉ. एस.अय्यरप्पन, सचिव, डेयर तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रति प्राधिकरण को वांछित सहायता प्रदान करने हेतु आभार व्यक्त करता हूं। मैं कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ-साथ कृषि एवं सहकारिता विभाग के बीज प्रभाग व डीयूएस/परियोजना/विशेष परीक्षण केन्द्रों के अधिकारियों व वैज्ञानिकों को उनकी सहायता के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मैं विभिन्न समितियों और कार्य दलों के अन्य अधिकारियों का प्राधिकरण के सदस्यों के समर्पणपूर्ण योगदानों तथा उनकी समर्पित सेवाओं व मार्गदर्शन के लिए साधुवाद देता हूं।

मैं इस वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने में प्रभावी समंयन के लिए प्राधिकरण के अपने साथियों की भी सराहना करता हूं।

(पी.एल. गौतम)



आभार ज्ञापन

मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. पी.एल.गौत्तम का वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने व उसे अंतिम रूप देने में प्रदान की गई निरंतर, प्रेरणा, प्रोत्साहन व वृहत् विचारों के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं इस मूल्यवान दस्तावेज के संकलन, डिजाइन तैयार करने व रूपरेखा तैयार करने में श्री डी.एस.मिश्र और श्री दीपल रॉय चौधरी संयुक्त पंजीकारों के प्रयासों की सराहना करता हूं।

डॉ. मनोज श्रीवास्तव, डॉ. तेजबीर सिंह, डॉ. रवि प्रकाश, पंजिकारों ने इस रिपोर्ट को संकलित करने, सम्पादन करने और अंतिम रूप देने में जो प्रशंसनीय सहायता की है उसके लिए आभार ज्ञापित करता हूं।

मैं श्री उमाकांत दुबे, उपपंजीकार; श्री डी.एस.राजगणेश और श्री आर.आर.प्रधान, विधि सलाहकार; डॉ. ए.के.सिंह, वारिष्ठ तकनीकी अधिकारी; डॉ डी.एस.पिलानिया, तकनीकी सहायक; डॉ. ए.सी.शर्मा (उपपंजीकार, गुवाहाटी); डॉ. मनोज कुमार (उपपंजीकार, रांची);

डॉ. एस.पी.यादव (पी.वी.ई. – रांची); डॉ. अमित (पी.वी.ई. – गुवाहाटी); श्री बेर्टीइ एलेक्जेंडर व प्राधिकरण के अन्य स्टाफ के महत्वपूर्ण योगदानों और सुझावों की सराहना करता हूं। मैं श्री जे.पी.सिंह, वित्तीय सलाहाकार, श्री टी. डी. तिवारी, श्री सोढ़ी सिंह और श्री रोशन लाल, परामर्शकों को उनकी बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। श्री सुनील, सुश्री भावना और सुश्री ललिता से प्राप्त सहायता का भी मैं आभार के साथ ज्ञापन करता हूं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों पर स्थापित डीयूएस केन्द्रों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के बीच जो साझेदारी बनी है वह भी अत्यंत सराहनीय है।

(आर.सी. अग्रवाल)
महापंजीकार



विशिष्ट सारांश

भारत सरकार ने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने और पौधा किस्मों, कृषकों व पादप प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से 2001 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एवं एफआर) अधिनियम की स्थापना की थी। इस अधिनियम में प्रजनकों, अनुसंधानकर्ताओं और कृषकों के सम्बद्ध अधिकारों को मान्यता दी गई है। इस प्रकार, यह अनूठा है और यह अधिनियम स्यू जेनेरिस प्रणाली का अनुपालन करता है। इस अधिनियम के उद्देश्य से 11 नवम्बर 2005 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की नई दिल्ली में स्थापना की गई। इस प्राधिकरण ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रणाली तथा प्रक्रियाओं को विकसित किया।

अब तक 57 फसल प्रजातियां पंजीकरण हेतु अधिसूचित की गई हैं। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान भारत सरकार ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसाओं पर अनाजों, रोपण फसलों, औषधीय व सगंधीय पौधों और पुष्पों की 12 और फसल प्रजातियों को पंजीकरण में शामिल किया है। ट्रिटिकम डाइकोकम एल., ट्रिटिकम ड्यूरम डेरेफ तथा गेहूं की अन्य प्रजातियों, नारियल, सदाबहार, ब्रह्मी, दमस्क गुलाब, ईसबगोल, पुदीना, कैम्बिडियम, जीवंती और रसना के विशिष्टता, एकरूपता व स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए। इससे कृषि के विकास में योगदान तथा कृषि के विविधीकरण हेतु पौधा किस्मों की कानूनी सुरक्षा के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण व सुरक्षा हेतु 1247 आवेदन प्राप्त किए गए। ये आवेदन तीन श्रेणियों में थे, नामतः नई—149, विद्यमान—177 और कृषक किस्म—921। नई और विद्यमान श्रेणी में 197 किस्में निजी क्षेत्र से और 129 किस्में सार्वजनिक क्षेत्र से उपलब्ध कराई गई। पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों में शामिल थे गेहूं चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, गन्ना, अरहर, राजमा, सोयाबीन, मूँगफली, कपास, भिंडी, पटसन, बैंगन, टमाटर, आलू भारतीय सरसों, फूलगोभी, बंदगोभी, हल्दी, सूरजमुखी, गुलदाउदी, अरण्ड, तिल, काली मिर्च और प्याज। अधिकांश कृषक किस्में चावल की फसल की थीं जो कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशालय, उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई थीं।

सबसे अधिक आवेदन चावल के लिए प्राप्त हुए थे (957), जिसके पश्चात् क्रमशः कपास (82), बैंगन (41), मक्का (32), गेहूं

(22), आलू (16) और गन्ना व टमाटर प्रत्येक के 14 आवेदन थे। कपास में विशेष रूप से पराजीनी प्रौद्योगिकी और उप लाइसेंसीकरण की क्रियाविधि लागू न होने के पश्चात् अब किसानों को खेती के लिए अनेक किस्में उपलब्ध हैं और पादप प्रजनक अपने संकरों/किस्मों के लिए अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने हेतु उत्सुक हैं जिससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त हो सकती है।

वर्ष के दौरान विद्यमान अधिसूचित किस्मों के प्राप्त हुए 133 आवेदनों में से 93 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 31 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा 9 निजी क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। फसलों में सर्वाधिक आवेदन चावल के प्राप्त हुए (63) जिसके पश्चात् कपास (26), चपाती गेहूं (22), चना (9), बाजरा (5), मक्का (4), अरण्ड (3), ज्वार (3), तिल (3), तोरिया (2), मूँग (1), पटसन (1) और छोटी इलायची (1) के पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे।

अनुशंसित किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े पण्धारियों (स्टेकहोल्डर) सामान्य जनों की जानकारी और प्रकाशन के 90 दिनों के अंदर, यदि कोई आपत्ति हो तो, उसे आमंत्रित करने के लिए भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए गए। इसके पश्चात् आवेदकों से पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क और सुरक्षा की अवधि के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक ने मध्यावधि संरक्षण हेतु बीज सामग्री की वांछित मात्रा जमा कराने का अनुरोध किया गया।

विभिन्न किस्मों की 335 प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण खरीफ और रबी मौसमों के दौरान विभिन्न डीयूएस परीक्षण केन्द्रों पर किया गया। नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत 95 प्रत्याशी किस्मों ने डीयूएस परीक्षण के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा चावल की 194 कृषक किस्मों ने भी उगाए जाने संबंधी परीक्षण पूरे कर लिए हैं। प्राधिकरण 94 डीयूएस केन्द्रों को सहायता पहुंचाता है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की देशभर में फैली नई परियोजनाएं भी शामिल हैं। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान डीयूएस परीक्षणों हेतु प्रयोगशालाओं व खेत सुविधाओं को सबल बनाने, डीयूएस मानदंडों या दिशानिर्देशों के विकास व अनुरक्षण प्रजनन के लिए इन डीयूएस केन्द्रों को धनराशि जारी की गई। प्राधिकरण ने बागवानी फसलों के विकास, डीयूएस दिशानिर्देशों के सत्यापन तथा संदर्भ किस्मों के डेटाबेसों के सृजन के लिए नए डीयूएस केन्द्रों की स्थापना की है व उन्हें सहायता प्रदान की है। इनके अंतर्गत आने वाली फसलें हैं वोगेनविलिया, ग्लेडियोलस, केन्ना, चाइना एस्टर, चमेली, ट्यूबरोज़, स्ट्राबेरी, बेर, खजूर, जामुन, आंवला, बेल, अनार,

आदू, अलूचा, पपीता, शरीफा, अंगूर, मिर्च, स्वीट पेपर, पैपरिका, खीरा—ककड़ी, जीमीकंद और तारो।

प्राधिकरण ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान 119 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए। इनमें से 99 किसमें विद्यमान श्रेणी की तथा 20 नई श्रेणी की थी।

प्राधिकरण के मुख्यालय में पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखा जा रहा है और इसकी प्रति गुवहाटी और रांची स्थित शाखा कार्यालय में है। विद्यमान, नई और कृषक श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत सभी किस्में उपरोक्त रजिस्टर में उचित रूप से प्रलेखित की गई हैं।

प्राधिकरण ने पंजीकृत किस्मों के बीजों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त डॉ. बाला साहेब सावंत कॉकण कृषि विद्यापीठ, धपोली, महाराष्ट्र; बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड; और डॉ. वार्ड.एस.परमार कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश के मशोबरा स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र में अलैंगिक/वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित फसलों के लिए तीन क्षेत्र जीन बैंक स्थापित किए गए हैं। शुष्क क्षेत्र की प्रजातियों का क्षेत्र जीन बैंक स्थापित करने के लिए केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर को धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

प्राधिकरण ने अपना 7वां स्थापना दिवस 11 नवम्बर 2011 को मनाया जिसके पश्चात् डीयूएस केन्द्रों व परियोजनाओं की एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

प्राधिकरण ने डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली विकसित की है और इसे नियमित रूप से अपलोड व अनुरक्षित किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से भारत की अधिसूचित व जारी किस्मों का डेटाबेस रख रहा है तथा इन डेटाबेसों का उपयोग सर्वाधिक समान संदर्भ किस्मों के चयन नाम के सत्यापन व अधिसूचना के विवरण हेतु किया जा रहा है। पौधा किस्मों की सुरक्षा की प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए अधिनियम, 2001 के उद्देश्यों को पूरा करते हुए इस प्राधिकरण ने व्यक्तिगत पंजीकरण आवेदन दाखिल करने के अतिरिक्त पौधा किस्मों की पंजीकरण प्रक्रिया हेतु आवेदन ऑन—लाइन प्रस्तुत करने व ऑन—लाइन शुल्क अदायगी करने की प्रक्रिया विकसित करने हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी है। इससे आवेदकों को अपने कार्य स्थल से ही अपने आवेदन दाखिल करने में सुविधा होगी और इसके साथ ही वे अदायगी गेटवे प्रणाली के माध्यम से निर्धारित शुल्क भी अदा कर सकेंगे। इससे संबंधित सॉफ्टवेयर भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र में स्थापित किए जाने हेतु कार्यान्वयन की अंतिम अवस्था में है।

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण की तीन बैठकें आयोजित की गई तथा प्राधिकरण भवन के निर्माण, वर्ष 2009—10 और

2010—11 के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों को प्रदान करने हेतु समुदायों के चयन, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2010—11 हेतु समुदायों के चयन, कुछ पीपीवी और एफआर नियमों व विनियमों में संशोधन, पंजीकरण हेतु आवेदनों की ई—फाइलिंग, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों के पंजीकरण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन आदि जैसे निर्णय लिए गए।

प्राधिकरण के विधिक कोष्ठ ने भारत के विभिन्न न्यायालयों में दाखिल किए गए मुकदमों में पैरवी की। यह कोष्ठ पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत बनाए गए नियमों व विनियमों में संशोधन का मसौदा तैयार करने में शामिल रहा तथा निम्न अधिसूचनाएं भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई :

- सं. एस.ओ.1912 (ई) दिनांक 18 अगस्त 2011 के द्वारा पौधा किस्मों के पंजीकरण के प्रमाण—पत्रों की एक प्रति अग्रेषित करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) की अधिसूचना
- संख्या एस.ओ. 1913 (ई) दिनांक 9 अगस्त 2011 द्वारा पंजीकरण के लिए पात्र नौ फसल प्रजातियों की अधिसूचना;
- संख्या एस.ओ. 617 (ई) दिनांक 27 मार्च 2012 के द्वारा पंजीकरण की पात्र ऑर्किड की तीन प्रजातियों की अधिसूचना;

सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ को आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत या तो सीधे या विभिन्न विभागों से हस्तांतरित होकर सूचना प्राप्ति संबंधी 24 आवेदन मिले। मांगी गई सूचना निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार, प्राधिकरण से संबंधित संसद प्रश्नों के जवाब तैयार किए गए तथा उन्हें समय पर कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय को भेजा गया। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मसौदा कैबिनेट टिप्पणियों पर प्राधिकरण की अभियुक्तियां भी उपलब्ध कराई गई।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कृषक प्रकोष्ठ ने अधिनियम के निर्देशानुसार कृषकों के अधिकारों के प्रावधानों को कार्यान्वयित किया है तथा देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न संस्था और पण्धारियों (स्टेकहोल्डर) को धनराशियां प्रदान की हैं। प्राधिकरण ने पण्धारियों के बीच अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की सूचना के प्रसार प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान मेलों, समारोहों तथा कृषि मेलों में भाग लिया। ओडिशा राज्य से प्राप्त चावल की रिकॉर्ड संख्या में कृषक किस्मों को केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक; चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद; और तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में 'ग्रो आउट' परीक्षणों के माध्यम से मूल्यांकित किया जा रहा है। पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों तथा 2010—11 के दौरान व्यक्तिगत किसानों को सम्मान पुरस्कार देने हेतु आवेदनों की छंटाई व चयन के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। व्यापक प्रसार—प्रचार के

माध्यम से पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2011–12 के लिए भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

प्राधिकरण को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से पूसा परिसर में अपने परिसर के निर्माण हेतु भूमि आबंटित की गई है। श्री शरद पवार माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने 8 जुलाई 2011 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण परिसर का शिलान्यास किया।

प्राधिकरण आई.टी.पी.जी.आर.एफ.ए., सी.बी.डी., उपोव, डब्लू.आई.पी.ओ. तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों/संधयों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को तकनीकी मामलों में सहायता प्रदान करता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने प्राधिकरण के अध्यक्ष के नेतृत्व में अंतर-मंत्रालय सयुक्त कार्यदल गठित किया है, ताकि आई.टी.पी.जी.आर.एफ.ए से सम्बद्धित विभिन्न मुद्दों तथा अन्य संघियों पर देश की स्थिति स्पष्ट हो सकें। यह दल संधि तथा सी.बी.डी. से सम्बद्धित मामलों पर विचार करता है।

रिपोर्टरीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के तीन अधिकारियों

ने विभिन्न उददेश्यों में प्रशिक्षण/सम्मेलनों/बैठकों में भाग लिया। नीदरलैंड, जर्मनी तथा यूएसडीए से आए विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने पौधा किस्मों, डीयूएस परीक्षणों, क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की। दिसम्बर 2011 में प्राधिकरण ने द्वि-पक्षीय सहयोग के लिए नीदरलैंड्स इंस्पैक्शन सर्विसिस (नैक्यूनबोउ) तथा प्लैटम ऑफ नीदरलैंड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल सीडस फेडरेशन तथा ओईसीडी से आए प्रतिनिधि मंडलों ने प्राधिकरण अधिकारियों के साथ परिचर्चा व विचार-विमर्श किया।

प्राधिकरण को वर्ष 2011–12 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग से अनुदान सहायता के रूप में ₹15.00 करोड़ रुपये प्राप्त किए तथा 31 मार्च 2012 तक इस पूरी धनराशि का उपयोग हो गया। नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे सदन के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग को अग्रेषित किए गए।





1. पृष्ठभूमि

पादप आनुवंशिक संसाधनों के अनुसंधान, व्यापार प्रबंधन तथा उपयोग को नियमित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराने; खाद्य, चारा, रेशा, ईंधन तथा अन्य जिंसों की उपयुक्त किस्में उत्पन्न करने में पौधा प्रजनकों तथा परंपरागत कृषक समुदायों द्वारा पादप प्रजनन में नवीनताओं के लिए कानूनी सुरक्षा को लागू करना। पादप प्रजनकों के अधिकारों को लागू करके पौधा किस्मों की सुरक्षा का मुद्दा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान में लाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई। भारत ने डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) संबंधी समझौते की पुष्टि की है। अतः इससे यह अपेक्षा की गई थी कि यह पौधा किस्मों की सुरक्षा से संबंधित कथित समझौते के भाग II में अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ(ख) को प्रभावी बनाते हुए उसमें दिए गए प्रावधानों को लागू करे।

भारत सरकार ने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नई पौधा किस्मों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तथा पौधा किस्मों, कृषकों व पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सु जेनेरिस प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001 में लागू किया। पीपीवी और एफआर नियमावली 12 सितम्बर 2003 में अधिसूचित की गई। अंततः अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 11 नवम्बर 2005 को राजपत्र अधिसूचना सं0 1588(ई) के द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की।

1.1 पीपीवी और एफआर अधिनियम के उद्देश्य

उक्त अधिनियम के उद्देश्य हैं :

- पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।

- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।
- देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

यह अधिनियम एक स्यू जेनेरिस प्रणाली पर आधारित है और इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें प्रजनकों, किसानों, समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनक या उसके अधिकारी, उसके एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीज को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात और निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। जहां तक कृषकों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम कृषकों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह प्रावधान कराता है कि कृषक किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज / रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन-सामान्य को उपलब्ध न कराई गई हो। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है, यदि पादप आनुवंशिक सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में भागीदारी की हो। अनुसंधानकर्ताओं को प्रयोग अथवा अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग करने का अधिकार है तथा ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के विकास के उद्देश्य से किया जा सकता है। भारत वह विशिष्ट देश है जहां कृषकों के अधिकारों को स्थापित करने व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधान को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान तथा भावी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है तथा इसमें समुदायों को कृषि-जैव विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

1.2 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण

प्राधिकरण एक निकाय कारपोरेट है जिसका वैधानिक दर्जा है तथा इसे चल तथा अचल सम्पत्तियों को अधिगृहीत करने,

बनाए रखने तथा उनके निपटान का अधिकार है और साथ ही इसके लिए ठेका करने का भी अधिकार है तथा इस संबंध में यह कोई भी कानूनी कार्यवाही कर सकता है अथवा इस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सोसायटीज ब्लॉक, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा परिसर, नई दिल्ली में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। प्राधिकरण का एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य हैं (अनुबंध-I)।

1.3 पौधा किस्मों का पंजीकरण

प्राधिकरण ने 57 फसल प्रजातियों के विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है तथा उनका पंजीकरण किया है। ये फसल प्रजातियां अनाजों, दालों, मोटे अनाजों, तिलहनों, मसालों, सब्जियों, पुष्टों और रेशा फसलों की हैं। 31 मार्च 2012 तक प्राधिकरण में 347 किस्में (नई, विद्यमान अधिसूचित और कृषक किस्म की श्रेणी में) पंजीकृत की गईं। और आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए नियमित रूप से जागरूकता तथा क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है।

प्राधिकरण ने बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित संदर्भ/उदाहरण किस्मों/किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन व प्रगुणन हेतु आवेदकों द्वारा प्रत्याशी किस्मों के दावों के सत्यापन हेतु पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से केन्द्रीय सैकटर स्कीम के अंतर्गत देशभर में डीयूएस परीक्षण केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किसी गुणों का डेटाबेस सृजित करना भी है। इसके अतिरिक्त फसल विशिष्ट केन्द्रों में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण भी किए जा रहे हैं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों को इन केन्द्रों द्वारा और अधिक विश्लेषण के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है। प्राधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सक्षम फसल प्रजातियों की पहचान की है तथा परियोजनाओं को भी सहायता उपलब्ध कराई है।

1.4 पादप प्रजनकों के अधिकार तथा कृषकों के अधिकार

प्रजनकों का अधिकार इस अधिनियम का अत्यंत प्रमुख प्रावधान है जिसका भारतीय कृषि तथा वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में दूरगमी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजनक को भी अपनी किस्म के विरुद्ध अनंतिम सुरक्षा का अधिकार है ताकि, पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बीच की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई

गलत कार्य न किया जा सके। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ताओं को भी छूट दी गई है। तथापि, पैतृक वंशक्रमों के रूप में किसी पंजीकृत किस्म का बार-बार उपयोग करने पर उस पंजीकृत किस्म के प्रजनक से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसा कि इस अधिनियम में उल्लेख है पौधा किस्मों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और इसमें किसी नई किस्म के मामले में विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति निम्न श्रेणियों के अंतर्गत किसी भी किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकता है :

- अधिनियम की धारा 29(2) के अंतर्गत विशिष्टीकृत ऐसे गण या प्रजाति की है
- **विद्यमान किस्म**
 - बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित
 - सामान्य ज्ञान की किस्म
 - कृषक किस्म
- किसानों द्वारा उनके खेत में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की गई किस्म
- ऐसी वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
- **अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म**

सुरक्षा की कुल अवधि फसलों के मामले में नई किस्म या सामान्य ज्ञान और कृषक किस्मों के मामले में पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष तथा वृक्षों और लताओं के मामले में 18 वर्ष है। विद्यमान किस्मों के मामले में यह अवधि बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उस किस्म की अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों को जो अधिकार दिए गए हैं वे निम्नानुसार हैं:

- बीज पर अधिकार: अपनी फसल के लिए अपने बीज को बचाना और इसे बुवाई, पुनः बुवाई, अदान प्रदान, बाँटने और अन्य किसानों को बेचने का अधिकार लेकिन किसान किसी सुरक्षित किस्म के ब्रांडयुक्त बीज को नहीं भेज सकते हैं
- अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार: किसान विकसित या संरक्षित परमपरागत किस्मों या उनके द्वारा विकसित नई किस्मों को पंजीकृत कराने के पात्र है
- पुरस्कार व सम्मान का अधिकार: किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या समुदाय द्वारा समिलित रूप में फसल पौधों की किसी भी संम्पदा को संरक्षित करने पर अब पुरस्कृत किया जाता है
- लाभ में भागीदारी का अधिकार: नई पौधा किस्मों के प्रजनन में किसानों की किस्मों की महत्वपूर्ण भूमिका के मामले में
- अज्ञानतावश कानून के उल्लंघन के प्रति सुरक्षा
- शुल्क अदायगी से छूट।

1.5 कृषकों/कृषक समुदायों को सहायता तथा पुरस्कार

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 70(2) (क) के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 45(2) में विशेष रूप से कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों के किसानों, किसान समुदायों को सहायता प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को परिचालित करने के लिए 2009–10 से पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम पांच पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये नकद, एक उद्घारण तथा एक स्मृति चिह्न प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन किसी विशेषज्ञ वैज्ञानिक के नेतृत्व में अत्यधिक व्यापक विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की समिति द्वारा किया जाता है।

1.6 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की समितियां

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने कृषकों के अधिकार के लिए स्थायी समिति; परियोजना मूल्यांकन समिति; कार्यक्रम, नियोजन तथा नीति समिति गठित की है जो तकनीकी तथा नीतिगत मुद्दों पर प्राधिकरण को सहायता प्रदान करती हैं। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) पुनर्गठित की गई है। ईवीआरसी का अधिदेश, विद्यमान किस्म की श्रेणी (बीज अधिनियम, 1996 की धारा 5 के अंतर्गत

अधिसूचित) के अंतर्गत पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच करना और रजिस्ट्रार को संबंधित मुद्दों पर उचित परामर्श देना है।

प्राधिकरण ने देश भर में फील्ड जीन बैंक तथा राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किये हैं और यह नियमित रूप से भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित करता है और पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव भी करता है। भारत सरकार द्वारा पूसा परिसर, नई दिल्ली में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण भवन के निर्माण हेतु भूमि के हस्तांतरण के पश्चात् 8 जुलाई 2011 को केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार ने डॉ. एस.अय्यप्पन, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और महानिदेशक, भा.कृ.अ.प., डॉ. सी.डी.मायी, तत्कालीन अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल; डॉ. पी. ए.ल.गौत्तम, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण; डॉ. एस.के.दत्ता, उप महानिदेश (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प.; प्राधिकरण/कृषि एवं सहकारिता विभाग/भा.कृ.अ.प. के अधिकारियों व स्टाफ की उपस्थिति में भवन का शिलान्यास किया। मैसर्स उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को प्राधिकरण भवन के निर्माण हेतु परियोजना प्रबंध—परामर्शक नियुक्त किया गया और वास्तुकार एवं डिजाइन परामर्शक का चयन भी किया गया। खाका तथा स्थल योजनाएं एमसीडी सहित अन्य सभी सिविक एजेंसियों को प्रस्तुत कर दी गई हैं, ताकि प्राधिकरण परिसर के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की जा सके। प्राधिकरण की इमारत समिति ने पौधा प्राधिकरण भवन के निर्माण के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु पूर्व योग्यता मानदंड के लिए टैंडर को अंतिम रूप दिया है।



2. पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति

2.1 फसल प्रजातियों का अधिसूचीकरण

अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 2011–12 के दौरान किस्मों के पंजीकरण हेतु पात्र 12 प्रजातियों को अधिसूचित किया है (सारणी 1)।


सारणी 1. 2011–12 के दौरान अधिसूचित फसल प्रजातियां

क्र. सं.	अंग्रेजी नाम	हिन्दी / स्थानीय नाम	वानस्पतिक नाम
1.	व्हीट	गेहूं	ट्रिटिकम ड्यूरम डैस्फ
2.	व्हीट	गेहूं	ट्रिटिकम डाइकोकम एल.
3.	व्हीट	गेहूं	अन्य ट्रिटिकम प्रजातियां
4.	कोकोनट	नारियल	क्रोकस न्यूसिफेरा एल.
5.	परिविकल	सदाबहार	कैथेरेंथस रोजियस एल.जी.डॉन
6.	इंडियन पैनिवर्ट	ब्रह्मी	बैकोपा मोनिएरी एल. पैन्नेल
7.	दमस्क रोज़	गुलाब	रोज़ा डेमासेने, मिल
8.	ब्लांड सिलियम	इश्वगूल	प्लांटेगो ओवाटा फोर्स्क
9.	मेंथॉल मिट	पुदीना	मेंथा अर्वेन्सिस एल.
10.	बम्बू लीफ ऑर्किड	कैम्बिडियम	कैम्बिडियम एसडब्ल्यू
11.	स्प्रे ऑर्किड	जीवंती	डेंड्रोबियम एसडब्ल्यू
12.	वेंडा या ब्लू ऑर्किड	रसना	वैंडा जॉन्स ई एस आर.बीआर.


ये फसल प्रजातियां अनाजों, औषधीय व सगंधीय पौधों, रोपण फसलों व पुष्पों की प्रसंस्करण गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी आशा है कि औषधीय एवं संगंधित पौधों के पंजीकरण से कृषि के विविधीकरण के अवसर प्राप्त होंगे तथा इन फसलों की कानूनी सुरक्षा का अवसर उपलब्ध होगा और इनके अंतराराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार, प्रसंस्करण, निर्यात क्षमता से युक्त ड्यूरम और डाइकोकम गेहूं को पौधा किस्मों की कानूनी सुरक्षा के दायरे के अंतर्गत लाया गया है। विदेशी प्रजनक उन पुष्पों तथा अन्य फसल प्रजातियों की किस्मों को पंजीकरण कराने हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे जिनसे नई किस्मों की उपलब्धता में वृद्धि हो सकती है और इससे भारतीय किसानों व पादप प्रजनकों को लाभ होगा।

2.2 प्राप्त आवेदन

वर्ष 2011–12 में इस अधिनियम के अंतर्गत पौधा किस्मों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण ने 29 फसलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 1247 आवेदन प्राप्त किये। ये आवेदन नई (149), विद्यमान (177) तथा कृषक किस्मों (921) की श्रेणी के अंतर्गत थे।



चित्र 1 : श्रेणीवार प्राप्त आवेदन



चित्र 2 : क्षेत्रवार प्राप्त आवेदन

पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन 12 विभिन्न पादप कुलों के थे। (सारणी 2)

सारणी 2: पंजीकरण हेतु प्राप्त फसलों के पौधों के कुल

क्र.सं.	पादप कुल	फसलें
1.	पोएसी	चपाती गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार और गन्ना
2.	फैब्रेसी	अरहर, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली
3.	मालवेसी	कपास और भिण्डी
4.	टिलिएसी	पटसन
5.	सोलेनेसी	बैंगन, टमाटर और आलू
6.	ब्रैसिकेसी	भारतीय सरसों, तोरिया, फूलगोभी और बंदगोभी
7.	जिंजीबरेसी	हल्दी, अदरक और छोटी इलायची
8.	एस्टेरेसी	सूरजमुखी, गुलदाउदी
9.	यूफोरबिएसी	अरण्ड
10.	पिडेलिएसी	तिल
11.	पाइपरेसी	काली मिर्च
12.	एमाराइलिडेसी	प्याज

ये आवेदन विभिन्न स्वरूपों जैसे अनाजों, मोटे अनाजों, दालों, वाणिज्यिक फसलों, तिलहनों, सब्जियों और मसालों के लिए प्राप्त हुए थे। सर्वाधिक आवेदन अनाज (1028) के प्राप्त हुए थे जिसके पश्चात वाणिज्यिक फसलों (97), सब्जियों (81) तथा अन्य फसलों (41) के थे। फसलवार प्राप्त आवेदनों का विवरण (सारणी 3) में दिया गया है।

सारणी 3: पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का फसलवार विवरण

फसल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कृषक किस्म	योग
उड़द	1	0	0	1
बैंगन	2	39	0	41
बंदगोभी	1	0	0	1
फूलगोभी	2	0	0	2
गुलदाउदी	4	0	0	4
द्विगुणित कपास	2	8	0	10
मूँगफली	7	0	0	7
भारतीय सरसों	0	4	1	5
पटसन	1	0	0	1
राजमा	0	1	0	1
अलसी	5	0	0	5
मक्का	0	31	1	32
आम	0	0	3	3
भिण्डी	0	6	0	6
प्याज	0	1	0	1
बाजरा	0	8	0	8
अरहर	2	0	0	2
आलू	16	0	0	16
चावल	27	15	915	957
कुसुम	1	0	0	1
तिल	1	0	0	1
ज्वार	9	0	0	9
सोयाबीन	3	0	0	3
गन्ना	14	0	0	14
सूरजमुखी	4	2	0	6
चतुर्गुणित कपास	2	70	0	72
टमाटर	2	12	0	14
अदरक	2	0	0	2
गेहूं	21	0	1	22
योग	129	197	921	1247

सर्वाधिक आवेदन चावल के लिए (957) प्राप्त हुए जिसके पाचत्र क्रमशः कपास (82), बैंगन (41), मक्का (32), गेहूं (22), आलू (16), गन्ना (14), टमाटर (14) और अन्य फसलों (69) के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे।

सर्वाधिक आवेदन चावल के लिए (957) प्राप्त हुए जिसके पश्चात्र क्रमशः कपास (82), बैंगन (41), मक्का (32), गेहूं (22), आलू (16), गन्ना (14), टमाटर (14) और अन्य फसलों (69) के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे।

2.3 नई किस्मों का पंजीकरण

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान नई किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत 1247 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 129 आवेदन सार्वजनिक क्षेत्र से, 197 निजी क्षेत्र से थे और सबसे अधिक आवेदन कृषक किस्मों की श्रेणी (921) के अंतर्गत प्राप्त हुए थे। नई किस्मों तथा सामान्य ज्ञान की किस्म की श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जांच पौधा किस्म रजिस्ट्री द्वारा की गई। यह पाया गया कि अधिकांश स्पष्टीकरण किस्मों की बिक्री के प्रमाण, पूर्वज सामग्री को कानूनी रूप से प्राप्त करने के प्रमाण, तकनीकी प्रश्नावली के विवरणों (समूहीकरण/विशिष्ट/अन्य गुण), पूर्वजता, प्रजनन तकनीकों, संदर्भ किस्मों की तुलना आदि से संबंधित थे। प्राधिकरण इन मुददों को हल करने के लिए विभिन्न मंचों का उपयोग कर रहा है और पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित व त्वरित बनाने के लिए वांछित विवरणों से प्रजनकों को अवगत करा रहा है।

अब तक विपणन से उत्पादों को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप प्रजनकों ने पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए 33 आवेदन वापस लिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त 102 आवेदन बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत उनकी अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष की सुरक्षा अवधि पूरी होने के कारण निरस्त कर दिए गए।

वांछित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले नई व विद्यमान किस्मों सहित प्रत्याशी किस्मों के आवेदन पंजीकरण और डीयूएस परीक्षणों के निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ प्राधिकरण के फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार बीज विश्लेषण रिपोर्ट के साथ बीज सामग्री की वांछित मात्रा भी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इसके पश्चात बीज नमूनों को दो स्थानों पर दो समान फसल मौसमों में डीयूएस परीक्षण के लिए सम्बद्ध केन्द्रों को भेजा गया।

2.4 विद्यमान किस्मों का पंजीकरण

विद्यमान किस्मों में वे किस्में सम्मिलित हैं जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 (1966 का 54) के अंतर्गत अधिसूचित हैं, या कृषक किस्में हैं या वे किस्में हैं जिनके बारे में सामान्य ज्ञान

है। अधिनियम में बताया गया है कि कृषक का अर्थ कोई भी वह व्यक्ति है जो, (i) अपनी स्वयं की भूमि जोतकर फसलें उगाता है, अथवा (ii) किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि में खेती करने के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के द्वारा फसलों की खेती करता है अथवा (iii) कोई व्यक्ति अलग—अलग अथवा सम्मिलित रूप से वन्य प्रजातियों या परंपरागत किस्मों को संरक्षित व परिरक्षित करता है अथवा (iv) उपयोगी गुणों की पहचान करके और चयन के माध्यम से ऐसी वन्य प्रजातियों या परंपरागत किस्मों का मूल्यवर्धन करता है।

अधिनियम के अनुसार कृषक किस्म का अर्थ है (i) वह किस्म जो परंपरागत रूप से किसानों द्वारा उनके खेत में उगाई जाती है या विकसित की गई है, (ii) किस्म की वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने सामान्य ज्ञान की किस्म (वीसीके) को भी परिभाषित किया है जो भारतीय पौधा किस्म जरनल के 3 सितम्बर 2009 के अंक में प्रकाशितकी गई है। इसमें शामिल है (i) वह किस्म जो जारी नहीं हुई है और बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, लेकिन प्रकाशनों के माध्यमों से भली प्रकार प्रलेखित है और किस्म की परिभाषा को संतुष्ट करने में सक्षम है या (ii) प्रत्याशी किस्म को या तो किस्मों के शासकीय रजिस्टर में प्रविष्ट होना चाहिए या वह प्रविष्ट होने की प्रक्रिया के अंतर्गत होनी चाहिए या (iii) प्रत्याशी किस्म को संदर्भ संकलन में स्थान प्राप्त होना चाहिए या प्रकाशन में उल्लिखित विशुद्ध परिभाषा के अनुसार होना चाहिए, या (iv) किसी भी अन्य तरीके से वह किस्म सामान्य ज्ञान की किस्म हो गई हो तथा किस्म उगाई जा रही हो या पंजीकरण के लिए आवेदन के दाखिल किए जाने के दौरान उसका विपणन हो रहा हो।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान विद्यमान किस्मों के अंतर्गत पंजीकरण हेतु 177 आवेदन प्राप्त हुए। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए पीपीवी और एफआर विनियमन, 2006 के नियम, 6 के अनुसार बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत जारी की गई किस्मों के आवेदनों की जांच करने तथा पंजीकरण हेतु इन किस्मों की उपयुक्तता हेतु व अन्य तकनीकी मामलों में रजिस्ट्रार को अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण ने विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) गठित की है।

2.4.1 विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी)

प्रथम विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति का 2010 में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात प्राधिकरण ने इस समिति का पुनर्गठन किया है और इसके निम्न सदस्य हैं :

अध्यक्ष

प्रो. डी.पी.रे, कुलपति, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
ओडिशा

सदस्य

निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो, नई दिल्ली
डॉ. एस.आचार्य, अनुसंधान वैज्ञानिक, मुख्य दलहन अनुसंधान
केन्द्र, एसडीएयू, सरदारकृष्णनगर, गुजरात

डॉ. ए.के.सिंह, चावल प्रजनक, आनुवंशिकी संभाग,
भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

डॉ. एस.के.त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, नुजिवीडु सीड्स लिमिटेड,
बाराखम्बा रोड, दिल्ली

श्री जी.मुरलीधरन, तमिल नाडु किसान संघ, आर्यपुरम, मालियम
डाकघर, मैलादुतुरई ताल्लुक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु

सदस्य सचिव

डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजिकार, पी.पी.वी. एवं एफ.आर.ए,
नई दिल्ली

विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति ने वर्ष 2011–12 के दौरान दो बैठकें कीं तथा बीज अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की दृष्टि से 133 आवेदन अनुशंसित किए। इन 133 आवेदनों में से 93 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 31 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और 9 निजी क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। अनुशंसित किस्मों की फसलवार स्थिति सारणी 4 में दर्शायी गई है।

सारणी 4: फसलवार प्राप्त आवेदन

क्र.सं.	फसल	संख्या
1.	चावल	63
2.	कपास	26
3.	चपाती गेहूं	11
4.	चना	9
5.	बाजरा	5
6.	मक्का	4
7.	ज्वार	3
8.	अरण्ड	3
9.	तिल	3
10.	तोरिया	2
11.	मूंग	1
12.	पटसन	1
13.	छोटी इलायची	1
कुल		133

अनुशंसित किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए गए, ताकि पण्धारियों से सूचना प्राप्त की जा सके तथा यदि कोई आपत्ति हो तो उसे प्रकाशन के 90 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जा सके। इसके पश्चात आवेदकों से सुरक्षा की अवधि के दौरान राष्ट्रीय जीन बैंक में मध्यावधि के


भंडारण के लिए बीज सामग्री की निर्धारित मात्रा प्रस्तुत करने को कहा गया।

बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों का पंजीकरण उन घरेलू फसल किस्मों को सुरक्षित करने का एक सशक्त प्रावधान है जिन्हें भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अन्य अनुसंधान संगठनों/उद्योग द्वारा मुख्य रूप से प्रजनित किया गया है और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत जिनका कई स्थानों पर परीक्षण किया गया है। ये किस्में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय बीज समिति द्वारा पहले से ही जारी की जा चुकी हैं। यह मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र में पादप प्रजनकों के अनथक समर्पण को मान्यता देना है और इस प्रावधान को लागू करने से पादप प्रजनकों/संस्थानों को उन किस्मों को वैधानिक रूप से सुरक्षित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनसे रायलटी/राजस्व अर्जित किया जा सकता है और इनका लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है और आगे चलकर अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों में इनका उपयोग हो सकता है।

2.4.2 विद्यमान किस्मों के पंजीकरण में प्रगति

2011–12 के दौरान विभिन्न फसलों की 119 किस्मों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए (अनुबंध-X)। सर्वाधिक प्रमाण-पत्र कपास (34) के लिए जारी किए गए जिसके बाद क्रमशः मक्का (23), चना (14), चावल (13), बाजरा (11), ज्वार (7), पटसन (7), चपाती गेहूं (6), अरहर (2), उड़द (1) और मसूर (1) के आवेदन थे। जारी किए गए 119 प्रमाण-पत्रों में से 99 विद्यमान अधिसूचित किस्मों के थे और शेष 20 नई श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली किस्मों के थे।

विद्यमान किस्मों के पंजीकरण हेतु
जारी किए गए प्रमाण-पत्र



2.5 सामान्य ज्ञान की किस्में

सामान्य ज्ञान की किस्मों के पंजीकरण हेतु मानदंड भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित हुए और अंततः 30 जून 2009 को जी.एस.आर. 452 (ई) द्वारा अधिसूचित किए गए। इस श्रेणी के अंतर्गत किस्मों/संकरै, पूर्वज किस्मों के आवेदन, आवेदनों की जांच पूरी होने के बाद स्वीकार किए जा रहे हैं तथा प्रत्याशी किस्मों का दो स्थानों पर एक वर्ष में डीयूएस परीक्षण किया जाएगा।

2.6 कृषक किस्में

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पंजीकरण हेतु कृषक किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न फसलों के 921 आवेदन प्राप्त किए हैं जिनमें सर्वाधिक चावल के (915) हैं जिसके पश्चात् आम (3), सरसों (1), मक्का(1) और गेहूं (1) के पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे। कृषक किस्मों के ग्रो आउट परीक्षण का विवरण सारणी-5 में दिया गया है।

सारणी 5: वर्ष 2011–12 के दौरान डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत विभिन्न फसलों की प्रत्याशी किस्मों की संख्या

फसल प्रजातियां	खरीफ 2011			रबी 2011–12		योग
	नई किस्में	विद्यमान किस्में	कृषक किस्में	नई किस्में	कृषक किस्में	
चावल	26	17	66	—	128	237
चपाती गेहूं	—	—	—	9	—	9
मक्का	13	—	—	—	—	13
ज्वार	5	7	—	7	—	19
बाजरा	5	7	—	—	—	12
कपास	9	—	—	—	—	9
सूरजमुखी	—	—	—	34	—	34
सरसों	—	—	—	1	1	2
कुल	58	31	66	51	129	335

2.7 डीयूएस परीक्षण

वर्ष 2011–12 के खरीफ और रबी मौसमों के दौरान विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व के लिए विभिन्न केन्द्रों पर कुल 335 किस्मों का परीक्षण किया गया (सारणी 5)। मार्च 2012 के अंत तक कपास की 37, मक्का की 23, चावल की 15, ज्वार की 10, बाजरा की 5, दालों तथा पटसन में प्रत्येक की 1–1 तथा गेहूं की एक किस्म ने नई श्रेणी के अंतर्गत डीयूएस परीक्षण के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। चावल की 8 किस्मों तथा दलहनों की दो किस्मों ने कृषक श्रेणी के अंतर्गत पहले ही ग्रो आउट परीक्षण पूरे कर लिए हैं। इन परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है।



2.8 अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मे (ईडीवी) पर विशेषज्ञ समिति

प्राधिकरण ने निम्नानुसार अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों पंजीकरण के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है :

अध्यक्ष

डॉ. बी.एस.दिल्लों, कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

सदस्य

डॉ. के.वी.प्रभु, अध्यक्ष, आनुवंशिकी संभाग, भा.कृ.अ.सं., पूसा, नई दिल्ली

डॉ. पी.आनंद कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय पादप जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

डॉ. (श्रीमती) जी.जे.रंधावा, प्रधान वैज्ञानिक, एनबीपीजीआर, नई दिल्ली

डॉ. निरंजन मूर्ति, पादप प्रजनक प्राध्यापक, यूएएस, बंगलुरु

सदस्य सवित्र

डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पी.पी.वी. एवं एफ.आर.ए), नई दिल्ली

इस समिति का गठन 3 वर्ष के लिए किया गया है तथा समिति के कार्य की शर्तें निम्नानुसार हैं :

- पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 की धारा 23 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों के परीक्षण की विधि व तरीके के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना
- ऐसे परीक्षण सम्पन्न करने और निर्धारित क्रियाविधियों को अपनाने के लिए वांछित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को पंजीकरण संबंधी मुद्दों पर परमार्श देना।

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान विशेषज्ञ समिति की दो बैठकें हुईं। रजिस्ट्री द्वारा आरंभ में छांटे गए 10 आवेदन विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। चतुर्गुणित कपास के लिए वीआईसीएच 5 बीजी II का एक आवेदन अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न

किस्म के रूप में पंजीकरण हेतु अनुशंसित किया गया जबकि अन्य को स्पष्टीकरण की कमी के कारण निरस्त कर दिया गया। विशेषज्ञ समिति ने ईडीवी के पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश अनुशंसित किए हैं :

- घटना तथा जीन प्रोटीन अभिव्यक्ति संबंधी आंकड़ों की पुष्टि
- संबंधित प्रौद्योगिकी उपलब्धकर्ता से उपयोग के मामले में अनापत्ति प्रमाण—पत्र
- सुरक्षित तथा असुरक्षित, दोनों प्रकार के पर्यावरणों में जैव कुशलता, सस्यविज्ञानी तथा नाशकजीव संक्रमण पर तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध कराना, विशेष रूप से तब जब पराजीनी किस्म तुलनाकारी के रूप में संबंधित आरंभिक किस्म (आईडीवी) की तुलना में रोग/नाशकजीव प्रतिरोध सृजित करता हो तथा उसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सृजित किया गया हो
- आवेदक से इस आशय का हलफनामा कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सही व भरोसेमंद हैं
- संकर/किस्म के वाणिज्यिक रूप से जारी करने के लिए जीईएसी की अनुमति
- डीयूएस परीक्षण के विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार ईडीवी और आईडीवी के तुलनात्मक विवरण।

2.9 विशेष परीक्षणों के लिए कार्य बल

नियम 29(1)(ख) के अंतर्गत यदि डीयूएस परीक्षण असफल हो जाता है तो आवेदक के अनुरोध पर जैव-रसायनविज्ञानी परीक्षण के माध्यम से किसी विशेष गुण की पुष्टि के लिए प्राधिकरण किसी किस्म की विशिष्टता स्थापित करने के लिए विशेष परीक्षण कर सकता है। विशेष परीक्षणों को सम्पन्न करने के लिए संदर्भ प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान हेतु संस्थाओं की पहचान के लिए प्राधिकरण ने सम्बद्ध मामलों पर निम्नानुसार एक कार्य दल का गठन किया है :

अध्यक्ष

डॉ. एस.एल.मेहता, पूर्व कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

सदस्य

- डॉ. वी.प्रकाश, निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
डॉ. इमरान सिद्दीकी, वैज्ञानिक, सीसीएमबी, हब्सीगुडा, उपल रोड, हैदराबाद
डॉ. मंजित अग्रवाल, वरिष्ठ सहायक निदेशक, श्रीराम इंस्टीट्यूट
ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली
डॉ. जे.एस.बैंतुर, प्रधान वैज्ञानिक (कीटविज्ञान), चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

सदस्य सचिव

- डॉ. तेजबीर सिंह, पंजीकार, पी.पी.वी. एवं एफ.आर.ए), नई दिल्ली

प्राधिकरण ने भा.कृ.अ.प./वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थानों से विशेष परीक्षणों पर उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सुझाव आमंत्रित किए हैं। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान कार्य बल की दो बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें प्रस्तावों की जांच की गई और कार्यदल ने यह अनुशंसा की फसल विशिष्ट केन्द्रों (डीडब्ल्यूआर, सीआईसीआर, सीआरआरआई, सीपीआरआई, आईआईएसआर और डीएमआर) को विशेष परीक्षणों के रूप में विशिष्ट रासायनिक/जैव रसायनविज्ञानी परीक्षणों के लिए पहचाना जाए। इसके अतिरिक्त ये संस्थान अनेक पीढ़ियों के विशिष्ट डेटाबेस विकसित करेंगे। इसके साथ ही संदर्भ किस्मों के जैव-रासायनिक प्राचलों का रखरखाव उनके द्वारा किया जाए और छह माह के अंदर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

2.10 डीयूएस परीक्षण केन्द्र/परियोजनाएं

प्राधिकरण ने विभिन्न फसल प्रजातियों के लिए 52 डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को सहायता प्रदान की है (अनुबंध V) जिनका अधिदेश संदर्भ/उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण व प्रगुणन तथा डीयूएस विवरणों के अनुसार उनका गुण-निर्धारण, डीयूएस परीक्षण और डेटाबेस का अनुरक्षण है। कुछ डीयूएस परीक्षण केन्द्रों की संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है:

2.10.1 चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में उपोव दिशानिर्देशों के साथ समानता बनाए रखते हुए विशिष्टता स्थापित करने हेतु अपनाए जाने वाले डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों व वर्णनों को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। नई/प्रत्याशी किस्मों का डीयूएस परीक्षण चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में नोडल केन्द्र के रूप में खरीफ 2008 के दौरान आरंभ किया गया तथा केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक को सह-नोडल केन्द्र नामित किया गया। अब तक आठ प्रत्याशी किस्मों के दो

स्थानों पर परीक्षण के दो वर्ष पूरे हो चुके हैं तथा 15 प्रत्याशी किस्मों का दूसरा सैट 2011 के दौरान परीक्षण के दूसरे वर्ष में है। खरीफ 2011 के दौरान चावल अनुसंधान निदेशालय में डीयूएस परीक्षण के लिए 26 प्रत्याशी किस्मों, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में 22 प्रत्याशी किस्मों व असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट में 4 प्रत्याशी किस्मों का मूल्यांकन 53 संदर्भ किस्मों के विरुद्ध किया गया। दिनांक 23–24 अक्टूबर 2011 को डॉ. ई.ए.सिद्दीक की अध्यक्षता में समिति द्वारा डीयूएस प्लॉटों का निरीक्षण किया गया और उन्हें उचित अवस्था में पाया गया। रबी 2011–12 के दौरान 128 कृषक किस्मों का ग्रो आउट परीक्षण किया गया।

2.10.2 केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

पन्द्रह प्रत्याशी किस्मों के एक सैट का डीयूएस परीक्षण के दूसरे वर्ष परीक्षण किया गया। डीयूएस परीक्षण के लिए 50 संदर्भ किस्मों के साथ चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद द्वारा आपूर्त की गई 22 प्रत्याशी किस्में परीक्षण के प्रथम वर्ष में हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार सभी डीयूएस परीक्षण गुणों पर पर्यवेक्षण किए गए। 20 संदर्भ किस्मों के साथ सात सामान्य ज्ञान की किस्मों का एक सैट समन्वयन एजेंसी द्वारा आपूर्त किया गया। चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद के माध्यम से 35 कृषक किस्मों का एक अन्य सैट प्राप्त हुआ। इनका दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण डीयूएस गुण वर्णन किया गया। इसके अतिरिक्त ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर के निदेशक, कृषि एवं खाद्य उत्पादन द्वारा प्रस्तुत 851 कृषक किस्मों के सैट का डीयूएस विवरणों के आधार पर गुण-निर्धारण किया गया। ये राज्य के विभिन्न किसानों से एकत्र की गई कृषक किस्में थीं। इन किस्मों का बीज राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 19 स्वयं सेवी संगठनों को बांटा गया, ताकि वे इसे आकृति विज्ञानी गुणों के लिए बड़े प्लाटों में उगा सकें व किस्मगत पहचान का अनुरक्षण कर सकें। विद्यमान गुणों से संबंधित आंकड़े, राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला, भुवनेश्वर द्वारा रिकॉर्ड, संकलित व प्रस्तुत किए गए ताकि पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में पंजीकरण हेतु कृषक किस्मों के रूप में किसानों की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जा सके। इन कृषक किस्मों के मूल्यांकन व निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई जिसमें डॉ. बी.एन.सिंह, पूर्व अनुसंधान निदेशक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची; डॉ. एस.आर.धुआ, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक; उप पंजीकार, पी.पी.वी. और एफ.आर.ए), रांची तथा प्राधिकरण के मुख्यालय का एक प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति ने 18 जनवरी 2012 को केन्द्र का दौरा किया था।

2.10.3 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय चावल, उड़द और सूरजमुखी के डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में से एक है। इस केन्द्र में इन फसलों की संदर्भ/उदाहरण किस्मों का अनुरक्षण प्रजनन किया गया। चावल की 84 किस्में अनुरक्षण प्रजनन के अधीन हैं। सामान्य ज्ञान किस्म की श्रेणी की 10 प्रत्याशी किस्में, 10 संदर्भ किस्मों के साथ डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष में हैं। चार कृषक किस्में संदर्भ किस्मों के साथ ग्रो आउट परीक्षणाधीन हैं। डीयूएस परीक्षणों के निगरानी दल ने 7 दिसम्बर 2011 को इस केन्द्र का दौरा किया और पाया कि परीक्षण संतोषजनक ढंग से हो रहे थे। इस केन्द्र में सूरजमुखी की 56 किस्मों का मूल्यांकन व रखरखाव किया गया जिसमें 24 संकर, 22एए बी वंशक्रम तथा 10 आर वंशक्रम शामिल थे। सूरजमुखी के डीयूएस परीक्षण की निगरानी 6 मार्च 2012 को की गई तथा 14 संकर, 15एए बी अंतर-प्रजनक वंशक्रम और पाँच आर वंशक्रम संकरों में दस संदर्भ किस्मों के साथ; एए बी अंतर-प्रजनकों में सात संदर्भ किस्में और आर वंशक्रमों में पाँच संदर्भ प्रविष्टियां उगाई गईं। इस केन्द्र ने तमिल भाषा में 'पादप किस्म एवं कृषक अधिकार सुरक्षा' पर एक फोल्डर प्रकाशित किया है। डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महा पंजीकार; श्री सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव, विधिक मामले विभाग, डॉ. डी.एस.मिश्रा, संयुक्त पंजीकार ने 28 जनवरी 2012 को इस केन्द्र का दौरा किया।



2.10.5 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर

केन्द्र ने 130 संदर्भ किस्मों को अनुरक्षित किया है जिसमें से 80 किस्में चपाती गेहूं की और 50 किस्में कठिया या ड्यूरम गेहूं की हैं। संदर्भ किस्मों का वांछित आकृति विज्ञानी तथा सात मात्रात्मक गुणों के लिए गुण निर्धारण किया गया। पाँच संदर्भ किस्मों के साथ छह प्रत्याशी किस्में तीन परीक्षणों में डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष में हैं। उपरोक्त परीक्षणों में सभी प्रत्याशी व संदर्भ किस्मों का डीयूएस गुणों के लिए लक्षण-वर्णन किया गया।



2.10.6 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना, पंजाब

इस केन्द्र में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत 30 संदर्भ किस्में हैं जिनमें चपाती गेहूं की 16, कठिया गेहूं की चार तथा ट्रिटिकेल और जौ प्रत्येक की तीन-तीन किस्में शामिल हैं। रबी 11-12 के दौरान गेहूं की तीन प्रत्याशी किस्मों नामतः पूसा बहार, पूसा वसंत और एचडी 2967 के साथ-साथ उनकी संदर्भ किस्मों का भी परीक्षण किया गया। 20 मार्च 2012 को डीयूएस परीक्षणों की निगरानी संतोषजनक ढंग से की गई।

2.10.7 मक्का अनुसंधान निदेशालय (डीएमआर), नई दिल्ली

डीयूएस गुण-निर्धारण 58 वंशक्रमों के एक सैट का मूल्यांकन किया गया तथा वांछित वंशक्रमों के बीजों को संदर्भ स्टॉक में शामिल करके आगे बढ़ाया जाएगा। वर्ष 2008 से, कुल 72 प्रत्याशी किस्मों की इस केन्द्र में जांच की गई। 6 नई और 7 सामान्य ज्ञान की किस्मों सहित कुल 13 प्रत्याशी किस्में डीयूएस परीक्षणाधीन हैं। पाँच नए प्रत्याशी संकरों नामतः एचक्यूपीएम-7, एचएम-10, विवेक क्यूपीएम-9, विवेक मेज हाइब्रिड-13 और पीएयू 352 ने नई श्रेणी के अंतर्गत दिल्ली और हैदराबाद में डीयूएस परीक्षण के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एक नया संकर एचएम-11 खरीफ 2011 के दौरान नई श्रेणी के अंतर्गत डीयूएस परीक्षण के पहले वर्ष में था। दो नए संकुल, विवेक संकुल मक्का 35 और बजरुआ मक्का 1 डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष में हैं। एक प्रत्याशी संकुल किस्म नामतः विवेक संकुल मक्का 11 दो स्थानों पर सामान्य ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत परीक्षणाधीन है। नई एवं विद्यमान किस्मों की श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए 58 संकरों में से 24 को पंजीकृत किया जा चुका है। सामान्य मक्का के अतिरिक्त चार विशेष मक्का नामतः बेबी कॉर्न (वीएल बेबी कॉर्न 1 और सीओवीसी 1) तथा दो स्वीट कॉर्न (विन ओरेंज स्वीट कॉर्न और प्रिया स्वीट कॉर्न) को पंजीकृत कराया गया है।



2.10.8 आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय (आ.प्र.), हैदराबाद

पीवीपी विधान को लागू करने के लिए केन्द्रीय सैक्टर की स्कीम के अंतर्गत बीज अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, हैदराबाद को मक्का और मूंग के लिए डीयूएस परीक्षण के नोडल केन्द्र के रूप में पहचाना गया है। 35 प्रविष्टियों (छह संदर्भ संकर व तीन प्रत्याशी अंतर प्रजनक

सहित 21 संकरों व पाँच संदर्भ अंतर प्रजनकों) का मूल्यांकन खरीफ 2011 के दौरान डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत किया गया। प्रत्याशी किस्मों का 31 आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार खेत और प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया। निगरानी दल ने 25 सितम्बर 2011 को डीयूएस परीक्षणों का निरीक्षण किया।



2.10.9 ज्वार अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर), हैदराबाद (आ.प्र.)

केन्द्र ने ज्वार के लिए डीयूएस दिशानिर्देश विकसित किए हैं तथा 114 संदर्भ किस्मों का संकलन भी अनुरक्षित किया है जिसे भा.कृ.अ.प. और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान खरीफ में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत 31 संदर्भ किस्में थी। 12 संदर्भ किस्में रबी 2011–12 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के प्रथम वर्ष के अंतर्गत थीं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ज्वार की आठ नई प्रत्याशी किस्मों (केजेएच 6363, फुले चित्रा, केएसएमएस 233, सीएसएच 24एमएफ, डीएसवी 6, सीएसवी 24 एसएस, सीएसएच 23 और केएसआर 6203) तथा दो सामान्य ज्ञान की किस्मों (बीजीएस 801, पीवीके 809) को 25 संदर्भ किस्मों के साथ इस अनुसंधान निदेशालय



में दूसरे वर्ष परीक्षणाधीन रखा गया। नई श्रेणी के अंतर्गत 15 प्रत्याशी किस्में (एचटजीएस 3201, डीजीजे 021, डीजीजे 018, डीजीजे 017, डीजीजे 015, डीजीजे 020, एचजे 513) और आठ सामान्य ज्ञान की किस्में (जेकेएसएच 434, जेकेएसएच 234, एमआरएस 4094, एमआईजे 005, एनजेएच 40 (रत्ना), डीजीजे 019, केएसएमएस 263, केएसआर 6194) 6 संदर्भ किस्मों के साथ डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष में थीं।

इसके साथ ही सात प्रत्याशी किस्मों (आरएस 585, 104ए, 104बी, केएसएमएस 234, केएसएमएस 237, केएसआर 6192, केएसआर 6195) का 12 संदर्भ किस्मों के साथ रबी 2011–12 के दौरान इस अनुसंधान निदेशालय में नई व सामान्य ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत मूल्यांकन किया गया। डीयूएस परीक्षण के लिए गठित निगरानी दलों ने खरीफ और रबी के दौरान इस अनुसंधान निदेशालय के खेतों का दौरा किया तथा ये दल खेत परीक्षणों से संतुष्ट थे। इस केन्द्र ने डीयूएस करेक्टराइजेशन ऑफ इंडियन सॉर्घम पैरेंटल लाइंस हाइब्रिड्स एंड वैराइटीज शीर्षक की एक पुस्तक भी प्रकाशित की है जो विलास ए टोनापी, डॉ. जे.पी.पाटिल तथा उनके अन्य साथियों ने लिखी है। इसके अलावा यहां से पौधा किस्म सुरक्षा एवं वाणिज्यीकरण पर एक प्रशिक्षण नियम पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है।

2.10.10 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ (एमपीकेवी), राहुड़ी, अहमदनगर (महाराष्ट्र)

यह केन्द्र पी.पी.वी और एफ आर अधिनियम, 2001 के अधिदेशों को प्राप्त करने में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। यहां ज्वार की 25 किस्मों के डीयूएस परीक्षण किए गए जिनमें नई श्रेणी के रूप में 10 किस्में परीक्षण के द्वितीय वर्ष में, सामान्य ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत छह किस्में परीक्षण के प्रथम वर्ष में व सात नई किस्में परीक्षण के प्रथम वर्ष में खरीफ 2011 में संदर्भ किस्मों के साथ परीक्षणाधीन रहीं। रबी 2011–12 में नई किस्मों तथा सामान्य ज्ञान की तीन किस्मों का मूल्यांकन किया गया। बाजरा की चार किस्में और पाँच नई किस्में डीयूएस परीक्षण के द्वितीय वर्ष में थीं, जबकि 11 नई किस्में परीक्षण के प्रथम वर्ष में थीं। दो नई किस्में तथा पाँच सामान्य ज्ञान की किस्में डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष में रहीं। बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान इकाई, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी के अंतर्गत चल रहे डीयूएस परीक्षण केन्द्र को प्राधिकरण द्वारा 11 नवम्बर 2011 को नई दिल्ली में आयोजित 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर ‘राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बीच सर्वश्रेष्ठ डीयूएस परीक्षण केन्द्र’ का सम्मान प्रदान किया गया।

2.10.11 अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना, क्षेत्रीय केन्द्र मंदौर, जोधपुर (राजस्थान)

इस केन्द्र में बी वंशक्रमों (18), आर वंशक्रमों (16) तथा संकरों (19) सहित 53 जीनप्ररूप अनुरक्षित किए जा रहे हैं। इनका वर्ष

2011–12 के दौरान अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना, जोधपुर में सभी डीयूएस गुणों के लिए अध्ययन किया गया। सभी डीयूएस परीक्षणों के लिए पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। 11 संदर्भ किस्मों/उदाहरण किस्मों सहित दूसरे वर्ष के लिए पाँच प्रत्याशी किस्मों और पहले वर्ष के लिए सात किस्मों का अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना, मंदौर, जोधपुर और महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी में खरीफ 2011 के दौरान परीक्षण किया गया। मक्का अनुसंधान निदेशालय के पूर्व निदेशक डॉ. साई दास के नेतृत्व में निगरानी दल ने 22 सितम्बर 2011 को समन्वित अनुसंधान केन्द्र पर तथा 8 अक्टूबर 2011 को राहुड़ी में किए जा रहे डीयूएस परीक्षणों को देखा और पाया कि ये परीक्षण संतोषजनक थे।



अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में फसल किस्मों के पंजीकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। परियोजना समन्वयक (बाजरा) को नई दिल्ली में 11 नवम्बर 2011 को आयोजित एक समारोह में पुरस्कृत किया गया। अब तक प्राधिकरण ने 26 किस्में पंजीकृत की जा चुकी हैं। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में 4 किस्म संकर/किस्में पंजीकृत किए गए तथा 7 अन्य संकरों/किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया चालू है।

2.10.12 केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएफ), बैरकपुर, कोलकाता

यह संस्थान पटसन के डीयूएस परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत इस केन्द्र में सी.ओलिटोरियस की 18 किस्मों और सी.कैप्सुलेरिस की 15 किस्मों का अनुरक्षण किया गया है। केन्द्र में नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत प्रत्याशी किस्मों जेआरसी 532 और जेआरसी 517 के डीयूएस परीक्षण किए गए। ये परीक्षण दो निर्धारित केन्द्रों में समरूपता और स्थायित्व संबंधी गुणों के पर्यवेक्षण के लिए 2011–12 के दौरान नई किस्म

की श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय बढ़वार चक्र हेतु सम्पन्न किए गए। केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर और बुदबुद में 29 व 30 सितम्बर 2011 को डीयूएस परीक्षण की निगरानी की गई और निगरानी दल डीयूएस परीक्षणों से संतुष्ट था। दिनांक 12 मार्च 2012 को एक नई किस्म जेआरओ 2407 के पंजीकरण हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ।

2.10.13 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर

वर्ष 2011–12 के दोरान सीआईसीआर नागपुर में दो डीयूएस परीक्षण किए गए। जो दूसरे वर्ष में है, के अंतर्गत छह प्रत्याशी आवेदनों और 15 संदर्भ किस्मों को लिया गया है। परीक्षण II में चार प्रत्याशी आवेदनों और 1 संदर्भ किस्म को शामिल किया गया है। रेशा की गुणवत्ता संबंधी पाँच गुणों को छोड़कर सभी 32 गुणों का पर्यवेक्षण सभी किस्मों के मामले में डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। बीज पत्राधार पत्ती क्षेत्र की प्रति इकाई में गौसिपॉल ग्रंथि घनत्व की विविधता का अध्ययन भी इन जीनप्रूरुपों में अतिरिक्त गुण के रूप में किया गया। गुणवत्ता परीक्षण के लिए रेशे के नमूने ओटाई प्रशिक्षण केन्द्र, नागपुर को भेजे गए हैं। डीयूएस परीक्षण का निरीक्षण 4 नवम्बर 2011 को किया गया।

2.10.14 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर

केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कपास के लिए डीयूएस परीक्षण का नोडल केन्द्र है। इसके अतिरिक्त चार अन्य सह केन्द्र हैं : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड। तीन नई और एक सामान्य ज्ञान की किस्म के आवेदन सहित चार प्रत्याशी किस्में आठ संदर्भ किस्मों के साथ खरीफ 2011 के दौरान डीयूएस परीक्षण हेतु परीक्षण के प्रथम वर्ष में रहीं। आठ संदर्भ किस्मों के साथ 10 प्रत्याशी किस्में खरीफ 2011 के दौरान परीक्षण के द्वितीय वर्ष में थीं। पूर्व सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, भा.कृ.अ.सं., डॉ. बी.



बी. सिंह के नेतृत्व में डीयूएस परीक्षण की निगरानी 8 दिसम्बर 2011 को की गई तथा निगरानी दल खेत में दावा किए गए गुणों की अभिव्यक्ति से संतुष्ट था।

2.10.15 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को कपास और गेहूं के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र के रूप में नामित किया गया है। इन फसलों की प्रत्याशी किस्मों का उनकी संबंधित संदर्भ किस्मों के साथ पंजीकरण व सुरक्षा हेतु इस केन्द्र में परीक्षण किया जाता है। खरीफ 2011 के दौरान सात प्रत्याशी तथा 13 संदर्भ किस्मों सहित कुल 20 किस्में परीक्षण हेतु प्राप्त हुईं। डीयूएस परीक्षण के लिए अनुशंसित दिशानिर्देशों और सुझाई गई सस्य विधियों का उपयोग करके फसल उगाई गई। सभी 37 गुणों के लिए आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। डॉ. बी.बी.सिंह की अध्यक्षता में निगरानी दल ने 15 सितम्बर 2011 को परीक्षण को देखा और पाया कि डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार सम्पन्न किए जा रहे थे।




2.10.16 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू), हिसार

वर्ष 2011–12 के दौरान चतुर्गुणित कपास की 25 किस्मों के बीच केन्द्र को आपूर्त किए गए जिन्हे 18 मई 2011 को परीक्षण दिशानिर्देश के अनुसार बोया गया। इन किस्मों में से 5 किस्में नामतः राजा 507 (के.डी.सी.एच.एच 507 बीटी), आरसी.एच 308 बीटी, आरसी.एच 317 बीटी, आरसी.एच 314 बीटी और आरसी.एच 134 बीटी डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष में थीं और शेष परीक्षण के दूसरे वर्ष में थीं। परीक्षण का निरीक्षण 4 सितम्बर 2011 को किया गया और निरीक्षण दल डीयूएस परीक्षणों से संतुष्ट था।

2.10.17 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), लखनऊ

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान गन्ना की डीयूएस परीक्षण केन्द्र के लिए नोडल केन्द्र है। तीन नई प्रत्याशी किस्मों सीओ 0118, सीओ 0238 और सीओ 0239 को आठ संदर्भ किस्मों नामतः सीओ 453,

सीओ 6811, सीओ 89029, सीओबी 94164, सीओएस 99259, सीओएस 92423, सीओएस 96268 और सीओएस 770 को डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस परीक्षण के लिए रोपा गया। तुलना के लिए संदर्भ किस्मों का चयन तीन समूहीकरण गुणों नामतः पौधे के बढ़वार स्वभाव, पत्रदल के घुमाव और पत्राच्छद के चिपके रहने के आधार पर तुलना की गई।



2.10.18 गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयम्बत्तूर तथा अगाली व करनाल में इसके क्षेत्रीय केन्द्र

गन्ना प्रजनन संस्थान गन्ना के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है तथा अगाली (केरल) और करनाल (हरियाणा) स्थित क्षेत्रीय केन्द्र इसके सह-केन्द्र हैं। अगाली और करनाल में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान उच्च तथा उपोष्ण किस्मों के अंतर्गत 76 संदर्भ और 94 उदाहरण किस्में अनुरक्षित की गई। इस संस्थान में 2011 के दौरान 174 संदर्भ किस्में अनुरक्षण के अधीन थीं। पूर्वजाता, अधिसूचना, जारी होने के वर्ष, अनुकूलन के क्षेत्र डीयूएस गुणों, आवर्तता वितरण, उदाहरण किस्मों तथा रंगीन चित्रों को संदर्भ किस्मों के विवरण के डेटाबेस को प्रकाशित किया गया है और इसका 14 दिसम्बर 2011 को भा.कृ.अ.प. के महानिदेशक ने विमोचन किया। महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण श्री सतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव, विधायी मामले और संयुक्त रजिस्ट्रार ने 29 जनवरी 2012 को खेत परीक्षणों का निरीक्षण किया।




2.10.19 प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय (डीआजीआर), राजगुरुनगर

प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय केन्द्र प्याज और लहसुन के डीयूएस परीक्षणों के लिए उत्तरदायी है। यहां प्याज की 49 (41 रबी में और आठ खरीफ के दौरान) तथा लहसुन की 18 किस्मों का अनुरक्षण किया गया है। सीआईटीएच, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में प्याज और लहसुन की दीर्घावधि किस्में अनुरक्षित की जा रही हैं। प्याज की प्रगुणित प्रकार की किस्में तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर में अनुरक्षित की जा रही हैं और शेष किस्मों का रखरखाव पुणे में ही किया जा रहा है। यह केन्द्र नई जारी की गई किस्मों के पंजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।



प्याज किस्मों में विविधता



लहसुन किस्मों में विविधता

2.10.20 तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय (डीआरएमआर), भरतपुर

तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय अनुसंधान निदेशालय भारतीय सरसों और तोरिया सरसों की किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन, गुण-निर्धारण व डीयूएस परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। इस उद्देश्य से एक अन्य केन्द्र चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर है। इस केन्द्र में ब्रैसिका की लगभग 125 किस्मों का रखरखाव किया गया है जिसमें से ब्रैसिका जुसिया (भारतीय सरसों)

की 81, तोरिया की 13 किस्में, पीली सरसों की 12 किस्में गोभी सरसों व करन राई की छह किस्में, तारामीरा की तीन और भूरी सरसों की दो किस्में संदर्भ किस्म के रूप में इस अवधि के दौरान शामिल की गई। एक कृषक किस्म सितारा श्रृंगार और एक नए संकर 45एस45 को डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत आजमाया जा रहा है। दोनों केन्द्रों पर प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का निरीक्षण डॉ. जे.एल.सिंह के नेतृत्व में 30 जनवरी 2012 को तोरिया सरसों अनुसंधान निदेशालय में और 1 फरवरी 2012 को चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में किया गया।



2.10.21 सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर), इंदौर

सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड (दोनों सहकेन्द्र) के साथ सोयाबीन के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। इस केन्द्र में सोयाबीन की 94 किस्मों का रखरखाव किया गया है। इसी प्रकार, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पिछले वर्ष इकहरी कतार में बोए गए और अलग से काटे गए एकल सच्चे प्रकार के पौधों का चयन करके विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त सोयाबीन की 90 जारी की गई व अधिसूचित किस्मों का अनुरक्षण किया गया।



2.10.22 मूँगफली अनुसंधान निदेशालय (डीजीआर), ईवनगर, जूनागढ़

मूँगफली अनुसंधान निदेशालय को मूँगफली के डीयूएस परीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और यहां 30 संदर्भ किस्में रखी गई हैं। डीयूएस परीक्षण प्लॉटों के क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। इस केन्द्र ने मूँगफली की तीन किस्में आरएआरएसटी -1, प्रतापराज मूँगफली-1 और आरजी 425 जारी की हैं। केन्द्र में 27–28 जनवरी 2012 को एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा प्रतिभागियों को पी.ए.वी और एफ.आर अधिनियम और डीयूएस परीक्षण के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। इस प्रशिक्षण से प्रतिभागियों के सामान्य रूप से बौद्धिक सम्पदा अधिकारों और विशेष रूप से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में संकाओं का समाधान हुआ।



2.10.23 जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय (जे.एयू), जामनगर

यह अरण्ड के लिए भी डीयूएस परीक्षण का सहकेन्द्र है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान 11 संकरों, 18 पूर्वजों और 6 किस्मों से युक्त 35 जीनप्ररूप 13 अगस्त 2012 को बोए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों से प्राप्त अरण्ड के 18 संकरों, पूर्वजों तथा किस्मों का गुण-निर्धारण भी किया गया।

2.10.24 तिलहन अनुसंधान निदेशालय(डीओआर), हैदराबाद

तिलहन अनुसंधान निदेशालय सूरजमुखी, कुसुम और अरण्ड के लिए डीयूएस परीक्षण का नोडल केन्द्र है। अरण्ड में इस केन्द्र ने चार किस्मों, दो संकरों तथा चार पूर्वज वंशक्रमों का मूल्यांकन किया। संदर्भ संकलन तथा उदाहरण किस्मों के लिए नई किस्मों का



गुण-निर्धारण अरण्ड के मामले में खरीफ मौसम के दौरान किया गया। 30 गुणों के लिए तीन नई किस्मों, तीन उदाहरण किस्मों और दो पूर्वज वंशक्रमों के गुण निर्धारण किए गए और आंकड़ों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। रबी 2011–12 के दौरान कुसुम की दो संदर्भ किस्मों का गुण-निर्धारण किया गया।

सूरजमुखी में दो नए संकरों, एक किस्म तथा एक पूर्वज वंशक्रम का गुण-निर्धारण किया गया। सूरजमुखी के लिए डीयूएस परीक्षण रबी 2011–12 में 34 प्रत्याशी किस्मों (22 नई और 12 सामान्य ज्ञान की किस्मों) में आरंभ किया गया। 5 नवम्बर को बुवाई करके तीन पृथक प्रतिकृति परीक्षण संकर की जांच हेतु किए गए तथा 6 नवम्बर 2011 को आर वंशक्रम और ए वंशक्रम परीक्षणों के लिए बुवाई की गई। संकर परीक्षण में 14 प्रत्याशी और आठ संदर्भ प्रविष्टियां शामिल की गईं। आर वंशक्रम परीक्षण पाँच प्रत्याशी और तीन संदर्भ किस्मों पर किए गए गए, जबकि ए-वंशक्रम परीक्षण 15 प्रत्याशी किस्मों पर किए गए जिनमें 1 बी वंशक्रम और 1 अंतर्रजनित पूर्वज वंशक्रम व पाँच संदर्भ किस्में शामिल थीं। निगरानी दल ने 28 जनवरी 2012 को सूरजमुखी डीयूएस परीक्षण का निरीक्षण किया। तीन निजी बीज कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे और वे फसल की अभियक्ति और परीक्षण से अत्यधिक संतुष्ट थे। डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार, पी.पी.वी. और एफ.आर.ए ने 7 फरवरी 2012 को सूरजमुखी के डीयूएस परीक्षण को देखा। इस केन्द्र ने दो विद्यमान किस्मों और दो संकर किस्मों अर्थात् चार के पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल किए हैं।

2.10.25 डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ (पीडीकेवी), अकोला

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ कुसुम और अरहर के लिए सह नोडल केन्द्र में से एक है। इस केन्द्र में कुसुम की 27 किस्मों और अरहर की 64 किस्मों का अनुरक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 के दौरान अरहर की ऋचा-2000 किस्म डीयूएस परीक्षण के प्रथम वर्ष में थी। कुलपति पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों ने इस केन्द्र का दौरा किया।

2.10.26 परियोजना समन्वयक (तिल और नाइजर) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय तिल तथा नाइजर के डीयूएस परीक्षण के लिए उत्तरदायी है तथा परियोजना समन्वयक (तिल और नाइजर) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। तिल की 72 किस्में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत हैं।

2.10.27 चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसएयूए एंड टी), कानपुर

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गेहूं अलसी और सरसों के लिए नोडल केन्द्र है। अलसी की शुभ्रा,

गरिमा, शेखर, शीला, श्वेता, टी 397, शिखा, पदमिनी, पार्वती, शारदा, नीलम और रेशमी 2011–12 के दौरान अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत थीं। सरसों की एक किस्म (45एस45) और एक कृषक किस्म (सितारा श्रृंगार) डीयूएस परीक्षणाधीन थीं। डीयूएस परीक्षण दल ने केन्द्र का दौरा किया और पाया कि परीक्षण हर पहलू से संतोषजनक थे।

2.10.28 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर), वाराणसी

संदर्भ किस्मों के अनुरक्षण के लिए भा.कृ.अ.सं. के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से टमाटर, बैंगन, भिण्डी, सब्जी मटर, राजमा, फूलगोभी और बंदगोभी की किस्में एकत्र की गईं। इन किस्मों का रखरखाव डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। इन फसलों की किस्मों तथा आकृति विज्ञानी गुणों के इनके महत्वपूर्ण विवरण सारणी 6 में दिए गए हैं।

सारणी 6: डीयूएस परीक्षण में प्रयुक्त सब्जी फसलों के संदर्भ संकलन

क्रं स.	फसलें	2011–12	
		किस्मों की संख्या	आकृतिविज्ञानी गुणों की संख्या
1.	टमाटर (सोलेनम लाइकोपर्सिकम एल.)	83	46
2.	बैंगन (सोलेनम मेलोन्जेना एल.)	81	47
3.	भिण्डी (एब्लेमॉस्कस एस्क्यूलैंटस एल.मोयंक)	39	31
4.	सब्जी मटर (पाइसस सेटाइवम एल.)	45	21
5.	राजमा (फेसियोलस वल्लोरिस एल.)	25	22
6.	फूलगोभी (ब्रैसिका ओलिरेसिया किस्म बोट्राइटिस)	12	28
7.	बंदगोभी (ब्रैसिका ओलिरेसिया किस्म कैपिटाटा)	6	28



बैंगन के रंग व आकृति में विविधता

2.10.29 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान टमाटर, बैंगन, भिण्डी, गुलदाउदी और गुलाब के लिए डीयूएस केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्थान में भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त टमाटर (28), बैंगन (35), भिण्डी (19) और बागान मटर (29) की संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया है। डच प्रतिनिधि मंडल के साथ प्राधिकरण के रजिस्ट्रार डॉ. पी.के.सिंह ने 4 अप्रैल 2011 को संस्थान का दौरा किया। बाद में, डॉ. पी.एल.गौत्तम, अध्यक्ष, पी.पी.वी. और एफ.आर.ए तथा डॉ. मनोज श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार, पी.पी.वी. और एफ.आर.ए ने 24 अप्रैल 2011 को संस्थान का दौरा किया।

2.10.30 भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), कोझीकोड़

'मसालों के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र की स्थापना' का कार्यान्वयन भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.प.), कोझीकोड़ में किया जा रहा है और इसका अधिदेश अदरक, हल्दी, काली मिर्च व छोटी इलायची की फसल प्रजातियों का डीयूएस परीक्षण है। अन्य समन्वयन केन्द्र हैं : भा.कृ.अ.प. का उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर, बड़ापानी (अदरक और हल्दी के लिए) और भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, मैलादुमपारा; इलायची अनुसंधान केन्द्र, हेरावनाद (काली मिर्च के लिए)। इन केन्द्रों में अदरक की 28 संदर्भ किस्मों हल्दी की 35, छोटी इलायची की 21 और काली मिर्च की 15 किस्मों का मूल्यांकन किया गया। अदरक के मामले में 13 डीयूएस विवरणों के लिए गुण-निर्धारण और प्रकंद के गुणों का मूल्यांकन फसल की कटाई के बाद किया जाएगा। हल्दी में 24 डीयूएस विवरणों पर आंकड़े रिकार्ड किए गए।

2.10.31 पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु गुलाब एवं गुलदाउदी के डीयूएस परीक्षण केन्द्र है। संदर्भाधीन अवधि के दौरान नए दिशानिर्देशों के अनुसार गुलाब की 33 संदर्भ किस्मों का गुण-निर्धारण किया गया है और आंकड़ों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। कुल 33 किस्मों में से 20 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की थीं तथा 13 अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई थीं। इन किस्मों का उपयोग भविष्य में परीक्षण किस्मों की तुलना के लिए किया जाएगा। इस संस्थान के पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग ने राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान और शौकिया प्रजनकों द्वारा विकसित गुलदाउदी की किस्मों का एक

श्रेष्ठ संकलन है तथा इसके साथ ही इस संकलन में अनेक विदेशी किस्में भी शामिल हैं। इसी प्रकार, अन्य स्रोतों (37), भा.कृ.अ.सं. (2) और भा.क.अ.प. (6) से गुलदाउदी की 45 किस्मों के संकलन का गुण-निर्धारण कार्यबल द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए गए नए परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। नौ नए उत्प्रजनक गुलाबी मुड़े हुए, गुलाबी लहरदार, लाल, नींबू के समान पीले, चमकीले पीले, पीले, गेंदा की किस्मों तथा सरसों जैसे पीले उत्प्रजनकों की तुलना उनके पूर्वज थाई चेन क्वीन के साथ की गई और यह पाया गया कि ये उत्प्रजनक एक वानस्पतिक तथा 7 पुष्पीय गुणों की दृष्टि से अपने पूर्वज से पर्याप्त भिन्न थे। गुलदाउदी की दो किस्मों नामतः पूसा अनमोल और पूसा सेंटेनरी के लिए पादप प्रजनक के अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए हैं।


2.10.32 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान गुलाब और गुलदाउदी के लिए मुख्य डीयूएस परीक्षण केन्द्र है। अब तक गुलाब की 64 और गुलदाउदी की 38 किस्में अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत हैं। इस केन्द्र ने गुलाब की चार



चित्र 1: नव प्ररोह : नव प्ररोह का एंथोसियानिन रंग

और गुलदाउदी की 16 किस्में जारी कीं। खेत में प्रति किस्म चार पौधे रखे गए, जहां पौधों की संख्या कम है वहां प्लॉट में दो पौधे रखे गए। दस कर्तित फूल प्रकार की किस्में संकलित की गई हैं और इन्हें संरक्षित स्थितियों के अंतर्गत उगाया जा रहा है। गुलाब की किस्मों का डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 61 डीयूएस गुणों के लिए गुण-निर्धारण किया गया। सम्पूर्ण रंग समूह के अंतर्गत आने वाली सभी किस्में इस संकलन में उपलब्ध हैं। इस संस्थान ने डीयूएस परियोजना



चित्र 2 : गुलाब के लिए सृजित पॉलीहाउस सुविधा

के लिए गुलाबों की एक राष्ट्रीय रिपोजिटरी स्थापित की है जहां गुलाब की भारतीय और विदेशी, दोनों किस्मों का संकलन किया गया है। गुलाब की रिपोजिटरी खुले खेत में और सुरक्षित स्थितियों के अंतर्गत स्थापित की गई है। गुण-निर्धारण तथा डिजिटल डैटाबेस का विकास डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। डिजिटल रिपोजिटरी में संदर्भ किस्मों के सभी दृष्टव्य गुणों के साथ-साथ पर्यवेक्षण के अधीन प्रत्येक गुण के लिए अवस्थाओं की दृष्टव्य तुलना का प्रावधान भी है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान 'सजीव रिपोजिटरी', 'आंकड़ों की डिजिटल रिपोजिटरी' तथा 'दृष्टव्य गुणों की डिजिटल रिपोजिटरी' पर सारांश सूचना सृजित की गई। (सारणी 7)।

सारणी 7: गुलाब की डिजिटल रिपोजिटरी का विवरण

वर्गीकरण	सजीव रिपोजिटरी	आंकड़ों की डिजिटल रिपोजिटरी	दृष्टव्य गुणों की डिजिटल रिपोजिटरी
भारतीय किस्में (सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन)	24	21	3
भारतीय किस्में – (निजी प्रजनक)	30	16	8
विदेशी किस्में	117	27	20
पॉलीहाउस किस्में	10	2	-7
कुल	181	66	31

2.10.33 केन्द्रीय सगंधीय एवं औषधीय पादप संस्थान (सीआईएमएपी), लखनऊ

केन्द्रीय सगंधीय व औषधीय पादप संस्थान सगंधीय व — औषधीय पौधों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने, खेत सुविधाएं विकसित करने, डिजिटलीकरण, औषधीय एवं सगंधीय पौधों और बीज मसालों में प्रशिक्षण प्रदान करने के



लिए उत्तरदायी है। पांच अधिदेशित फसलों, नामतः पुदीना (मैथा अर्वेन्सिस), सदाबहार (कैथेरेंथस रोजियस), अश्वगंधा (विथानिया सोमनीफेरा), दमस्क गुलाब (रोजा डेमासेना) और ब्रह्मी (बैकोपा मोनिएरी) की संदर्भ किस्में डीयूएस परियोजना के लिए विकसित अलग ब्लॉक में रखी गई। संदर्भ किस्मों की सूची सारणी 8 में दी गई है।

सारणी 8: औषधीय एवं सगंधीय पौधों की संदर्भ किस्मों की सूची

क्र. सं.	फसल प्रजातियां	किस्मों का नाम
1.	पुदीना (मैथा अर्वेन्सिस)	कोशी, एमएएस1, कालका, शिवालिक, गोमती, संभव, हिमालय, सक्षम, कुशल, सीआईएमएपी, सरयू
2.	सदाबहार (कैथेरेंथस रोजियस)	धवल, निर्मल, प्रबल
3.	ब्रह्मी (बैकोपा मोनिएरी)	सीआईएम-जागृति, सुबोधक
4.	दमस्क गुलाब (रोजा डेमासेना)	रानीसाहिबा, नूरजहां, अलीगढ़, कन्नौज
5.	अश्वगंधा (विथानिया सोमनीफेरा)	पोषिता, सीडब्ल्यूएस 81

फरवरी 2011 में नौ किस्मों के साथ डीयूएस सुविधा में पुदीना के फील्ड परीक्षण लगाए गए। पुदीना के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार 13 गुणों के आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। अगले वर्ष की रोपाई के लिए तीन अन्य फसलों (कैथेरेंथस रोजियस, विथानिया सोमनीफेरा और बैकोपा मोनिएरी) के बीजों की कटाई पूरी की जा चुकी है। सकर या चूषक उत्पादन के लिए पुदीने की सभी किस्मों की रोपाई फरवरी 2012 में परीक्षण लगाने के लिए की गई। केन्द्र द्वारा किए गए कुछ क्रियाकलाप हैं : कैथेरेंथस रोजियस, विथानिया सोमनीफेरा और बैकोपा मोनिएरी की 2011–12 मौसम के दौरान रोपाई के लिए नर्सरियां उगाना; रोजा डेमेसेना की कटाई-छांटाई; और फरवरी 2012 में 10 किस्मों के साथ डीयूएस परीक्षण सुविधा में मैथा अर्वेन्सिस के परीक्षण लगाने और प्रगुणन के लिए इनकी रोपाई। वर्ष 2012 में 10 किस्में इस केंद्र के क्रियाकलापों का मुख्य स्रोत थी।

2.10.34 केन्द्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान, कासरगोड

केन्द्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान केन्द्र ने नारियल के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित किए हैं जिन्हें गजट में अधिसूचित किया गया है। अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत 10

संदर्भ किसमें हैं तथा कुछ चुनी हुई नारियल किसमें नामतः डब्ल्यूसीटी, सीओडी, चन्द्र शेखर, केरा संकरा, कल्पप्रतिभा, कल्पमित्रा, चन्द्रकल्पा, केराचन्द्रा, कल्पधेनु और कल्परक्षा के स्वस्थ बीज बोए गए तथा उनके अंकुरण के समय से ही पर्यवेक्षण लिए गए। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार एक वर्ष की पौध पर नारियल की पौध संबंधी पर्यवेक्षण किए गए। ये पर्यवेक्षण अंकुरण के बाद से लिए गए, ताकि डेटाबेस के विकास के लिए अतिरिक्त आंकड़ों के सृजन हेतु एक वर्ष की अवधि के पूर्व किसमें के बीच विविधता को देखा जा सके। अंकुरण में लगने वाले समय तथा अंकुर के रंग संबंधी पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। बुवाई के तीन माह और छह माह के अंतराल पर पौधे की लंबाई, मुख्य तने की मोटाई और पत्तियों की संख्या पर पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए गए। आरंभिक पर्यवेक्षणों से अंकुरण में लगने वाले समय और अंकुर के रंग में विविधता पाई गई। केराचंद्रा, कल्पप्रतिभा, सीओडी और कल्पधेनु में अगेती अंकुरण पाया गया जबकि कल्पमित्र में पछेती अंकुरण नोट किया गया। केराचंद्रा, कल्पप्रतिभा में वृद्धि दर अधिक थी, जबकि कल्पमित्र में कम थी। केराचंद्रा के पौधे सबसे अधिक लंबे थे, उनके मुख्य तने की मोटाई ज्यादा थी और पत्तियों की संख्या भी अधिक थी। इसके साथ ही पत्तियों का फुटाव भी अगेती था।

2.10.35 केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आलू के लिए नोडल केंद्र है। यहाँ कुल 167 किसमें का संदर्भ संकलन रखा गया; शिमला में परखनली में 138 तथा कुफरी व मोदीपुरम खेत में 106 का। इनमें 46 सीपीआरआई द्वारा जारी की गई किसमें, तीन राज्य की किसमें, पाँच भारत में अन्यत्र जारी की गई किसमें, 20 भारत में उगाई जाने वाली विदेशी किसमें, 64 देशी किसमें/संख्या तथा 29 उपोव उदाहरण किसमें शामिल हैं।

कंद रूप में न उपलब्ध 16 कल्वरों के लघु-कंद परखनली उप पौधों से उत्पन्न किए गए तथा कुफरी के खेत अनुरक्षण में जोड़े गए। कुफरी में डीयूएस विवरणों के अनुसार 59 किसमें/नमूनों (सीपीआरआई के लिए) का पुष्टीय गुणों के लिए गुण-निर्धारण किया गया। विभिन्न संरक्षण स्थलों पर विभिन्न संदर्भ किसमें की उपलब्धता के संबंध में कम्प्यूटर डेटाबेसों को अद्यतन किया गया।

2.11 डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

डीयूएस केन्द्रों प्राधिकरण के स्थापना दिवस के पश्चात् डीयूएस परीक्षण केन्द्रों व परियोजनाओं की चौथी समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक 11 और 12 नवम्बर 2011 को 9 परिचार्चात्मक तकनीकी सत्रों में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पी.एल.गौत्तम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। विभिन्न डीयूएस



केन्द्रों/परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने अपने क्रियाकलापों और प्रगति पर प्रकाश डाला। खेत, बागवानी तथा सब्जी वाली फसलों; जीन बैंकों और उनके प्रबंध; कृषक किसमें; औषधीय एवं सगंधीय पौधों, बीज मसालों के लिए डीयूएस केन्द्रों; वृक्ष प्रजातियों, फलों आदि के लिए डीयूएस केन्द्रों पर चर्चा हुई। डीयूएस परीक्षण केन्द्र/परियोजनाओं की वित्तीय निगरानी व प्रबंध के लिए अलग से एक सत्र आयोजित किया गया। समापन सत्र में प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं से डीयूएस केन्द्रों के निष्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भावी क्रियाविधि व दिशा उपलब्ध हुई। इस मंच से प्रतिभागियों को डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं के प्रबंध व कार्यों के संबंध में अधिक स्पष्टता प्राप्त हुई। समीक्षा बैठक की प्रमुख अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:

- बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित सभी किसमें को यथाशीघ्र पंजीकृत किया जाना चाहिए। भा.क.अ.प. के संस्थानों; बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ; एनबीपीजीआर, नई दिल्ली; तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से इस उद्देश्य से गहन प्रयास करने का अनुरोध किया गया।
- सभी विद्यमान किसमें का प्रलेखन व डीयूएस गुण-निर्धारण किया जाना चाहिए। डीयूएस केन्द्र/संबंधित संगठन और संस्थान इस कार्य में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भा.कृ.अ.प. के संस्थानों के वैज्ञानिकों को, जैसे ही उनकी किसमें भा.कृ.अ.प. की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के प्रगत किसमगत परीक्षण-प्र. में प्रवेश करे, उन्हें अपनी किसमें को नई किसमें के रूप में पंजीकृत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- डीयूएस केन्द्रों/अन्य पण्धारियों के सहयोग से सामुदायिक जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। आयोजकों को इनका फीडबैक/प्रभाव प्राधिकरण को उपलब्ध कराना चाहिए।
- राष्ट्रीय जीन बैंक को उचित स्कीमें/परियोजनाएं विकसित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से उदार चंदों/योगदानों से समृद्ध बनाना चाहिए।

- भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की किस्मों के संबंध में पीपीवी-2 और जीयूआरटी हलफनामे पर आवेदक की ओर से संबंधित परियोजना समन्वयक को हस्ताक्षर करने चाहिए।
- प्राधिकरण के जीन बैंक को जीन बैंक भंडारण की मानक विधियों के अनुसार पंजीकृत किस्मों के भंडारित बीजों की जांच करनी चाहिए। यह जांच फसल प्रजातियों के साथ-साथ बीजों की जीवनशीलता बनाए रखने के लिए, जब भी आवश्यक हो की जानी चाहिए।
- संदर्भ किस्मों के चयन को तर्कसंगत रखना चाहिए, ताकि प्रत्याशी किस्म के अत्यधिक समान किस्मों की संख्या दावा किए गए गुणों के संदर्भ में न्यूनतम रखी जा सके।
- डीयूएस परीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंतरप्रजनकों की अंतर-प्रजनक संदर्भ किस्मों से तुलना की जाए तथा संकर की केवल संकरों से तुलना की जाए।
- विद्यमान फसल प्रजातियों की डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों की समीक्षा की प्राधिकरण द्वारा पुनः समीक्षा की जानी चाहिए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नई/विद्यमान/कृषक किस्मों/सामान्य ज्ञान की किस्मों के पंजीकरण, डीयूएस अंकड़ों की रिकॉर्डिंग, खेत/बीज जीन बैंकों आदि जैसे विभिन्न क्रियाकलापों पर विभिन्न भाषाओं में दिशानिर्देश और मैनुअल या नियम पुस्तकों विकसित की जानी चाहिए।
- नोडल डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्याशी किस्मों के परीक्षण और संदर्भ किस्मों के रखरखाव के लिए उप केन्द्रों को संदर्भ किस्मों की बीज सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
- भा.कृ.अ.सं., क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल को बासमती चावल की किस्मों के डीयूएस परीक्षण हेतु उप केन्द्र के रूप में पहचाना जा सकता है।
- झारखण्ड, ओडिशा और तमिल नाडु राज्यों में चावल की कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु वीएएनजीएचएआई, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर; चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद; और केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कृषक किस्मों की पहचान करने और उनकी किस्मों को कृषकों के क्षेत्र में पंजीकृत करने के लिए एक दल का गठन करना चाहिए।
- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राय्यी और बी.एस.कॉकण कृषि विद्यापीठ, धपोली के जीन बैंकों को जीन बैंक ब्लॉक, डीयूएस परीक्षण ब्लॉक (मूल स्टॉक सामग्री युक्त), संदर्भ किस्म ब्लॉक (सर्वाधिक अंतरा किस्मगत विविधता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय और वाणिज्यिक किस्मों का संकलन करके) विकसित करने चाहिए, विशिष्ट फसल के संस्थानों के परामर्श से संदर्भ संकलनों को समांगीकृत करना चाहिए तथा आम/अदरक/काली मिर्च/इलायची/सिट्रस/केला आदि में संदर्भ किस्मों का गुण-निर्धारण करना चाहिए।
- डीयूएस केन्द्र को प्राधिकरण के इंडस डेटाबेस को अद्यतन व समृद्ध करते रहना चाहिए।
- डीयूएस के लिए अन्य निर्धारित सिट्रस प्रजातियों में सिट्रस ग्रेन्डिस एल. को और शामिल किया जाना चाहिए।
- नोडल अधिकारी को अपने प्रस्तुतीकरण के दौरान, यदि दावा किए गए गुणों में कोई विविधता पाई गई हो, तो डिजिटल फोटोग्राफों के साथ अपनी प्रत्याशी किस्मों के दावा किए गए गुणों के बारे में बताना चाहिए।
- डीयूएस केन्द्रों को आंकड़े संकलित करने के पश्चात् एक महीने में प्राधिकरण को डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई देरी न हो। इसके साथ ही केन्द्रों को उन किस्मों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिनके डीयूएस परीक्षण पूरे हो गए हों।
- क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संगठनों के सहयोग से खेत जीन बैंकों के लिए मैनुअल या नियम पुस्तिकाएं विकसित की जानी चाहिए।
- केन्द्रों को जारी किए गए डीयूएस परीक्षण शुल्कों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पहले प्रस्तुत कर देना चाहिए।
- डीयूएस परियोजनाओं/केन्द्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

2.12 राष्ट्रीय जीन बैंक

राष्ट्रीय जीन बैंक के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 27 में यह प्रवधान है कि प्रजनक को राष्ट्रीय जीन बैंक में पंजीकृत किस्म के पूर्वज वंशक्रम बीजों सहित निर्धारित मात्रा में बीज या रोपण सामग्री जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त पीपीवी और एफआर नियमावली 2003 के अनुसार बीजों के नमूने तथा अन्य संबंधित सामग्री को आनुवंशिक शुद्धता, समरूपता और अंकुरण, स्वच्छता व पादप स्वच्छता मानकों के अनुरक्षण योग्य मानकों के अनुसार रखा जाएगा। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), पूसा, नई दिल्ली की पुराने परिसर में एक पृथक राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया गया है। इस सुविधा का रखरखाव एनबीपीजीआर के तकनीकी मार्गदर्शन में किया जा रहा है। मध्यम अवधि की भंडारण स्थितियों के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के सच्चे बीजों तथा डीयूएस/ग्रो आउट परीक्षण के अंतर्गत उगाई जाने वाली किस्मों के बीज नमूने भी संरक्षित किए जा रहे हैं।

2.12.1 पंजीकृत किस्मों के बीजों का मध्यावधि भंडारण

बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित 322 विद्यमान किस्मों, 22 नई किस्मों और तीन कृषक किस्मों, जिन्हें

पंजीकरण प्रमाण—पत्र 2008–09 से दिए जा चुके हैं। 40 से. तापमान और 30+ प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता की नियंत्रित जलवायु वाली स्थितियों के अंतर्गत बीज भंडारण के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई बीज कैबिनेटों में रखे गए हैं, ताकि दीर्घावधि के दौरान बीज नमूनों की कार्यकीय जीवनशीलता सुनिश्चित बनी रहे।

पंजीकृत किस्मों के बीज नमूने सुरक्षा की अवधि के दौरान भंडारित किए जाते हैं और इनकी जीवनशीलता को फसल विशिष्ट मानकों व अपेक्षाओं के अनुसार समय—समय पर जांचा जाता है (सारणी 9)। यदि आवश्यक हो तो बीज नमूनों को पुनः जीवनशील बनाया जाता है या यदि बीजों की जीवनशीलता नष्ट हो जाती है तो प्रजनकों को ताजे बीज नमूने प्रस्तुत करने को कहा जाता है जिसकी लागत उन्हें स्वयं वहन करनी होती है। इन बीजों को उपयुक्त आकार के तीन पर्त वाले एल्यूमीनियम के थैलों या अन्य बीज पैकेटों में उचित लेबल लगाकर सावधानीपूर्वक सीलबंद किया जाता है। लेबल पर प्रत्याशी किस्म का नाम, पौधा किस्म रजिस्ट्री द्वारा आबंटित आवेदन संख्या, श्रेणी (नई/विद्यमान/कृषक किस्म/सामान्य ज्ञान की किस्म) आदि, कटाई का वर्ष और बीज गुणवत्ता संबंधी प्राचल (नमी अंश, जीवनशीलता और आनुवंशिक शुद्धता) अंकित किए जाते हैं। बीज की सम्पूर्ण निर्धारित मात्रा को दो समान आकार के बीज पैकेटों/थैलों में प्रस्तुत करना होता है। जीन बैंक डेटाबेस और बीज नमूनों की

बार कोडिंग के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

2.12.2 डीयूएस परीक्षणाधीन किस्मों का अल्पावधि भंडारण

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 19 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक आवेदक यह मूल्यांकन करने के लिए उचित परीक्षण करने हेतु रजिस्ट्रार को प्रत्याशी किस्मों का बीज प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तुत की गई किस्म विनियमों में निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। नियम, 29(1)(ग) में यह भी विनिर्दिष्ट है कि विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण कम से कम 2 फसल मौसमों के लिए खेत में और अनेक स्थानों पर किए जाने चाहिए। अतः नई श्रेणी के अंतर्गत किस्मों के लिए डीयूएस परीक्षण विभिन्न स्थानों पर 2 वर्षों तक किए जाते हैं जबकि सामान्य ज्ञान की किस्मों और कृषक किस्मों के लिए ग्रो आउट परीक्षण विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष के लिए किए जाते हैं। आवेदक को पंजीकरण व डीयूएस परीक्षण शुल्क के साथ नई और सामान्य ज्ञान की किस्मों के पंजीकरण हेतु फसल विशिष्ट मानकों के अनुसार बीजों की वांछित मात्रा प्रस्तुत करनी होती है। कृषक किस्मों के मामले में आवेदक को केवल धारा 44 के अनुसार बीजों की निर्धारित मात्रा ही प्रस्तुत करनी होती है।

सारणी 9: मध्यावधि भंडारण स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित पंजीकृत किस्मों के बीज नमूने

क्र.सं.	फसल	2008–09		2009–10		2010–11		2011–12		कुल
		सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	
1.	उड्ढ	4	0	4	0	1	0	1	0	10
2.	चना	0	0	0	0	1	0	14	0	15
3.	कपास	0	0	0	0	2	0	31	3	36
4.	खेत मटर	8	0	6	0	6	0	0	0	20
5.	मूंग	5	0	12	0	3	0	0	0	20
6.	पटसन	0	0	0	0	0	0	7	0	7
7.	राजमा	1	0	2	0	2	0	0	0	5
8.	मसूर	5	0	1	0	3	0	1	0	10
9.	मक्का	6	0	14	2	30	1	13	10	76
10.	बाजरा	5	1	17	6	0	0	4	7	40
11.	अरहर	0	0	0	0	0	0	2	0	2
12.	चावल	0	1	2	0	5	0	11	2	21
13.	ज्वार	3	1	8	0	1	0	3	4	20
14.	गेहूं	0	0	46	5	5	0	6	0	62
	योग	37	3	112	13	59	01	93	26	344

31 मार्च 2012 को 525 नई किस्मों, 366 सामान्य ज्ञान की किस्मों और 359 कृषक किस्मों के बीज नमूनों का अल्पावधि भंडारण किया जा रहा था। बीज नमूनों के प्रतिनिधि डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में भेजे गए और शेष को किसी आकस्मिक रिथित के लिए रखा गया। इन बीज पैकेटों को पंजीकरण की पूरी अवधि के दौरान पंजीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी होने तक 20+20 पर भंडारित किया जाता है। तथापि, एक बार जब कोई प्रत्याशी किस्म पंजीकरण प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की पात्र हो जाती है तो आवेदक को मध्यम अवधि के भंडारण हेतु ताजे बीज नमूने देने का निर्देश दिया जाता है।

2.12.3 बीज मानक

आवेदक को निर्धारित आकार के एल्यूमीनियम की तीन पर्त

सारणी 10: मध्यावधि भंडारण और डीयूएस परीक्षण के लिए बीज मानक

क्र. सं.	फसल	बीज की वांछित मात्रा (ग्राम में)		अंकुरण %	नमी %	भौतिक शुद्धता	तदर्थ मौसम – डीयूएस परीक्षण के लिए प्रस्तुत बीजों के लिए महीने	बीज पैकेटों का निर्धारित आकार (मि.मी.)
		प्रत्याशी / संकर (प्रत्येक)	पूर्वज वंशक्रम					
1.	चावल	3000	1500	80	11.12	98	खरीफ—मार्च—अप्रैल	230x300
2.	चपाती गेहूं	3000	1500	95	8.9	98	रबी—अगस्त	230x300
3.	मक्का	3000	1500	80 (अंतरप्रजनक / एससीएच) 90; (किस्म / डीसीएच)	8.10	98	खरीफ – मार्च—अप्रैल रबी—अगस्त	230x300
4.	ज्वार	3000	1500	80 (अंतरप्रजनक / एससीएच) 90; (किस्म / डीसीएच)	10.12	98	खरीफ— मार्च रबी—अगस्त	230x300
5.	बाजरा	1000	500	80 अंतरप्रजनक / एससीएच) 90; (किस्म / डीसीएच)	10.12	98	खरीफ—मार्च	165x220
6.	मूँग	1000	लागू नहीं	80	8.9	98	खरीफ—मार्च	230x300
7.	राजमा	3000	लागू नहीं	80	8.9	98	जून—जुलाई	230x300
8.	चना	2000 (देसी) 3000 (काबुली)	लागू नहीं	80	8.9	98	रबी—अगस्त	230x300
9.	अरहर	2000	1500	80	8.9	98	खरीफ—मार्च	230x300

क्र. सं.	फसल	बीज की गांठित मात्रा (ग्राम में)		अंकुरण %	नमी %	भौतिक शुद्धता %	तदर्थ मौसम – डीयूएस परीक्षण के लिए प्रस्तुत बीजों के लिए महीने	बीज पैकेटों का निर्धारित आकार (मि.मी.)
		प्रत्याशी / संकर (प्रत्येक)	पूर्वज वंशक्रम					
10.	मसूर	1000	लागू नहीं	80	8.9	98	रबी—अगस्त	230x300
11.	खेत मटर	2000	लागू नहीं	80	8.9	98	रबी—अगस्त	230x300
12.	उड्ढ	1000	लागू नहीं	80	8.9	98	खरीफ—मार्च	165x220
13.	पटसन	1000	500	85	9	97	पूर्व खरीफ — अगेती जनवरी	165x220
14.	कपास	2000	1000	75	10	98	खरीफ—उत्तर—फरवरी	230x300
							तटवर्ती—दक्षिण—मई	
15.	टमाटर	15 (खुला) 8 (ग्रीन हाउस)	वही	85	8	98	अप्रैल—मई	165x100
16.	बंदगोभी	15	15	'	'	'	अप्रैल—मई	165x100
17.	फूलगोभी	15	15	'	'	'	अप्रैल—मई	165x100
18.	बैंगन	15 (खुला)	15 (खुला)	85	8	98	अप्रैल—मई	165x100
19.	तोरिया—सरसों	500	250	85	8	98	अगस्त—सितम्बर	165x100
20.	सोयाबीन	3000	लागू नहीं	70	9	98	अप्रैल—मई	230x300
21.	सूरजमुखी	3000	2000	70	9	98	जुलाई—अगस्त	230x300
22.	कुसुम	3000	1500	80	9	98		230x300

* प्रजनक बीज मानकों के अनुसार

2.13 फील्ड जीन बैंक

कुछ बहुवर्षीय फसलों की रोपण साम्रग्री नारियल, आम, सिट्रस, यूकेलिप्टस, केसुरीना, काली मिर्च, अदरक, हल्दी और रबड़ रिकल्सीट्रैट उत्पन्न करती हैं या अलैंगिक पुनर्जनन चक्र लंबा होता है या उनमें बीज बिल्कुल नहीं होते हैं अथवा ये क्लोन से प्रवर्धित प्रजातियां होती हैं जैसे गन्ना और आलू प्रजातियों को फील्ड जीन बैंक में स्वस्थाने संरक्षित किया जाता है।

ये फील्ड जीन बैंक उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां आनुवंशिक संसाधनों की प्रचुर विविधता होती है या वे प्रजातियों के प्राथमिक अथवा गौण उद्भव केन्द्र होते हैं जहां पर उन्हें उगाया जाता है। संबंधित प्रजातियां कृषि जैव—विविधता के हॉट स्पॉट के अंतर्गत आती हैं तथा ये स्थानीय कृषि जलवायु संबंधी स्थितियों के प्रति अनुकूल होती हैं। आम, सिट्रस, केला, नारियल, चाय, मसाले, हल्दी और अदरक जैसी अधिकांश बागवानी फसलों में भारत में उल्लेखनीय विविधता पाई जाती है तथा यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ—साथ इनका व्यापार किया जाता है। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने फील्ड जीन बैंक स्थापित करने के लिए

विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में निम्नलिखित ऐसे केन्द्रों की पहचान की है :

- (i) डॉ. बी.एस.कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली, महाराष्ट्र;
- (ii) विरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड, और
- (iii) डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (मशोबरा में फील्ड केन्द्र), हिमाचल प्रदेश

अधिकांश उपरोक्त फसल प्रजातियों को डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए (उदाहरण, सिट्रस, चाय, केला) शामिल किया जा चुका है अथवा पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए (आम, हल्दी, अदरक, नारियल) पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। वर्ष 2011–12 के दौरान प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ शुष्क व मरु क्षेत्रों की प्रजातियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में फील्ड जीन बैंक स्थापित करने के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई है।

आवश्यक बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं के सृजन, परियोजना आधारित तकनीकी व फील्ड कर्मियों को नियुक्त करने और निर्धारित फसल प्रजातियों के डेटाबेस के सृजन के लिए पीपीवी

और एफआर प्राधिकरण तथा संबंधित संस्थाओं के बीच दीर्घावधि समझौता ज्ञापन हुआ है। चूंकि फील्ड जीन बैंकों के कुछ कानूनी पहलू होते हैं, अतः सम्बद्ध क्षेत्र को बाड़ लगाकर घेरा गया है, ताकि अवैध प्रवेश को रोका जा सके। इस फील्ड जीन बैंक सुविधा का उपयोग विभिन्न भौगोलिक संदर्भों में एक स्थान पर उप प्रजातीय / अंतरा-किस्मगत विविधता से युक्त होने पर जारी की गई किस्मों की रिपोजिटरी और संदर्भ संकलनों के रूप में भी किया जाता है। इन फील्ड जीन बैंकों में पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के नमूने पौधों भी होंगे। स्रोत, पूर्वजाता, आकृति विज्ञानी/प्रजनन संबंधी गुणों तथा खेती के मूल्य के संबंध में प्रलेखन भी किया जाना है। डीजिटलीकरण तथा डेटाबेस प्रबंध से प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण के दौरान विशिष्टता के प्रलेखन में सहायता मिलेगी जिससे तकनीकी-कानूनी मुद्दों को हल करने तथा विवादों के निपटारे में सहायता मिलेगी। विभिन्न क्षेत्रों से किस्में संकलित की जा रही हैं। पीजीआर विवरणों का उपयोग करके या फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों का पालन करते हुए मातृ रोपण सामग्री का गुण-निर्धारण किया जा रहा है। उच्च घनत्व की बागवानी तथा उपयुक्तम सस्यविज्ञानी पैकेजिंग के साथ बागवानी प्रबंध की आधुनिक विधियों को अपनाया जाएगा।

2.13.1 डॉ. बी.एस.कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली, महाराष्ट्र में फील्ड जीन बैंक

सजीव रिपोजिटरी के माध्यम से फलों, रोपण फसलों और वृक्ष प्रजातियों के संकलन, अनुरक्षण, मूल्यांकन और विकास शीर्षक की एक परियोजना डॉ. बी.एस.कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली, महाराष्ट्र में कार्यान्वित की गई है। इसके अंतर्गत फील्ड जीन बैंक स्थापित करने व उसके रखरखाव, संदर्भ किस्मों के संकलन, मूल वृत्तों की नर्सरी, खेत प्रयोगशाला तथा उपकरणों की खरीद के लिए 12.37 लाख रुपये जारी किए गए। संदर्भ किस्मों के लिए स्थल योजना, डीयूएस परीक्षण ब्लॉक तथा जीन बैंक ब्लॉक तैयार कर लिए गए हैं।

वर्ष 2011–12 के दौरान आम (17), हल्दी (37), अदरक (29), इलायची (9), काली मिर्च (8), सिद्रस (4) और केले के जीनप्ररूप (30) संकलित करके अनुरक्षित किए गए। एकत्रित की गई प्रजातियों की किस्मों का गुण-निर्धारण किया जा रहा है। अधिदेशित फसलों के संदर्भ संकलन का विवरण सारणी 11 में दिया गया है।

आम के लिए कुछ डीयूएस विवरणों हेतु मातृ पौधों का गुण-निर्धारण किया गया। मूलवृत्त को एकत्रित करके संदर्भ किस्म ब्लॉक में संरक्षित किया गया या सामान्य बहु भ्रूण मूलवृत्तों, वेलियाकोलांबन में एकत्र किया गया जो स्थानीय रूप से परिस्थितियों के अनुकूल थे। सामान्य बहु-भ्रूणीय मूलवृत्त की आम की किस्मों की कलम लगाने के

सारणी 11: बी.एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ, धपोली में संकलित व अनुरक्षित किस्मों की सूची

फसल प्रजातियाँ	किस्में
आम	अल्फांसो, रत्ना, सिंधु, पैरी, फर्नाडिन, मनकुरद, गोआमांकुर, केसर, रत्ना, नीलम, निरंजन, तोतापुरी, हिमायतपसंद, पैद्दारसम, बंगनपल्ली, चिन्नारसम
हल्दी	आईआईएसआर प्रतिभा, आईआईएसआर प्रभा, एलेप्पी सुप्रीम, केदारम, क भणा, सलेम, राजापुरी, फुले स्वरूपा, टेकुरपेट्टा, सुरोमा, बदलापुर, कूच विहार, केपीएयू-656, अमलापुरम, एसबी-10735, एसबी-10723, एसबी-10843, एसबी-10746, एसबी-10715, एसबी-10810, एसबी-10757, सुवर्णा, कुचिपुड़ी, अरुणाचल लोकल, जलपाईगुड़ी लोकल, सुदर्शना, आरएच 5, सुगुना, सिकंदराबाद लोकल, सुरंजना, धुंधीगांव, सीओ-1, सिकंदराबाद लोकल, एलेप्पी, केदारम, जीएल पुरम और सुगंथम।
अदरक	सुप्रभा, वर्दा, राजदा, महीम, औरंगाबादी, उदयपुरी, चांदगाड़, बंगलौर-सुरभि, सुरुचि, सुप्रभा, वी3एस8, वी1ई8, सुनभि, हिमाचल, कोहिनी लोकल, साइलेंट वैली, सबरामला, पीजीएस-5, कुंडली लोकल, रेजथा, जुगीजेन, पीजीएस-19, इराथुपेया, एस-666, जमाइका, चाइना, बर्धवान और हिमगिरि
इलायची	एमएचसी-1, आरआरआई, एनकैर्ड-12, सीसीएस-1, आईसीआरआई-1, आईसीआरआई-2, आईसीआरआई-3, आईसीआरआई-5, आईसीआरआई-7
काली मिर्च	पेन्नीयूर-1, पेन्नीयूर-2, पेन्नीयूर-3, पेन्नीयूर-4, पेन्नीयूर-5, पेन्नीयूर-6, पेन्नीयूर-7, श्रीकारा
सिद्रस	नागपुर मेंडारिन, मौसम्बी, कागजी लाइम, सीडलैस लाइम
केला	ड्वार्फ कैविंडिश, अनेकोम्बन, ग्रांड नैन, अम त सागर, नैंडन, पाचेलाडन, लाडन प्वाइंटेड, सबरी, रेड बनाना, पेयन, अंकुर, बैंग्रियर, सबा, पाचे, बोंथा, बंथेसा, बिरबुटिया, जवाहर बेल, कनै बंसी, रोबस्टा, कुन्नन, पूवन, मलैकाली, नेंडा पदथी, नेय पूवन, करपूरवल्ली, उधयम, काचकेल, कोठिया, न्यूटेपोंग, अक्षयबथेसा तथा म्यूसा बाल्बिटियाना के अनेक संकलन

लिए नर्सरी स्थापित की गई। आम के लिए वेलियाकोलांबन को 3ग3 मी. अंतराल पर जीन बैंक में स्थापित किया गया। सिट्रस की किस्में नामतः नागपुर मेंडारिन, मौसम्बी, कागजी लाइम और सीडलैस लैमन राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर से एकत्रित की गई तथा संदर्भ किस्म ब्लॉकों में रोपी गई। संदर्भ किस्में और जीन बैंक ब्लॉक स्थापित करने के लिए भूमि को साफ किया गया, कंटूर टैरेसें तैयार की गई, ले—आउट बनाया गया और संबंधित ब्लॉकों में पौधे रोपे गए। इसके पूर्व घड़ा और ड्रिप सिंचाई विधि के माध्यम से सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। हाल में निर्मित कुंए से जल खींचकर सिंचाई सुविधाओं को और सबल बनाया गया। सभी फसल प्रजातियों को जल की आपूर्ति सुविधा जनक बनाने के लिए विद्यमान पाइप लाइन में लगभग 400 मीटर की पाइप लाइन और जोड़ी गई। लगभग सात हैक्टर क्षेत्र में नारियल, केला और सिट्रस की फसलों के लिए बाड़ लगाई गई। फील्ड प्रयोगशाला की इमारत का कार्य प्रगति पर है।

2.13.2 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची में फील्ड जीन बैंक

पूर्वी भारत की पारिस्थितिक प्रणाली में स्वःस्थाने संकलन के अंतर्गत फल वृक्षों तथा औषधीय पौधा किस्मों के लिए सजीव रिपोजिटरी के अनुरक्षण शीर्षक की परियोजना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची में 1 अप्रैल 2009 से चल रही है। इस अवधि के दौरान फील्ड जीन बैंक से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए 9.70 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई। इस केन्द्र को सौंपी गई अधिदेशित फसलें हैं, आम, आंवला, अनन्नास, अमरुद, बांस, सिट्रस और केला। इस परियोजना के उद्देश्यों में शामिल हैं :

- (i) डीयूएस के माध्यम से आकृति विज्ञानी गुण—निर्धारण के लिए पूर्वी भारत की महत्वपूर्ण किस्मों का मूल्यांकन;
- (ii) पंजीकृत/उदाहरण/कृषक किस्मों की सजीव रिपोजिटरी की स्थापना और अनुरक्षण, तथा
- (iii) क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण फल—फसलों के लिए विवरणों का विकास/उनका परिशोधन।

परियोजना के आरंभिक वर्ष में निर्धारित क्षेत्र को विकसित करके, भूमि को समतल बनाकर, बाड़ लगाकर और अस्थाई जल संसाधन का सृजन करके मौलिक बुनियादी सुविधाएं सृजित की गई। इसके अतिरिक्त लोहे के द्वार तथा छोटे फार्म उपकरणों को रखने के लिए चौकीदार कक्ष को भी तैयार किया गया। विभिन्न फल—फसलों से संबंधित रोपण सामग्री और उनकी कलमों को विभिन्न केन्द्रों व संस्थानों से एकत्रित किया गया। ये संकलन अच्छा निष्पान कर रहे हैं। कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- फिलहाल सभी प्रकार के क्रियाकलापों के लिए 13 एकड़ क्षेत्र निर्धारित किया गया है और भविष्य में आवश्यकता के अनुसार और क्षेत्र अधिग्रहीत किया जाएगा। 8 एकड़ का क्षेत्र आम, डीयूएस ब्लॉक, जीन बैंक तथा केला और अमरुद की रोपाई के लिए संदर्भ ब्लॉक के रूप में निर्धारित किया गया है। आम की 36 किस्मों के स्कियॉन खण्ड बीएसी, सैबोर (आरएयू); बागवानी विभाग, बीएयू; विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (पश्चिम बंगाल); भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली; केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ; एफआरएस संगारेड्डी तथा अन्य स्थानों से खरीदे गए तथा स्वस्थाने इनकी कलमें लगाई गई।
- खासी संतरे के 36 पौधे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उत्तर—पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र, बारापानी, शिलांग से, नागपुर संतरे के 27 पौधे, मीठे संतरे के 27 पौधे और नींबू के 27 पौधे राष्ट्रीय नींबूवर्गीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर से खरीदे गए तथा इन्हें डीयूएस ब्लॉक में रोपा गया है।
- केले की 30 किस्मों के परंपरागत चूषकों या सकर्स के रूप में रोपण सामग्री राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिचुरापल्ली से एकत्रित की गई तथा इसे डीयूएस ब्लॉक में 2.1x2.1 के अंतराल पर रोपा गया।

2.13.3 डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा में फील्ड जीन बैंक

केन्द्र में सेब के 247 संकलन एकत्र किए गए हैं जिनमें से 71 विदेशी तथा एनबीपीजीआर (फागली केन्द्र) से प्राप्त देसी जननद्रव्य, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र (मशोबरा) से 63; बजुआरा में भारत—इटली परियोजना से एकत्र की गई 17 किस्में; गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी से 15 किस्में; केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर से 50 किस्में; और शेर—ए—कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर से 4 किस्में प्राप्त की गई। नाशपाती में एनबीपीजीआर (फागली) से



31, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (रानीचौरी) से 9, केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान से 14 तथा शेर—ए—कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र (सारबो) से 1—1 किस्म प्राप्त की गई। चेरी की 13 किस्में, अखरोट की 4 किस्में तथा अन्य पौद सामग्री हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई। सेब के संकलनों का विभिन्न विवरणों अर्थात् पत्ती, पुष्प और फल संबंधी गुणों के लिए गुण—निर्धारण किया गया; नाशपाती के लिए 12 विवरणों तथा अखरोट के लिए 14 विवरणों जैसे वृक्ष का स्वभाव, पत्ती, फूल और गिरी के गुण व पुष्पन के प्रकार आदि के लिए गुण—निर्धारण किया गया। सेब, नाशपाती तथा मीठी चेरी के संकलन मशोबरा केन्द्र (ऊँचाई 2286 मी.; जलवायु, शीतोष्ण) स्थापित किए जा रहे हैं जबकि अखरोट के संकलन यूएचएफ, नौनी (ऊँचाई :1270 मी., जलवायु : उप—शीतोष्ण) में स्थापित किए गए हैं। सेब में, 801 पौधे और नाशपाती की 568 रोपण



सामग्रियां वर्ष 2012 में अगले मौसम के दौरान खेत में लगाए जाने के लिए तैयार हैं। मार्च—अप्रैल 2012 के दौरान सेब, नाशपाती और चेरी में कलिकायन/कलम लगाने की योजना बनाई जा रही है तथा इनका गुण—निर्धारण अप्रैल—नवम्बर 2012 के दौरान किया जाएगा। □

3. कृषक अधिकारों से संबंधित क्रियाकलाप

पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 में विशेष रूप से कृषि जैव-विविधता के हॉट-स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप संसाधनों की भू-प्रजातियों व वन्य प्रकारों के आनुवंशिक संरक्षण में लगे आदिवासियों सहित किसानों, किसानों के समूहों और कृषक समुदायों को पुरस्कृत व सम्मानित करने का प्रावधान है। कृषक किस्मों का विकास किसानों द्वारा अनेक वर्षों से अर्जित के उनके अनुभव और निपुणता के माध्यम से निरंतर चयन के द्वारा हुआ है और ये सामग्री अपनी अनुकूलनशीलता तथा कठिन जलवायु संबंधी परिस्थितियों के प्रति अपने को अनुकूल ढालने के कारण नई किस्मों के विकास में प्रजनन सामग्री के रूप में कार्य करती हैं। जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है, कृषक किस्में बिना किसी शुल्क या प्रभार के पंजीकरण हेतु पात्र हैं। किसानों/समुदायों को प्रदान किए गए स्वामित्व के अधिकारों की सुरक्षा और अधिक दोहन से की जाएगी और इस प्रकार मूल्यवान कृषि जैव-विविधता सुरक्षित होगी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में संरक्षकों तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच लाभ में साझेदारी की संकल्पना भी विकसित की गई है। इस प्रकार किसानों को उनके द्वारा विकसित या निकाली गई किस्मों को पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि किसानों के बीच उनके अधिकारों, कृषक किस्मों के पंजीकरण और पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में किए गए योगदानों को सम्मानित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रदान किया जाए। किसानों, पादप प्रजनकों, अनुसंधानकर्ताओं और पण्धारियों के बीच पीपीवी और एफआर अधिनियम में किए गए प्रावधानों के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान संस्थानों, शैक्षिक संगठनों, सोसायटियों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्राधिकरण ने कृषकों के अधिकारों पर परामर्श देने के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 5 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार कृषक अधिकारों पर स्थायी समिति गठित की है, जो निम्नानुसार है :

अध्यक्ष

प्रो. आर.बी.सिंह, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय किसान आयोग

सदस्य

डॉ. आर.के.धीमन, कुलपति, डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं

वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश
डॉ. के.सी.बंसल, निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो, पूसा परिसर, नई दिल्ली

डॉ. एन.परसुराम, एम.एस.स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन, थर्ड क्रॉस स्ट्रीट, तारामणी इंस्टीट्यूशनल एरिया, चैन्नई, तमिल नाडु

डॉ. रविन्द्र निरवाल, कृषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, शामली, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र.

सदस्य सचिव

डॉ. तेजबीर सिंह, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली



इस समिति ने 14 अक्टूबर 2011 को आयोजित अपनी बैठक में व्यक्तिगत किसानों को 1 लाख रुपये (1 वर्ष में अधिक से अधिक 10 किसानों को) का पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उन्हें यह पुरस्कार अधिनियम की धारा 39 (iii) में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए दिया जाएगा। इस समिति ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किसानों में जागरूकता सृजित करने के लिए दिशानिर्देशों का भी अनुमोदन किया।

3.1 कृषक किस्मों/अधिकारों पर डीयूएस परियोजनाएं

3.1.1 चावल जैवविविधता का संरक्षण तथा जीन कैम्पेन, नई दिल्ली द्वारा ज्ञारखंड और मेघालय में कृषकों के अधिकारों का प्रशिक्षण

जीन कैम्पेन ज्ञारखंड जो कृषि जैवविविधता हॉटस्पॉट के 22 क्षेत्रों में शामिल है, की आदिवासी प्रमुख कृषि जैवविविधता के

स्वस्थाने और बहिर्थाने संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान धान की परंपरागत किस्मों के 78 बीज नमूने उनकी पासपोर्ट सूचना के साथ झारखंड से एकत्र किए गए। इन बीजों को प्रसंस्कृत करके व सुखाकर जीन बैंक में संरक्षित किया गया। एकत्र की गई सभी परंपरागत किस्मों में से 4 किस्में उपराऊ भूमि के लिए, 13 किस्में मध्यवर्ती भूमि के लिए तथा शेष 61 किस्में निम्न भूमि के लिए उपयुक्त हैं और इन्हीं स्थानों पर उगाई जा रही हैं। मध्यवर्ती तथा निम्न भूमि वाली किस्में प्रतिरोपित पारिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं जबकि उपराऊ किस्में शुष्क भूमि पारिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। लगभग 150 धान किस्मों के संरक्षण के लिए बीज बैंक निर्मित किया गया। बीज बैंक के सुचारू प्रबंधन व रखरखाव के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति में 7 सदस्य हैं जिन्हें बुक-कीपिंग, जननद्रव्य की उपलब्धता के लिए रिकॉर्डों के रखरखाव किसानों को सामग्री की आपूर्ति व उन्हें पुनः एकत्र करने, बीज साफ करने और बीज को सुखाने का प्रशिक्षण दिया गया।



जीन कैम्पेन ने किसानों को उनके खेतों में परंपरागत किस्मों की खेती के लिए प्रोत्साहित और उत्साहित करने के बाद उन्हें अल्प मात्रा में 101 परंपरागत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए। जीन कैम्पेन इन किस्मों का गुण-निर्धारण कर रहा है। तीन स्थानों नामतः (i) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, चावल फार्म, (ii) जीन कैम्पेन, तिरला फार्म और (iii) कृषकों के खेतों में इनका गुण-निर्धारण करने के लिए कार्य कर रहा है तथा कुल 451 किस्में रोपी गई हैं। इन किस्मों में से 101 किस्में किसानों को प्रगुणन, उगाने, संरक्षित करने तथा खेत में गुण-निर्धारण करने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। शेष 350 किस्में दो स्थानों नामतः बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और तिरला फार्म में रोपी गई हैं। जिन किस्मों का किसानों के खेतों में गुण-निर्धारण हो गया उन्होंने गुणों की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति प्रदर्शित की है। तथापि, अक्तूबर से दिसम्बर तक वर्षा की कमी और सिंचाई की कमी के कारण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और तिरला फार्म पर कुछ किस्मों के

गुण उचित रूप से अभिव्यक्त नहीं हुए तथापि, इन स्थानों पर 150 किस्मों के गुण अभिव्यक्त हुए हैं तथा इन्हें पीपीवी और एफआरए में पंजीकरण हेतु पहचाना गया है।

जीन कैम्पेन ने परंपरागत किस्मों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए 10 ग्रामों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त किसानों को परंपरागत किस्मों के संरक्षण व जीन-बीज प्रबंध के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

3.1.2 उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों, भा.कृ.अ.प. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, मेदजीफेमा, नागालैण्ड से कोलोकेसिया (सी.एस्क्यूलेंटा) की देसी भू-प्रजातियों का संकलन, गुण-निर्धारण और संरक्षण

- यह परियोजना निम्न उद्देश्यों से कार्यान्वित की जा रही है :
- कोलोकेसिया की देसी भू-प्रजातियों/किस्मों का सर्वेक्षण और संकलन
 - जननद्रव्य में वृद्धि के उपयोग हेतु संबंधित गुणों के लिए स्वस्थाने संकलन की आकृति विज्ञानी विविधता का अध्ययन और मूल्यांकन।
 - मानक विवरणों के अनुसार एकत्र की गई भू-प्रजातियों/किस्मों का मूल्यांकन और गुण-निर्धारण
 - देसी भू-प्रजातियों के प्रलेखन व संरक्षण के लिए कोलोकेसिया के विवरण तैयार करना
 - पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण पर जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण प्रदान करना

नागालैण्ड के चार जिलों (कोहिमा, मून, वोखा और दीमापुर) से कोलोकेसिया की स्थानीय भू-प्रजातियों को एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण किए गए। ऐसा ही असम के कुछ नागालैण्ड से जुड़े भागों में किया गया। इन क्षेत्रों से कुल 22 प्रविष्टियां एकत्रित की गईं जिनमें आठ प्रविष्टियां वोखा जिले से; कोहिमा और मून जिलों, प्रत्येक से तीन-तीन; और दीमापुर व असम के गोलहाट जिले प्रत्येक से चार-चार प्रविष्टियां एकत्र की गईं।



मूल्यांकित किए गए वंशक्रमों में से 19 वंशक्रमों की पत्ती आकृति का वर्गीकरण सीधी—शीर्ष भाग नीचे, एक वंशक्रम का सीधी—शेष भाग ऊपर, चार वंशक्रमों का प्याले की आकृति के समान पत्तियां और एक वंशक्रम में क्षैतिज पत्तियों के वर्ग में किया गया। पत्रदल की कोर संबंधी गुणों के लिए 18 वंशक्रम लहरदार श्रेणी में, छह वंशक्रम समान कोर वाली श्रेणी में और एक वंशक्रम साइन्यूएट श्रेणी के अंतर्गत आए। पत्तियों के पत्रदल का हरा रंग 21 में तथा पत्तियों के पत्रदल का गहरा हरा रंग चार वंशक्रमों में था। इन सभी किस्मों में केवल वंशक्रम 10 को छोड़कर शेष सभी में पत्रदल में कोई लहर नहीं पाई गई। मूल्यांकित वंशक्रमों में से सात वंशक्रमों में पत्रदल की कोर हरी, एक की पीली तथा 17 वंशक्रमों की बैंगनी पाई गई। पर्णवृत्त जोड़ पैटर्न के गुण के संदर्भ में 11 वंशक्रम छोटी श्रेणी में, एक मझोले श्रेणी में आए जबकि 13 वंशक्रमों में पर्णवृत्त जोड़ का कोई पैटर्न नहीं था। सभी वंशक्रमों में हरे रंग की पत्ती की मध्य शिरा रिकॉर्ड की गई। 20 वंशक्रमों में पर्णवृत्त का रंग हल्का हरा, एक वंशक्रम में हरा तथा एक अन्य वंशक्रम में बैंगनी रंग रिकॉर्ड किया गया। बंडे की आकृति के विभिन्न आकार व प्रकार देखे गए जैसे दीर्घवृत्ताकार, गोल, डमरू के आकार के, लम्बे, बेलनाकार और शंकवाकार। इन वंशक्रमों में से 8 दीर्घवृत्ताकार, 5 गोल, 1 डमरू के आकार का, 1 लंबी आकृति वाला, 2 बेलनाकार और 8 शंकवाकार थे। बंडे की आकार की दृष्टि से 4 वंशक्रम लंबे, 14 वंशक्रम मध्यवर्ती श्रेणी के और 4 वंशक्रम छोटी श्रेणी के अंतर्गत आए।



3.1.3 नागुरवे ग्रोइंग एंड हस्बेंड्री ऑफ एनिमल्स इन इंडिया (वानघाई), नागापट्टीनम, तमिल नाडु द्वारा कृषि पर वास्तविक कार्य हेतु तटवर्ती पट्टी और कावेरी मुहाने के साथ—साथ परंपरागत रूप से उगाई जाने वाली चावल की किस्मों का गुण—निर्धारण व पंजीकरण

यह परियोजना तमिल नाडु के तटवर्तीय पट्टी तथा कावेरी मुहाने में उगाई जाने वाली चावल की परंपरागत किस्मों के गुण—निर्धारण पर केन्द्रित रही। वानघाई ने कन्याकुमारी, टूटीकोरिन,

रामाद, पुदुकोट्टई, तंजावर, तिरुवरुर, कुड़ालोर और नागानदनम जिलों से चावल की 69 किस्में एकत्रित कीं। किसानों के खेतों से बीज नमूने, फसल के विवरण तथा खेती संबंधी विधियों को एकत्रित व नोट करके प्रलेखित किया गया। चुनी हुई किस्मों को गुण—निर्धारण के लिए उगाया गया और किसानों के बीच पुनः बांटा गया। ये किस्में अल्प (70–100 दिन), मध्यम (120–135 दिन) तथा दीर्घ (140–180 दिन) वाली थीं। 31 बीज नमूनों को वानघाई द्वारा स्थापित बीज बैंक में भंडारित किया गया। प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

- परंपरागत खेती की क्रियाविधि को पुनः जीवित करने तथा परंपरागत चावल की किस्मों के संरक्षण हेतु 28 जुलाई 2011 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम उज्जावर मुघम एक राज्यव्यापी कार्यशाला के रूप में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत भागीदारी में पादप प्रजनन के लिए किसानों के नेटवर्क को चावल की परंपरागत किस्में भी उगाने के लिए वितरित की गई।
- चावल की पिछले वर्ष से एकत्रित की गई किस्मों में से चुनी गई किस्मों को संतति के लिए नर्सरी में उगाया गया।
- और अधिक प्रगुणन तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनुकूलन के क्षेत्र की पहचान के लिए चावल की किस्मों को रोपा गया। कटाई के पश्चात् बीजों को सुखाकर और प्रसंस्कृत करते हुए भंडारण के लिए रखा गया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के एक दल ने परियोजना स्थल और बीज बैंक का दौरा किया।
- वांघाई ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में पंजीकरण के लिए छह किस्मों हेतु उनकी पहचान करते हुए आवेदन दिया है।

3.2 राष्ट्रीय जीन निधि

कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत प्राधिकरण को 50 लाख रुपये का आरंभिक योगदान करके एक राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया गया है। प्राधिकरण इस उद्देश्य से एक पृथक लेखा परिचालित व अनुरक्षित कर रहा है। इस राष्ट्रीय जीन निधि के योगदानों में निम्न भी शामिल हो सकते हैं :

- अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म या अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के प्रजनक से प्राप्त लाभ में भागीदारी;
 - पीपीवी और एफआर प्राधिकरण से प्राप्त वार्षिक शुल्क;
 - जमा की गई क्षतिपूर्ति की राशि;
 - राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त योगदान या चंदा
- अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय जीन निधि का उपयोग निम्न के लिए किया जा सकता है :

- लाभ में भागीदारी के रूप में अदा की जाने वाली किसी भी राशि के लिए;
- देय क्षतिपूर्ति के लिए ऐसे संरक्षण व टिकाऊ उपयोग का कार्य करने में पंचायत की क्षमता को सबल बनाने के लिए और स्वस्थाने व बहिस्थाने संकलनों सहित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग को सहायता देने हेतु होने वाले खर्च के लिए; और
- धारा 46 के अंतर्गत निर्धारित लाभ में भागीदारी से संबंधित योजनाओं में खर्च के लिए

सारणी 12: वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय जीन निधि की स्थिति

मद	रुपये (लाख में)
01.04.2011 को आदि शेष	112.97
जीन निधि में योगदान	50.00
प्राप्त वार्षिक शुल्क	6.78
बैंक से मिला ब्याज	9.86
प्रशासनिक व्ययों सहित पीजीएससी पुरस्कार (2009–10) में हुआ व्यय	22.13
31 मार्च 2012 को अंत शेष	157.48

3.2.1 पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार

पीपीवी और एफआर नियमावली 2003 में प्रावधान है कि जीन निधि का उपयोग उन कृषकों, कृषक समुदायों और विशेष रूप से आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों को पुरस्कृत करने में किया जाएगा जो कृषि जैवविविधता के हॉट स्पॉट के पहचाने गए क्षेत्रों में विशेष रूप से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, उसमें सुधार तथा परिरक्षण में लगे हुए हैं।

विशेषज्ञों की अनेक बैठकों के पश्चात प्राधिकरण ने भारत सरकार के परामर्श से पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए क्रियाविधि व मानदंडों को अंतिम रूप दिया। इस जीन निधि से अधिक से अधिक 5 पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जा सकते हैं।

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार में 10 लाख रुपये नकद, 1 उद्घरण, 1 स्मृति चिह्न दिया जाता है। वर्ष 2009–10 से आरंभ होकर यह पुरस्कार 16 जुलाई 2011 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस समारोह के दौरान आयोजित समारोह में दो समुदायों को दिया गया। यह समारोह ए.पी.शिंदे सभागार, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में



आयोजित हुआ था। माननीय केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार ने ये पुरस्कार प्रदान किए। निम्न कृषक/ग्रामीण समुदायों को पुरस्कृत किया गया।

- **कोपाटगिरि नंदीवेरीमठ सेवा फाउंडेशन, गदाग, कर्नाटक** कोपाटगिरि नंदीवेरीमठ सेवा फाउंडेशन ने संकटासन्न औषधीय पौधों सहित स्थानीय वनस्पतियों के स्वस्थाने संरक्षण, वर्षा जल के संग्रहण व वनीकरण कार्यक्रम चलाए हैं। पिछले कई वर्षों से स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से अनेक जल संग्रहण संरचनाएं व संरक्षण के उपाय आरंभ किए गए। इसके परिणामस्वरूप भूमिगल जल का तल ऊपर उठा तथा इससे संकटासन्न व दुर्लभ औषधीय पौधों के स्वस्थाने संरक्षण व गौण वन आच्छदन सृजित करने में सहायता मिली। करंज, नीम, इमली, आंवला, तापसी बेल, बहेड़ा, रीठा, बांस, सागौन, बबूल, फाइक्स और अमलतास के वृक्ष कोपाटगिरि पहाड़ में रोपे और उगाए गए। इस फाउंडेशन ने कोपाटगिरि क्षेत्र में दुर्लभ चिकित्सीय पौधों का अध्ययन किया, 55 कुलों की 210 प्रजातियों की पहचान की और विशेषज्ञों की सहायता से इनसे संबंधित परंपरागत ज्ञान को प्रलेखित किया। इनमें से बूटियों की 83 प्रजातियां, 45 झाड़ियां, 43 वृक्ष और 39 बेले हैं (इनमें से महत्वपूर्ण हैं एंड्रोग्राफिस, पेनिकुलेटा, औसिमम प्रजाति, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, एज़ाडिरेक्टा इंडिका, टिनोस्पोरा, कॉर्डिफोलिया, विथानिया सोम्नीफेरा, हेमीडेसमस इंडिकस, आदि)। अधिकांश स्थानीय लोग इन पौधों का उपयोग परंपरागत औषधियां तैयार करने में करते हैं। कोपाटगिरि नंदीवेरीमठ सेवा फाउंडेशन द्वारा दुर्लभ और संकटासन्न औषधीय पौधों का स्वस्थाने संरक्षण स्थानीय समुदायों को शामिल करके किया गया तथा पारिस्थितिक प्रणाली और जैवविविधता के संरक्षण और जलसंभर विकास में इस फाउंडेशन के योगदान को पर्याप्त मान्यता प्राप्त हुई है।

- **पंचबटी ग्राम्य उदयन समिति, कोरापुट, ओडिशा** कोरापुट क्षेत्र में 52 मान्यता प्राप्त आदिवासी समुदाय रहते हैं और इनमें से कांधा, परोजा, सौरा, भात्रा, बोंडा, कोया, दिदर्ई और अमांत्या आदिवासी समूहों ने परंपरागत रूप से चावल की उन भू-प्रजातियों का संरक्षण किया है जो इस क्षेत्र के चावल की खेती वाले क्षेत्र के 52 प्रतिशत से अधिक भागों में उगाई जाती हैं। इन सामग्रियों का उन कृषकों के द्वारा लक्षण-वर्णन किया गया जो न्यूनतम जोखिम के लिए इन भू-प्रजातियों को उगाते हैं। श्रेष्ठ पकाने संबंधी गुणों व पोषणिक गुणवत्ता वाले दानों की सुनिश्चित स्थाई उपज के रूप में ये किस्में खाद्य सुरक्षा में योगदान देती हैं। इनमें से कुछ किस्मों का उपयोग कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसीय विकास में किया जा रहा है। आदिवासी समुदायों के संरक्षण कार्य के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की

मूल्यवान भू—प्रजातियों का अनूठा रथल बन गया है। इनके इन संरक्षण संबंधी प्रयासों को खेती, प्रजनन व खाद्य सुरक्षा से जोड़कर और सबल बनाया गया है। इस उद्देश्य से उपरोक्त समुदाय ने फील्ड बीज और अनाज बैंक स्थापित किए हैं। समुदाय को पहले भी पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है और इसे 2007–08 के दौरान पादप जीनोम समुदाय अभिज्ञान प्रमाण पत्र दिया गया था।

चयन व परिक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भू—प्रजातियों व वन्य संबंधियों के सुधार के द्वारा आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी सम्मान/मान्यता प्रदान की जाती है। प्राधिकरण ने इसके लिए आवेदन/नामांकन प्राप्त करने के लिए स्थानीय भाषाओं के समाचार—पत्रों में विज्ञापन दिए। व्यक्तिगत किसानों/संस्थाओं/समुदायों से प्राप्त आवेदनों की एक समिति द्वारा छंटाई की गई और वर्ष के दौरान 7 ऐसे अभिज्ञान प्रमाण—पत्र प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई। प्राधिकरण ने वर्ष 2010–11 के लिए 4 पात्र कृषक समुदायों को भी पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया है।

3.2.2 कृषक किस्मों के संबंध में परंपरागत ज्ञान के प्रलेखन के लिए कार्य बल

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 8(2)(ग) के अंतर्गत प्राधिकरण के एक अधिदेश के रूप में कृषक किस्म के प्रलेखन, सूचीकरण व सूचीपत्रकरण के लिए डॉ. डी.के.मरोठिया, प्राध्यापक एवं पूर्व अध्यक्ष, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन अर्थशास्त्र विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया है।



रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान इस कार्य बल ने दो बैठकें आयोजित कीं तथा कृषक किस्मों के पंजीकरण और इसके साथ—साथ सम्बद्ध परंपरागत ज्ञान के महत्व को दर्शाने वाले विषय पर एक आधार पत्र तैयार करने का निर्णय लिया।



4. फसलों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास

4.1 वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण हुए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश

नारियल, औषधीय व सगंधीय पौधों की 5 प्रजातियों तथा गेहूं और आर्किडों, प्रत्येक की 3–3 प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देते हुए अनुमोदित करके प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया गया। इन फसल प्रजातियों को पौधा किस्म पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिसूचित भी किया गया। रिपोर्टोरीन अवधि के दौरान अनार, अंगूर, सेब, चेरी, नाशपाती, अखरोट, बादाम, खुबानी, जौ तथा सब्जियों व पुष्पों की अनेक प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यबल गठित किए गए। कार्य बलों ने अनेक बैठकें आयोजित कीं तथा डीयूएस विवरणों पर चर्चा की और डीयूएस दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया। कुछ संस्थानों में डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास में हुई प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है :

4.2 वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईएफजीटीबी), कोयम्बत्तूर

केसुरीना और सफेदा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन शीर्षक की परियोजना का उद्देश्य डीयूएस परीक्षण क्रियाविधि विकसित करना; उद्योगों तथा अन्य संस्थाओं में उपलब्ध कलोनीय संकलनों को एकत्र करके उनका सत्यापन करना तथा इंडस के लिए विवरणों के डेटाबेस का विकास करना। पहली अवस्था में दोनों फसलों के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इनका सत्यापन विभिन्न संगठनों जैसे कागज़ उद्योग, विश्वविद्यालयों, वन विभागों तथा अन्य संस्थानों के साथ मिलकर किया गया।



केसुरीना के मामले में शूकियों के रंग से संबंधित विधियां विकसित की गईं। अधिकांश कलोनों को दो रंगों अर्थात् गहरे हरे और पीलापन लिए हुए हरे रंग में विभेदित किया गया। झड़ने वाली शाखाओं, छिलके तथा लैंटिसेल गुणों जैसे वानस्पतिक गुणों की पहचान की गई। प्रजनन संबंधी गुणों के लिए नर पुष्प क्रम परागकोष को तीन विभिन्न रंगों में विभेदित किया गया। ये रंग थे गुलाबी (सीजे22, सीजे30, सीजे64, सीजे 41, सीजे 54, सीजे 56); लालामी युक्त गुलाबी (सीजे 8, सीजे 10, सीजे 25, सीजे 68); और पीले (सीजे 23, सीजे 69)। इसी प्रकार, नर पुष्प क्रम की स्थिति, शंकव तथा बीजों के गुण सभी आईएफजीटीबी कलोनों के लिए वर्गीकृत किए गए। केसुरीना में क्लेडोल, पत्ती, छाल, शाखा तथा प्रजनन संरचनाओं को 300 कलोनों में किए गए अध्ययन के आधार पर डीयूएस गुणों के रूप में लिया गया। कलोनों के विभेदन के लिए लगभग 49 विभिन्न विवरण दिए गए। कर्नाटक में खोसकोटे, आंध्र प्रदेश में राजामुंदरी और तमिल नाडु में वाराट्टुपल्लम में वन विभाग द्वारा उगाए गए पौधों के कलोनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। तमिल नाडु न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड, करुर; सेशासाई पेपर बोर्ड्स, इरोड़; वन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मेट्टोपालयम और केरल में पनमपल्ल द्वारा अनुरक्षित किया गया। केसुरीना के अनिवार्य गुणों के रूप में वृक्ष के स्वभाव, छाल लैंटिसेल वितरण, छाल लैंटिसेल समूहीकरण, क्लेडोडों के रंग, क्लेडोडों की लंबाई, क्लेडोडों की गांठों, पत्ती की नोक के क्लेडोडों के रंग तथा लैंगिक प्रणाली की पहचान की गई।

सफेदा (यूकेलिप्टस) के 45 कलोनों में नव पत्ती के गुणों का अध्ययन किया गया। आईएफजीटीबी में उपलब्ध 75 कलोनों का डीयूएस गुणों का मसौदा तैयार करने के लिए गुण-निर्धारण किया गया। तमिल नाडु में सामान्य रूप से उगाए जाने वाले पाँच आटीसी कलोनों के लिए रोपणों का भी सभी डीयूएस गुणों में एकरूपता के लिए मूल्यांकन किया गया। इन दोनों फसलों के डीयूएस विवरण के विकास हेतु संस्थान में उपलब्ध आधार जनसंख्या का अध्ययन किया गया। पत्ती, तने, छाल तथा प्रजनन संरचनाओं के आकृति विज्ञानी गुणों में विविधता का अध्ययन किया गया।



कोयम्बत्तूर के निकट करुणनगर में दो स्थानों पर सफेदा प्रजाति के लगभग 69 कलोन रोपे गए तथा आंध्र प्रदेश में सत्यवेदु में छाया विश्लेषण का उपयोग करके इनके पत्ती संबंधी आकृति विज्ञान का गुण-निर्धारण किया गया। प्रत्येक कलोन के लिए प्रति प्रतिकृति 50 पत्तियां एकत्रित की गईं। डिजिटल एसएलआर कैमरा का प्रयोग करके चित्र लिए गए और इनका विश्लेषण छाया विश्लेषक से पत्ती के आकृति विज्ञानी गुणों जैसे सतह का क्षेत्र, लंबाई, चौड़ाई, समतुल्य व्यास, परिधि, उत्तल प्राचल आदि के लिए किया गया।

4.3 केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच), श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर

सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम, खुबानी और चेरी के लिए भारतीय स्थितियों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों का सत्यापन शीर्षक की डीयूएस परियोजना संस्थान द्वारा 2009 से निम्न उद्देश्यों से लागू की जा रही है :

- (i) डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का मानकीकरण, सत्यापन तथा मूल्यांकन;
- (ii) विविधता की सीमा का गुण-निर्धारण; और
- (iii) राष्ट्रीय डेटाबेस का विकास

अखरोट के 85 से अधिक जीनप्ररूपों/किस्मों तथा बादाम की सभी किस्मों का गुण-निर्धारण भी किया जा चुका है। खुबानी की 54 किस्मों/जननद्रव्य/भू-प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया तथा इन्हें जननद्रव्य ब्लॉक में रखा गया। खुबानी के 40 विवरणों तथा चेरी के 21 विवरणों का जैव-विविधता अंतरराष्ट्रीय विवरण सूची के अनुसार किस्मगत मूल्यांकन किया गया।

सेब के 88 किस्मों/जननद्रव्य/भू-प्रजातियों/चयनों/ मूलवृत्तों



फल की आकृति, रंग तथा अंखुए के गड्ढे में विविधता

का मूल्यांकन किया गया तथा इन्हें जननद्रव्य ब्लॉक में अनुरक्षित किया गया। सेब में वानस्पतिक बढ़वार, वृक्ष स्वभाव, पुष्पन/फल लगने के गुणों, फल से संबंधित आंकड़ों तथा गुणवत्ता प्राचल संबंधी गुणों पर आंकड़े रिकॉर्ड किए गए। सेब के 10 मूल वृत्त तथा मेलस

बैकाटा की 9 प्रविष्टियों का भी मूल्यांकन किया गया। सेब और नाशपाती के विवरण पर्योक्षित किए गए, रिकॉर्ड किए गए और श्रीनगर की स्थिति में उनका मूल्यांकन किया गया। एक वर्ष की अवधि तक रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों का सेब और नाशपाती के विवरण तैयार करने के लिए और आगे समूहीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में सेब की 204 प्रजातियों और नाशपाती की 35 प्रजातियों का रखरखाव किया जा रहा है।

4.4 राष्ट्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र (एनआरसी), नागपुर

यह केन्द्र सिट्रस (सी.रेटिकुलेटा, सी.साइर्नेसिस, सी.ग्रेंडिस और सी.आरेटिफोलिया) के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने शीर्षक की डीयूएस परियोजना पर कार्य कर रहा है। उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, मेघालय भी सह-नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस केन्द्र को विभिन्न समूहों में नींबूवर्गीय फलों की किस्मों की पहचान, किस्मों के पंजीकरण, किस्मगत सूचना व डेटाबेस सृजित करने और संदर्भ संकलन स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। केन्द्र ने वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण सिट्रस की 7 किस्मों नामतः नागपुर मेंडारिन, खासी मेंडारिन, कुर्ग मेंडारिन, सतगुड़ी, मौसम्बी, कागज़ी नींबू और प्यूमेलो की पहचान की है तथा डीयूएस परीक्षण के लिए 14 विवरणों जैसे पत्ती का आकार, पर्णवृत्त पक्ष उपस्थित, अनुपस्थित, स्टेमन की संख्या, फल आने के मौसम, फलभार, फल के आकार, फल आधार की आकृति, फल के शीर्ष की आकृति, फल की सतह की बनावट, एल्बेडो के रंग, एंडोकार्प में छिलके के अंश, टीएसएस/अनुपात और बीजपत्र के रंग को अंतिम रूप दिया है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान सिट्रस की 6 वाणिज्यिक किस्मों के लिए विभिन्न मौसमों में इन गुणों को रिकॉर्ड किया गया। इस केन्द्र में संदर्भ संकलन भी रखे जा रहे हैं जिनका उपयोग स्थल पर डीयूएस परीक्षण में किया जाएगा।

4.5 टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र, जोरहट

चाय की किस्मों (कैमेलिया साइंनेसिस और सी.असामिका) के



डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास और पंजीकरण हेतु चाय के विवरणों के सत्यापन शीर्षक की परियोजना यूपीएसआईटी रिसर्च फाउंडेशन, चाय अनुसंधान संस्थान, वेल्लापारे, तमिल नाडु; दार्जिलिंग टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, भारतीय चाय बोर्ड, कुर्सियोंग, पश्चिम बंगाल तथा अन्य संबंधित संस्थानों के साथ टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र, टी रिसर्च एसोसिएशन, जोरहट, असम में आरंभ की गई थी। मैदानी क्षेत्र के लिए 31 किस्मों दार्जिलिंग की पहाड़ियों के लिए 27 किस्मों, यूपीएसआई, चाय अनुसंधान संस्थान की 32 किस्मों को विकसित करके टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र, जोरहट द्वारा वाणिज्यिक रोपाई के लिए जारी किया गया है। डीयूएस अध्ययन के लिए टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र, जोरहट तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, नागरकाटा, पश्चिम बंगाल में डीयूएस अध्ययन के लिए कलोनों को चिह्नित किया गया। किस्मों का 14 आकृति विज्ञानी तथा पुष्टीय गुणों के लिए गुण निर्धारण किया गया। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष आकृति विज्ञानी गुणों की भी पहचान की गई।



4.6 हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान (एचएफआरआई), शिमला

शंकव वृक्षों (चीड़ और देवदार) के लिए विशिष्ट गुणों की पहचान शीर्षक की एक परियोजना एचएफआरआई, शिमला को सौंपी गई है। इस परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाइनस रॉक्सबर्डी तथा सैड्रस डियोडारा की जनसंख्या के संबंध में आरंभिक सूचना पर चयनित सर्वेक्षण रिपोर्टधीन अवधि के दौरान किए गए। विशिष्ट आकृति



विज्ञानी गुणों से युक्त जनसंख्याओं में व्यक्तिगत पौधों की छंटाई के प्रयास किए गए। इन गुणों में सुई का आकार व रंग, छाल की पद्धति व मोटाई, शंकव का स्वरूप व आकार शामिल थे। रिपोर्ट की अवधि के दौरान जोगेन्द्र नगर, पियोन्ट्रा वन (नेरवा) चौपाल के नुरपुर, दिबकान वन, नाहन के बनेथी वन और सोलन वन प्रभाग के छब्ल वन से चीड़ की जनसंख्याओं का सर्वेक्षण किया गया (सारणी 13 व 14)।

किन्नौर तथा थियोग, चैल के चियॉग वन, शिमला के कुफरी वनों और चौपाल वन विभाग के थारोएच वनों के अंतर्गत सैड्रस डियोडारा

सारणी 13 : पाइनस रॉक्सबर्डी के पहचाने गए डीयूएस गुण

गुण	अभिव्यक्ति	अभियुक्तियां
सुई का रंग	गहरा हरा, हरा, हल्का हरा, हल्का पीला, चमकदार हरा और नीलापन लिए हरा	
सुई का आकार	सामान्य आकार, 20–30 सें.मी.	उर्ला-दिबकान वन (मंडी) में 31.6 और 30.8 सें.मी. सुई लंबाई देखी गई
सुई की मोटाई	सामान्य आकार 0.45 मि.मी. – 0.9 मि.मी.	उर्ला-दिबकान वन (मंडी), जोगिन्द्र नगर वन प्रभाग में 1.18 मि.मी. से 1.25 मि.मी. की विविध मोटाई वाली गहरी हरी सुइयां
छाल	लम्बवत तथा गहरे खांचे	दो प्रकार का छाल पैटर्न, एक लंबा, गहरा भूरा, गहरा कटावदार जिसमें चौड़े, कम गहरे, हल्के भूरे नियमित पैटर्न पाए गए
क्राउन	गोल और शंक्वाकार	समतल, छितरे हुए, छतरी की आकृति के शंक्वाकार जिनका शाखन कोण विविध प्रकार का (कोणीय, अति कोणीय व क्षैतिज)
शंकव	छोटे से बड़ा (10–20 सें.मी. लंबा तथा 7.5–15 सें.मी. चौड़ा)	सबसे बड़े की लंबाई 17.2 सें.मी. और चौड़ाई 9.5 सें.मी. रिकॉर्ड की गई जो उर्ला दिबकान वन (जोगेन्द्र नगर वन प्रभाग) में मिला था, तथा छब्ल वन (धर्मपुर वन श्रेणी, सोलन वन प्रभाग) से प्राप्त 15.5 सें.मी. लंबा और 8.9 सें.मी. चौड़ा

सारणी 14 : सिङ्गर डियोडारा के पहचाने गए डीयूएस गुण

गुण	अभिव्यक्ति	अभियुक्तियाँ
सुई का रंग	हरा, हल्का हरा, गहरा हरा, हल्का नीला, हल्का धूसर	
सुई की लंबाई	1.5–4.0 सें.मी.	चियांग वन (थियोग वन प्रभाग) में 4.8 सें.मी. और किन्नौर वन में 5.8 सें.मी. देखी गई
छाल	लंबे खांचे	गहरा भूरा रंग, खांचों का लंबा गहरा और शल्क युक्त उभारों वाला पैटर्न
क्राउन	शंकव और चपटा	शंकव, चपटा और गोल
शंकव आकार	सामान्य आकार 12.5 से 15 सें.मी. लंबा	किन्नौर वन में 9.0 सें.मी. लंबा और 5.8 सें.मी. चौड़ा शंकव आकार देखा गया
शाखा पद्धति	सामान्यतः कोणीय या क्षैतिज	शाखाओं की झुकी हुई शाखा प्रवृत्ति

की लैबरांग, झांगी और कल्प प्रजातियों की जनसंख्याओं का सर्वेक्षण किया गया। सुई के रंग व आकार, छाल के रंग व आकृति तथा शंकव के स्वरूप से संबंधित गुणों को विवरणों के रूप में पहचाना गया।

4.7 वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (आरएफआरआई), जोरहट

आरएफआरआई में परियोजना के अंतर्गत बैम्बूसा बैलोकुआ और डैंड्रोकैलेमस हैलिमंटोनी के डीयूएस विवरणों तथा विविधता संबंधी अध्ययनों का विकास का कार्य में किया जा रहा है। इसके उद्देश्य में शामिल हैं डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास में किए गए विशिष्ट आकृति विज्ञानी गुणों की पहचान, जननद्रव्य बैंक की स्थापना तथा बांस की उपरोक्त प्रजातियों के प्रलेखित गुणों के डेटाबेस का विकास डी.हेल्मिनटोनी के मामले में प्राकृतिक वन क्षेत्रों से सभी पादप सामग्री एकत्र की गई तथापि गृह उद्यानों अथवा रोपण स्थलों से एकत्रित बी. बालकुआ की सामग्री इन प्राकृतिक वनों में उपलब्ध नहीं थी। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान कलम्प, कल्म से संबंधित आकृति विज्ञानी गुणों, शाखन संबंधी गुणों, पत्ती तथा कल्म आच्छद का प्रलेखन किया गया।



4.8 केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (सीआईएएच), बीकानेर

इस संस्थान को प्राधिकरण द्वारा बेर, खजूर, खरबूजा और तरबूज के डीयूएस विवरणों के सत्यापन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा गठित कार्यबल केन्द्र का मार्गदर्शन कर रहा है।

- बेर (जिजिफस प्रजाति) के लिए डीयूएस विवरणों का सत्यापन



कुल 30 किस्मों का मूल्यांकन आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि विभिन्न आकृतिविज्ञानी प्राचलों के संदर्भ में व्यापक आनुवंशिक विविधता मौजूद है। बढ़वार स्वभाव (सीधा, अर्ध-सीधा और फैलावदार); पत्तियों के गुण जैसे पत्ती की नोक और आधार (नुकीले और मुथरे), पत्ती का आकार (लंबाई और चौड़ाई), पत्ती का घुमाव, पत्ती की आकृति (अंडाकार, हृदयाकार और प्रति अंडाकार) पत्ती तारुण्यता, कांटे संबंधी गुण जैसे कटीलापन, कांटे की आकृति



और आकार के संदर्भ में बेर में आकृति विज्ञानी विविधता नोट की गई। फल के गुणों में भी विविधता नोट की गई। ये गुण थे फल का आकार (अंडाकार, प्रतिअंडाकार और गोल) फल की सतह (उठावदार और समतल), फल की नोक, गोल और नुकीली, गूदे की गुहा तथा गूदे ओर गुठली का अनुपात। इस उद्देश्य से गठित कार्य बल ने 16 दिसंबर 2011 को एक बैठक आयोजित की तथा बेर में डीयूएस दिशानिर्देशों के लिए आकृतिविज्ञानी गुणों की 5 श्रेणियां सुझाईं, नामतः बढ़वार स्वभाव, पत्तियों की विशेषताएं, कांटे के गुण, पुष्प संबंधी गुण और गूदा संबंधी गुण।

- **खजूर के डीयूएस विवरणों का सत्यापन**

केन्द्र में अनुरक्षित खजूर की 40 किस्मों में से सर्वाधिक किस्में विदेश से लाई गई थीं। छह किस्में नामतः पंजाब रेड, भूगोसो, खोथो, बीकानेर लोकल, जावंत्री और गुलचाटी देशी संकलन हैं जिनका उष्ण शुष्क स्थितियों के अंतर्गत निष्पादन के लिए मूल्यांकन किया गया। आकृतिविज्ञानी गुणों नामतः पत्ती आकार, उप-पत्ती आकार, रेशा लंबाई, प्रति फुट कांटों की संख्या, खजूर के वृक्ष की ऊंचाई, कांटे के आकार, कांटे की लंबाई, दो कांटों के बीच की दूरी, उप-पत्तियों के मुँडने के कोणों, उप पत्ती की नोक की आकृति, शूकियों की आकृति, शूकी आकार, प्रति फुट उप पत्तियों की संख्या, प्रति फुट पत्ती की दूरी, खजूर अंकुर निकलने का समय, पूरा खजूर बनने के समय अंकुर के खिलने परागण के दिन, अंकुर के



आकार से संबंधित पर्यवेक्षण 10 किस्मों से रिकॉर्ड किए गए। फल संबंधी गुणों का पर्यवेक्षण जून-जुलाई 2012 में किया जाएगा। खजूर प्रायोगिक ब्लॉक परिसर के चारों ओर बाड़ के लिए दीवार के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

- **तरबूज और खरबूजे के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का सत्यापन**

तरबूज : तरबूज के सात जीनप्ररूप और इसकी नौ जारी की गई किस्मों का 2011 के गर्भियों के मौसम के दौरान विभिन्न आकृति विज्ञानी गुणों के लिए संकलन, मूल्यांकन व गुण-निर्णय किया गया। आरडब्ल्यू 187-2 में बीज कवच की सतह का रंग समरूप सफेद पाया गया।

सर्वाधिक बीज लंबाई चार्ल्स्टन ग्रे में देखी गई (1.25 सें.मी.) और न्यूनतम अर्का मणिक (0.68 सें.मी.) पाई गई। 100 बीजों का भार अर्का मणिक में 3.77 ग्राम से लेकर थार मानक में 10.44 ग्रा. के बीच भिन्न-भिन्न था। बीजपत्र की लंबाई दुर्गापुरा में 2.46 सें.मी. से लेकर थार मानक में 4.71 सें.मी. के बीच अलग-अलग थी। दुर्गापुरा लाल को छोड़कर तरबूज की सभी संदर्भ किस्मों में बीज की आकृति 5 पालियों वाली पाई गई। दुर्गापुरा लाल में पत्ती की आकृति पालिविहीन थी। एएचडब्ल्यू 65 के अतिरिक्त अन्य सभी जीनप्ररूपों में एकलिंगी लिंग पाया गया, जबकि एएचडब्ल्यू 65 लिंग में उभयरूपी था। डिम्बाशय की दो आकृतियां अंडाकार व लंबी देखी गई जिनमें तारुण्यता का विभिन्न अंश था (निर्बल, मध्यम और सबल)। आरडब्ल्यू 187-2 जिसके गूदे का रंग पीला था, को छोड़कर अन्य सभी परीक्षित जीनप्ररूपों के गूदे का रंग लाल पाया गया। गूदे की कठोरता को मृदु, मध्यम और कठोर के रूप में श्रेणीकृत किया गया। फल का भार चार्ल्स्टन ग्रे में 2.32 कि.ग्रा. से लेकर असाही यमातो में 4.00 कि.ग्रा. के बीच था। टीएसएस का परास एएचडब्ल्यू 19 में 8.3 प्रतिशत से लेकर आरडब्ल्यू 187-2 में 12.21 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड किया गया। सभी एकत्रित किस्मों/जीनप्ररूपों के बीजों को अगले वर्ष में उपयोग के लिए निधानीकरण के माध्यम से रखा गया। तरबूज के लिए कुल 47 डीयूएस विवरण विकसित किए गए। इनमें से पाँच विवरण बीजपत्र के गुण, दस पौधों की बढ़वार (अंतरगांठ, पत्ती, पर्णवृत्त) तीन अंडाशय के लिए, दो पुष्पन संबंधी, एक फलों की परिपक्वता



से संबंधित इककीस फल के गुणों, पाँच बीज के गुणों और एक टीएसएस के लिए विकसित किया गया।

खरबूजा : गुण—निर्धारण तथा अनुरक्षण प्रजनन के लिए ग्यारह संदर्भ किसमें व नौ जीनप्ररूप एकत्र करके बोए गए। बीजों का रंग सफेद (अर्का जीत, अर्का राजहंस, काशी मधु, पूसा मधुरस), क्रीम जैसा पीला (जीएमएम—3, आरएम—43, दुर्गापुरा मधु) तथा पीला (पूसा शर्बती) में पाया गया। 100 बीजों का भार, अर्का जीत में 1.75 ग्रा. से लेकर आरएम—50 में 4.02 ग्रा. के बीच था। बीजपत्र में हरे रंग की गहनता हल्की (एमएचवाई 3, आरएम 50), मध्यम (दुर्गापुरा मधु, काशी मधु, पूसा शर्बती) तथा गहरी (अर्का जीत) पाई गई। पत्रदल के रंग की गहनता हल्की (आरएम 43); मध्यम (अर्का जीत, दुर्गापुरा मधु) तथा गहरी (काशी मधु, पूसा शर्बती, पूसा मधुरस) रही। दो प्रकार के लिंग स्वरूप नामतः सभी जारी किस्मों में उभयलिंगी तथा एएचएमएम—8 में एक लिंगी देखे गए। गूदे की मोटाई अर्का राजहंस में 1.57 सें.मी. से लेकर पूसा शर्बती में 3.20 सें.मी. के बीच अलग—अलग थीं। गूदे का रंग गेरुआ (पूसा शर्बती, पूसा मधुरस), सफेद (अर्का जीत), हरा (दुर्गापुरा मधु), गेरुआ नारंगी (काशी मधु) तथा हरापन लिए हुए सफेद (अर्का राजहंस, जीएमए 3) था। परिपक्वता पर डंठल के साथ जुड़े रहने की शक्ति शून्य स्लिप (अर्का जीत, दुर्गापुरा मधु); अर्ध—स्लिप (अर्का राजहंस, काशी मधु) तथा पूर्ण स्लिप (जीएमएम—3) थी। फल का भार अर्का जीत में 0.35 ग्रा. से लेकर एमएचवाई पाँच में 1.22 कि.ग्रा. के बीच भिन्न—भिन्न था। फलों में टीएसएस की मात्रा आरएम 50 में 11.60 प्रतिशत से लेकर जीएमएम में 12.95 प्रतिशत के बीच अलग—अलग थी। सभी किस्मों/जीनप्ररूपों का स्वनिषेचन कराया गया तथा बीजों को भावी उपयोग के लिए रखा गया। खरबूजे में 44 डीयूएस विवरण विकसित किए गए जिनमें तीन पौद संबंधी गुणों, छह पत्ती संबंधी गुणों, एक पर्यावृत, तीन अंडाशय संबंधी गुणों, दो पुष्पन के लिए, एक फलों की परिपक्वता के लिए, तेहिस फल के विभिन्न गुणों तथा चार बीज संबंधी गुणों के थे।



4.9 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर), वाराणसी



यह केन्द्र कुकरबिटों (लौकी, कद्दू करेला, खीरा—ककड़ी, परवल) के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास और सत्यापन पर कार्य कर रहा है। रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान कद्दू (16), लौकी (32), करेला (27), खीरा—ककड़ी (21) तथा परवल (20) की किस्मों को भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के सत्यापन हेतु एकत्र किया गया। इन सभी फसलों की सभी किस्मों का मूल्यांकन विभिन्न विवरण अवस्थाओं के लिए किया जा रहा है। इन सब्जियों के महत्वपूर्ण आकृति विज्ञानी विवरणों, अनिवार्य गुणों तथा समूहीकरण संबंधी गुणों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है (सारणी 13)।

4.10 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु

मिर्च, स्वीट पैपर तथा पैपरिका (कैप्सिकम एनम एल.) के लिए

सारणी 15: कुकरबिटों के लिए संदर्भ किस्मों की संख्या व आकृतिविज्ञानी, अनिवार्य और समूहीकरण गुणों की सूची

क्र. सं.	फसलें	2011–2012		अनिवार्य गुण	समूहीकरण गुण
		किस्मों की संख्या	आकृति विज्ञानी गुणों की संख्या		
1.	लौकी (लेजेनेरिया साइनेसेरारिया)	32	31	13	6
2.	कद्दू (कुकरबिटा मॉस्काटा)	16	36	16	6
3.	करेला (मामार्डिका चरांशिया)	27	30	13	7
4.	खीरा—ककड़ी (क्यूक्यूमिस सेटाइवस)	21	36	12	5
5.	परवल (ट्राइक्सेसंथस डाइओइका)	20	15	10	5



डीयूएस दिशानिर्देशों का कार्य आईआईएचआर बंगलुरु को सौंपा गया है जो नोडल केन्द्र है तथा भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली का शाक विज्ञान प्रभाग, सह—नोडल केन्द्र है। शिमला मिर्च की 22 वन्य प्रजातियां हैं। 5 खेत में उगाई जाने वाली प्रजातियां हैं : कैप्सीकम एनम, सी.फ्लूटेसेंस, सी.बेकाटम, सी.चाइनेसिस और सी.प्यूबीसेंस रिपोर्ट की अवधि के दौरान पर्यवेक्षणों को रिकॉर्ड करने के लिए 45 आकृतिविज्ञानी गुणों की पहचान की गई है तथा इनका उपयोग डीयूएस विवरणों के रूप में किया जाएगा। इस केन्द्र में मिर्च, स्वीट पैपर तथा पैपरिका की स्थानीय किस्मों, भू—प्रजातियों, अधिसूचित विद्यमान किस्मों का संकलन आरंभ कर दिया है तथा डीयूएस परीक्षण करने के लिए दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं। इस उद्देश्य से गठित कार्यदल ने दोनों केन्द्रों (आईआईएचआर और भा.कृ.अ.सं.) में मुख्य मौसम के दौरान विशिष्ट गुणों के लिए उदाहरण किस्मों की पहचान हेतु मूल्यांकित की जाने वाली संदर्भ किस्मों की अनुशंसा की है।

4.11 राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीजी), पुणे

भारतीय स्थितियों में अंगूर के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के शीर्षक वाली परियोजना राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र में कार्यान्वित की जा रही है। इस केन्द्र में अंगूर के लिए डेटाबेस का विकास करके अंगूर से संबंधित इस डेटाबेस का सत्यापन और परिशोधन किया है जिसका उपयोग डीयूएस परीक्षण



केन्द्र में कार्यान्वित की जा रही है। इस केन्द्र में अंगूर के लिए डेटाबेस का विकास करके अंगूर से संबंधित इस डेटाबेस का सत्यापन और परिशोधन किया है जिसका उपयोग डीयूएस परीक्षण

दिशानिर्देशों में किया जाना है। किस्मों को विभेदित करने के लिए 46 गुण निर्धारित किए गए हैं जो प्ररोह (7), पत्ती (11), पुष्प (2), शाखा (6), अंगूर (16) तथा लताओं की विभिन्न कटाई छंटाई वाली अवस्थाओं (4) से संबंधित हैं। ये गुण उपोष्ण भारतीय स्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। उपलब्ध फील्ड जननद्रव्य से 112 प्रविष्टियां गुण—निर्धारण के लिए चुनी गई तथा इनके पर्यवेक्षण रिकॉर्ड किए जाने हैं। इस उद्देश्य से आंकड़ों का मूल्यांकन किया गया तथा इसके लिए डीयूएस दिशानिर्देशों से संबंधित डीयूएस विवरणों का उपयोग किया गया।

4.12 वन महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई), मेटुपल्लयम, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय


नीम, करंज और रतनजोत की वृक्ष प्रजातियों के लिए विवरणों व डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास पर परियोजना की प्रगति निम्नानुसार है :

- नीम में 12 विवरण विकसित करके प्रलेखित किए गए।
- मातृ वृक्षों/प्रत्याशी वृक्षों में कलम लगाने की क्लेफ्ट विधि के अंतर्गत पैसिल की मोटाई वाले मूलवृंतों का उपयोग सायन कलम सामग्री के रूप में किया गया (करंज)।
- करंज में फोटोग्राफी प्रमाणों के साथ बढ़वार और प्रजनन संबंधी विशेषकों के साथ 19 विवरणों को विकसित करके प्रलेखित किया गया।
- जैट्रोफा करक्यूरस में 20 सें.मी. लंबी व 1.3 से 1.7 सें.मी. व्यास की 20 सें.मी. लंबी कलमों में 90 प्रतिशत से अधिक जड़ें विकसित हुईं।
- जैट्रोफा संकरों में वृद्धि एवं प्रजनन संबंधी विभिन्न गुणों के लिए 25 विवरण विकसित किए गए।

4.13 केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई), तिरुअनंतपुरम

उष्णकटिबंधीय कंद फसलों, कसावा और शकरकंद के लिए डीयूएस परीक्षण मानदंडों के विकास व किसी जीन बैंक की स्थापना पर परियोजना सीटीसीआरआई, तिरुअनंतपुरम में कार्यान्वित की जा रही है। इसका सह-नोडल केन्द्र भुवनेश्वर में है। इसके अतिरिक्त कसावा और शकरकंद के लिए 'राष्ट्रीय किस्म जीन बैंक' भी स्थापित किया गया है। इस केन्द्र में कसावा के डीयूएस गुण-निर्धारण के लिए कम्प्यूटरीकृत डेटा विकसित किया जा रहा है जहां प्रतिकृति परीक्षणों में 20 जारी की गई किस्मों का मूल्यांकन किया गया। कसावा की किस्मों का गुण-निर्धारण 66 गुणों के आधार पर किया गया। कसावा की किस्मों के समूहीकरण के लिए पहचाने गए 6 गुण हैं : (क) तना : तने का प्रमुख रंग (ख) पत्ती : उभरती हुई पत्ती का रंग और पर्णवृत्त का रंग, (ग) कंद : आकृति, कॉर्टेक्स का रंग और गूदे का रंग, प्रत्येक डीयूएस विवरण के संदर्भ में संदर्भ किस्मों को पहचानकर अनुरक्षित किया गया। 22 जारी की गई किस्मों के अतिरिक्त 30 जननद्रव्य प्रविष्टियों को संदर्भ किस्मों के रूप में अनुरक्षित किया गया। डीयूएस गुण-निर्धारण के आधार पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा विकसित किया जा रहा है। भारत में जारी की गई कसावा की 5 और शकरकंद की 7 किस्में फील्ड जीन बैंक तथा डेटाबेस में जोड़ी गईं।

डीयूएस गुणों की पहचान के लिए शकरकंद की 40 किस्मों तथा अन्य संदर्भ किस्मों का गुण-निर्धारण किया गया। 53 विवरण रिकॉर्ड



किए गए। शकरकंद के समूहीकरण के लिए पहचाने गए कुछ गुण थे : लता का प्रमुख रंग; पत्ती की आकृति; पुष्प : वर्तिकाग्र का निकलना और पंखुड़ी की आकृति; छिलके का प्रमुख रंग; और गूदे का प्रमुख रंग। इन दोनों फसलों के क्रमशः छह और पाँच गुणों की पहचान इनके समूहीकरण के लिए की गई।

4.14 राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, पेक्यांग, सिक्किम

यह केन्द्र ऑर्किड की तीन प्रजातियों नामतः कैम्बिडियम, डेंड्रोबियम और वाण्डा के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास व सत्यापन हेतु उत्तरदायी है। ये दिशानिर्देश अंतिम रूप से तय किए गए तथा कार्य बल द्वारा अनुमोदन के पश्चात अधिसूचित किए गए। इस केन्द्र में कैम्बिडियम के 30 संकरों व 12 प्रजातियों, डेंड्रोबियम के 20 संकरों और 26 प्रजातियों तथा वाण्डा के 23

संकरों और छह प्रजातियों का अनुरक्षण किया जा रहा है तथा ऑर्किडों के 22 प्रमुख आकृतिविज्ञानी गुणों के लिए इनका अध्ययन किया गया। कैम्बिडियम, डेंड्रोबियम और वाण्डा ऑर्किडों के पहचाने गए संकरों के गुण-निर्धारण व डिजिटलीकरण का कार्य भी पूरा किया गया।



4.15 औषधीय एवं संगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय (डीएमएपीआर), आनंद, गुजरात

यह निदेशालय औषधीय एवं संगंधीय प्रजातियों के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास, प्रयोगशाला और फील्ड सुविधाओं के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को सबल बनाने, डिजिटलीकरण और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है। इस निदेशालय में ईसबगोल (प्लांटागो ओवाटा फॉस्क) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करके उन्हें अंतिम रूप दिया गया है तथा रबी 2011–12 के दौरान नई किस्मों से तुलना करने के लिए 11 संदर्भ किस्मों का रखरखाव किया गया है। रखरखाव के लिए इन वंशक्रमों के बीज एकत्र किए गए। यह निदेशालय कालमेघ (एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा) तथा गुगल (कैमिफोरा वाइधिटी) के लिए डीयूएस विवरणों के विकास पर कार्य कर रहा है। खरीफ 2011 के दौरान डीएमएपीआर में डीयूएस विवरणों के विकास के लिए एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा की बुवाई की गई। पिछले मौसम के दौरान एकत्र किए गए आकृति विज्ञानी गुणों संबंधी सूचना के आधार पर 15 आकृति प्ररूपों की पहचान की गई तथा गुणों की स्थिरता के लिए उनका पर्यवेक्षण किया गया।

गुगल (कैमिफोरा वाइधिटी) में अनुरक्षित की गई 73 प्रविष्टियों का उपयोग विवरणों के विकास के लिए किया गया। फील्ड जीन बैंक में उपस्थित इन प्रविष्टियों में से 47 गुजरात से हैं तथा 26 राजस्थान से हैं। इनमें से 61 मादाओं का, नौ नरों का तथा तीन उभयलिंगियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राजस्थान की सभी प्रविष्टियां मादा हैं। पौधे की संरचना के आधार पर तीन मुख्य प्रकारों की पहचान की गई, नामतः सीधा, अर्ध-सीधा, झुका हुआ (फैलावदार) बीज आकृति की श्रेणियां थीं : प्रतिअंडाकार, ग्लोबाकार-प्रतिअंडाकार, प्रतिअंडाकार-लेंसाकार, दीर्घ वृत्ताकार और गोल, ये श्रेणियां विभिन्न प्रविष्टियों से रिकार्ड की गईं। पत्ती और फल संबंधी गुण थे : रंग और आकार जो डीयूएस विवरण की सूची में शामिल किए गए। विभिन्न प्रविष्टियों में फलों की व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि या तो वे पौधे पर एकल लगे हुए थे या 2–5 के समूह में थे। विभिन्न प्रविष्टियों में छाल के रंग का अध्ययन किया गया और

इनमें हरापन लिए हुए पीले से लेकर हरापन लिए हुए भूरे रंग की विविधता पाई गई।

4.16 राष्ट्रीय बीज मसाले अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीएसएस), अजमेर

रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस केन्द्र में धनिया (कोरिएंड्रम सेटाइवम एल.) की 24 किस्मों के बीज नमूने विभिन्न राज्यों से एकत्र करके इस केन्द्र में रखे जा रहे हैं। किस्मगत गुण—निर्धारण के लिए जिन डीयूएस विवरणों का उपयोग किया गया उनमें अगती पौधे की पुष्टता, पत्ती की कोर, पत्ती का आकार, पत्ती का रंग, पर्णवृत्त सहित सबसे लंबी आधार पत्ती की लंबाई (सें.मी.) आधार पत्तियों की संख्या, सबसे लंबी आधार पत्ती का स्वभाव, उप पत्तियों की संख्या, पत्ती की चमक, तना निकलना आरंभ होने के



दिनों की संख्या, तने पर धारियां, तना तारुण्यता, तने का रंग, पंखुड़ी का रंग, नर पुष्पों की संख्या में एकलिंगी पुष्पों का अनुपात, पौधे की ऊंचाई, प्रति पौधा प्राथमिक शाखाओं की संख्या, गौण शाखाओं की संख्या, मुख्य अम्बेल में अम्बलेट की व्यवस्था, प्रति पौधा अम्बेल की संख्या, प्रति पौधा अम्बलेट की संख्या, फल / अम्बेल की संख्या, प्रति पौधा बीज की उपज, 1000 बीजों का भार, बीज का रंग, बीज की आकृति और बीज का आकार जैसे गुण शामिल थे।

इस केन्द्र में मेथी की 18 संदर्भ किस्मों का भी गुण—निर्धारण किया गया है तथा 7 प्राथमिक गुण निर्धारित किए गए जैसे प्राथमिक

शाखाओं और द्वितीयक शाखाओं की संख्या, फली की लंबाई, प्रति पौधा फलियां, प्रति फली बीज और पौधे की ऊंचाई, पौधे की लंबाई हिसार माध्यमी में 33.5 सें.मी. से लेकर आरएमटी 3 में 49.3 सें.मी. के बीच, जबकि प्रति फली बीजों की संख्या सबसे कम एएम 1 में थी जबकि सबसे अधिक 16.5 आरएमटी में थी। अन्य गुणों को भी आंका जा रहा है।

4.17 राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ

एनबीआरआई को बोगनविलिया, ग्लेडियोलस और केन्ना की किस्मों के डीयूएस परीक्षण क्रियाविधियों के विकास व सत्यापन व उनके गुण—निर्धारण का कार्य सौंपा गया है। पंजीकरण के उद्देश्य से डीयूएस परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस




के विकास तथा सजीव जननद्रव्य के संकलन का कार्य भी इसी संस्थान का है। संस्थान में जननद्रव्य संकलन के रूप में बोगिनविलिया की 200 किस्में विकसित की गई हैं जिनमें से 25 किस्में नई हैं। ग्लेडियोलस में 110 जननद्रव्य प्रविष्टियों में से 40 नई किस्में विकसित की गई हैं। केन्ना में सभी किस्मों के मातृ स्टॉक के प्रतिनिधियों को जननद्रव्य के रूप में संकलित करके अनुरक्षित किया गया है तथा तने, पत्ती, पुष्पक्रम व पुष्प संबंधी गुणों से युक्त डीयूएस विवरणों का उपयोग किस्मों के बीच विविधता की पहचान के लिए किया गया।



5. भारतीय पौधा किस्म जरनल, राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर एवं प्रकाशन


पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 2(जी) के अनुसार प्राधिकरण हिंदी और अंग्रेजी में एक द्विभाषी प्रकाशन भारतीय पौधा किस्म जरनल अपने अधिकारिक जरनल के रूप में प्रकाशित करता है जो प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर जन-सामान्य को उपलब्ध करा दिया जाता है। अधिनियम के उद्देश्य से इन जरनल को राजपत्र का दर्जा प्राप्त है। रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान ड्यूरम, डाइकोम तथा गेहूं की अन्य ट्रिटिकम प्रजातियों, ईसबगोल, दमस्क गुलाब, पुदीना, सदाबहार, ब्रह्मी, नारियल और ऑर्किडों की तीन प्रजातियों के विशिष्ट दिशानिर्देश डीयूएस परीक्षण के उद्देश्य से विकसित किए गए; तिलहनी फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण करने के लिए शुल्क तथा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत स्वीकृति के पूर्व डीयूएस परीक्षण के लिए शुल्क की सूचना प्रकाशित की गई। डीयूएस परीक्षण के लिए 237 उन नई व विद्यमान किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े प्रकाशित किए गए जिनके बारे में सामान्य ज्ञान था। बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत 133 विद्यमान किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े पंजीकरण के लिए स्वीकार किए गए तथा उन्हें यदि किसी व्यक्ति/संगठन से कोई आपत्ति हो तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया गया। 49 उन किस्मों के विवरण भी इस जरनल



में प्रकाशित किए गए जो प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत की गई थीं और जिनके लिए प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके थे। इसका उद्देश्य लाभ में साझेदारी के दावे आमंत्रित करना था।

5.1 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 13 का अनुपालन करते हुए पौधा किस्म रजिस्टर के मुख्यालय में पौधा किस्मों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर खोला है। इस रजिस्टर में सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के नामों के साथ-साथ संबंधित प्रजनकों के नाम व पते, किस्म का नाम, विशिष्टताएं, मुख्य गुण आदि से संबंधित विवरण दर्ज है। रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान 20 नई किस्मों तथा 99 विद्यमान



जारी की गई किस्मों और बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित किस्मों को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर की एक प्रति मुख्यालय में है तथा इसकी अन्य प्रतियां गुहावटी व रांची स्थित शाखा कार्यालयों को भी उपलब्ध करा दी गई है।

5.2 प्राधिकरण के प्रकाशन

भारतीय पौधा किस्म जरनल नियमित रूप से द्विभाषिक, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है। प्राधिकरण द्वारा तैयार पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 से संबंधित 2 ब्रॉशर विभिन्न बैठकों व प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम में बांटे गए। इसी प्रकार के अन्य ब्रॉशर व पोस्टर, वार्षिक रिपोर्ट व अन्य प्रकाशन भी प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित किए गए। प्राधिकरण की वेबसाइट द्विभाषी है। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश भी प्राधिकरण द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं



में प्रकाशित किए जाते हैं। प्राधिकरण में जो भी पत्र या अन्य सरकारी संचार हिन्दी में प्राप्त हुए उन सब के उत्तर हिन्दी में दिए गए। प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवसर की आवश्यकता के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी में व्याख्यान दिए।

कृषक अधिकार तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण पर 2 पम्फलेट 10 भाषाओं यथा गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू अंग्रेजी व हिन्दी में प्रकाशित किए गए। कृषक अधिकारों तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के क्रियाकलापों को दर्शने वाले पोस्टर प्रकाशित किए गए तथा किसान मेला, कृषक मेला व जागरूकता कार्यक्रमों जैसे विभिन्न अवसरों पर प्रदर्शित किए गए। ड्यूरम, डाइकोकम व ट्रिटिकम प्रजातियों (गेहूँ); ईसबगोल;

पूदीना, दमस्क गुलाब, सदाबहार, ब्रह्मी, नारियल, बांस पत्ती और किंड या बोट और किंड या सिंगापुर और वाण्डा या ब्लू और किंड पर विशिष्टता व स्थायित्व परीक्षण करने के लिए 12 दिशानिर्देश हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित किए गए।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पत्र प्रकाशित किए गए :

- गौतम, पी.एल. (2011). फार्मर्स राइट्स अंडर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट ऑफ इंडिया, थिंक इंडिया ट्रैमासिक, खण्ड 14(3): 165–182
- पी.एल.गौतम, अजय कुमार सिंह, मनोज श्रीवास्तव और पी.के. सिंह (2012) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स: ए रिव्यू, इंडियन जे. प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस, 25 (1): 8–29

5.3 पुस्तकालय

प्राधिकरण का अपने स्टॉफ़ / कर्मचारियों के उपयोग हेतु एक छोटा पुस्तकालय है। 31 मार्च 2012 को विभिन्न विषयों पर लगभग 550 पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध थीं जो सामान्य कृषि, बागवानी, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, पादप प्रजनन, जैव-विविधता संरक्षण, आनुवंशिकी, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियमावली और विनियमों, कानूनी मामलों आदि से संबंधित हैं। यह पुस्तकालय कृषि, विधिक तथा प्रशासन से संबंधित विभिन्न जरनलों के लिए भी अंशदान देता है। पुस्तकालय में सामान्य एवं फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार दिशानिर्देशों और कृषि जैवविविधता के हॉटस्पॉट से प्राप्त आवेदनों तथा जागरूकता सृजन से संबंधित मामलों पर 69 प्रकाशन उपलब्ध हैं। □

6. डेटाबेस, इंडस, नॉर्व तथा प्राधिकरण की वेबसाइट

6.1 डेटाबेस

डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डीयूएस दिशानिर्देशों (इंडस) के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली तथा भारत की अधिसूचित व जारी किस्मों (नॉर्व) नामक सॉफ्टवेयरों का विकास किया गया तथा प्राधिकरण अधिकांश समान संदर्भ किस्मों के चयन, नामों के सत्यापन तथा अधिसूचना संबंधी विवरण के लिए इन डेटाबेसों का रखरखाव कर रहा है।

6.2 वेबसाइट

प्राधिकरण की वेबसाइट एवं संदर्भ जारी वत पजलण्हव अण्पद हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है तथा यह राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) सर्वर पर डाली गई है। इस वेबसाइट में प्राधिकरण के सदस्यों; पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 का परिदृश्य; डीयूएस केन्द्रों, प्रकाशनों व पौधा किस्म पंजीकरण हेतु पात्र फसल प्रजातियों की सूची; डीयूएस दिशानिर्देश; आवेदनों की स्थिति और अन्य संबंधित सूचना दी गई है। प्राधिकरण ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्राधिकरण द्वारा डेटाबेस के प्रबंध तथा उसके द्वारा चलाए जाने वाले क्रियाकलापों को प्रदर्शित करने के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया है जिसमें सामग्री प्रबंध की कार्यनीति संबंधी विशेषताओं, द्विभाषी सहायता के लिए यूएफटी, ग्राहकों को पोर्टल के अनुकूल बनाने और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए बल्क मेल आदि उपलब्ध हैं। मैसर्स सहारा नेक्स्ट, जो एक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवा आईएनसी (एनआईसीएसआई) है, को आवेदन प्रस्तुत करने और पौधा किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए भुगतान करने की अँनलाइन प्रणाली विकसित करने के लिए पैनल में रखा गया है। इसने प्राधिकरण का वेब पोर्टल तैयार करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है जो मूल्यांकन हेतु एनआईसीएसआई को अग्रेषित कर दिया गया है।

6.3 प्राधिकरण के पोर्टल का विकास

प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों तथा प्रगति/उपलब्धियों की मुख्य बातों के प्रदर्शन के लिए प्राधिकरण की अभी अपनी वेबसाइट है जो एनआईसी सर्वर द्वारा कार्य कर रही है। यद्यपि प्राधिकरण के क्रियाकलाप वर्तमान वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं लेकिन आंकड़ों का प्रभावी और गतिशील प्रदर्शन इसके द्वारा नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त वेबसाइट को और अधिक उपभोक्ता मित्र बनाने के लिए कई अन्य विशेषताओं

की आवश्यकता है जो वर्तमान स्थिर वेबसाइट में उपलब्ध नहीं हैं। एनआईसीएसआई के पैनल आधीन एक फर्म सहारा नेक्स्ट प्राधिकरण के लिए पौधा किस्मों की पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु आवेदन प्रस्तुत करने व भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऑन लाइन प्रणाली विकसित कर रही है और इस फर्म में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को पोर्टल की डिजाइन व विकास के लिए एक तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। श्री एम मोनी, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की अध्यक्षता में पीपीआईएस के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सहारा नेक्स्ट (एनआईसीएसआई के पैनल में) के प्रस्ताव की सिफारिश की है तथा इस फर्म को एक निर्धारित समय-सीमा में यह कार्य पूरा करने के लिए आदेश दिया जा चुका है। प्राधिकरण के वेब पोर्टल संबंधी प्रस्ताव में एक्सएचटीएमएल और सीएसएस कम्पलेट, ऑटो जेनरेटिड मीनू थीम आधारित उपयोगकर्ता लॉगिंग, सामग्री एडिटरों से सुरक्षित डिजाइन, एक ही पृष्ठ पर अनेक सामग्री क्षेत्र, गतिशील सामग्री सर्च की सुविधा, पोल्स, तस्वीर एल्बम, थम्ब नेल, समाचार आदि जैसे डिजाइन संबंधी गुण मौजूद हैं। इसमें यूआरएलएस मित्र सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) होगा जो प्राधिकरण के बारे में और जागरूकता सृजित करेगा। ड्रूपाल सीएसएस की स्थापना तथा इसे अनुकूल बनाना, पीपीवी और एफआरए पोर्टल के लिए टेम्पलेटों की डिजाइन करना तथा पीपीवी और एफआरए के लिए वेबसाइट का विकास जैसे अनेक गुण होंगे जिनमें फसल दिशानिर्देश, छायाओं का अनुरक्षण, उपयोगकर्ता लॉग-इन का प्रावधान, ई-जरनल, डाउनलोड्स आदि जैसी विशेषताएं भी होंगी। आरएसएस फीड से वास्तविक समय में अन्य वेबसाइटों से सम्झौता अर्थात् एक साथ सम्पर्क बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इसमें द्विभाषी आंकड़ा समुच्चय तथा पीपीआईएस के समेकन का प्रावधान भी होगा। आवेदन के पर्यावरण के विकास को पीएचपी, ड्रूपाल, एमवाईएसक्यूएल, अपाचे, एचटीएमएल तथा लाइनेक्स मोड में भी किया जा सकेगा।

6.4 पंजीकरण हेतु ऑन लाइन आवेदन दाखिल करना

प्राधिकरण ने पौधा किस्मों का पंजीकरण 2007 में 12 फसलों का पंजीकरण करना आरंभ किया था जो अब 57 फसल के लिए लागू हो गया है। प्राधिकरण आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों को निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त करता है (शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराया जाता है)। यह शुल्क या तो

दस्ती तौर पर या डाक सेवाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। पौधा किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने व शुल्क की अदायगी करने से आवेदकों को प्राधिकरण में ऑन-लाइन आवेदन दाखिल करने में सुविधा होगी तथा वे शुल्क की अदायगी भी 'पेमेंट गेटवे' के माध्यम से कर सकेंगे जो डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से की जा सकेगी। यह प्रणाली मैसर्स सहारा नेक्स्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है जो राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र सेवाओं आईएनसी (एनआईसीएसआई) के पैनल में है। आवेदन अंतिम अवस्था में है तथा यह कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र या एनआईसी सर्वर पर होस्ट किया जाएगा।

6.5 ई—शासन

इस संबंध में निम्नलिखित पहले की गई हैं :

- बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली : यह प्रणाली स्थापित की जा रही है और भविष्य में कार्य करने लगेगी।
- दस्तावेजों की स्कैनिंग और माइक्रोफिल्मिंग : प्राधिकरण में दाखिल किए गए आवेदनों और फाइलों को क्षति तथा सूचना की क्षति से बचाने के लिए दस्तावेजों की स्कैनिंग और माइक्रोफिल्में तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।
- सीसीटीवी कैमरों को लगाना : प्राधिकरण के परिसर की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण ने सीसीटीवी कैमरों की खरीद और उन्हें लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।



7. विधायी कोष्ठ तथा आरटीआई

7.1 विधायी कोष्ठ

प्राधिकरण के विधायी कोष्ठ ने प्राधिकरण के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की पैरवी की। बीस अदालती मुकदमों का सारांश दिया गया (सारणी 14)। कुल छह मुकदमे निपटाए गए जिनमें से पाँच माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तथा एक माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया और इन सभी में प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय दिए गए। प्रतिवाद तथा तर्क समय पर दाखिल किए गए। अदालती मुकदमों की निरंतर निगरानी की जा रही है और उन पर उचित कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्री के समक्ष अर्ध न्यायिक मुकदमों के मामले में कानूनी सलाह दी गई और पक्षों को समय पर दैनिक आर्डर शीट डिस्पैच की गई। रिपोर्टरीन अवधि के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी भी आदेश को निरस्त नहीं किया गया।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 30 नवम्बर 2011 के आदेश द्वारा डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 8431 / 2011 में रजिस्ट्रार, पौधा किस्म रजिस्ट्री द्वारा पारित आदेश को बहाल रखा। पौधा किस्मों के पंजीकरण से संबंधित मुद्दों पर और पौधा किस्मों की सुरक्षा संबंधी कानून पर अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी कानूनी परामर्श दिया गया। राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चैन्नई तथा भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली को पौधा किस्मों के पंजीकरण के प्रमाण-पत्रों की एक प्रति अग्रेषित करने के उद्देश्य से संबंधित विभाग द्वारा राजपत्र अधिसूचनाएं नामतः एस.ओ. 1912 (ई) दिनांक 18 अगस्त 2011 जारी की गई। एक अन्य अधिसूचना, एस.ओ. 1913 (ई) दिनांक 19 अगस्त 2011 गेहूं की ड्यूरम, डाइकोकम व अन्य ट्रिटिकम प्रजातियों; नारियल, सदाबहार, इडियन पेनिवर्ट, दमस्क गुलाब, ब्लॉण्ड सीलियम और पुदीना प्रजातियों की उन किस्मों को अधिसूचित करने के लिए जारी की गई जो पंजीकरण की पात्र

सारणी 16: मुकदमों की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	मुकदमों की संख्या
1.	भारत के सर्वोच्च न्यायालय में	4
2.	दिल्ली उच्च न्यायालय में	9
3.	आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में	7
	कुल	20

थीं। तीसरी अधिसूचना जो पंजीकरण की पात्र ऑर्किडों की तीन प्रजातियों को शामिल करने के संबंध में थीं, शासकीय राजपत्र में एस.ओ. 617 (ई) दिनांक 27 मार्च 2012 को जारी की गई। महत्वपूर्ण राजपत्र अधिसूचनाएं केन्द्र सरकार के विचारार्थ अग्रेषित की गईं। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं में शामिल हैं : पीपीवी और एफआर द्वारा जीन निधि नियम 2012 से सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान करना जिससे जीन निधि से उन व्यक्तिगत किसानों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जा सके जो पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 39 (1)(iii) के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार इसके पात्र हैं।

7.2 संसद तथा अन्य संबंधित मामले

प्राधिकरण द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त राज्य सभा से एक प्रश्न तथा लोक सभा से प्राप्त तीन प्रश्नों के उत्तर भेजे गए। कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राधिकरण के संबंध में प्राप्त हुए अन्य संसद प्रश्नों के उत्तर का मसौदा तैयार करने के लिए मंत्रालय/विभाग को समय पर सूचना उपलब्ध कराई गई। राज्य सभा से प्राप्त एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर भी कृषि एवं सहकारिता विभाग को भेजा गया। प्राधिकरण ने निम्न मामलों पर अपनी टिप्पणियां/अभियुक्तियां दीं :

- शिकायत, निपटान विधेयक, 2011 के लिए नागरिकों के अधिकार का ढांचा तैयार करना
- विपत्तिग्रस्त किसान (विशेष सुविधाएं, सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2010
- उपयोगिता मॉडल विधेयक
- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के लिए मंत्रिमंडलीय टिप्पणी का मसौदा
- जैव-सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकाल (सीपीवी) का कार्यान्वयन
- विश्व व्यापार संगठन द्वारा व्यापार नीति की समीक्षा
- पक्षों के सम्मेलन के पाठ-सार (सीओपी) का सीबीडी को प्रस्तुतीकरण
- भारत-ग्रीस संयुक्त आर्थिक सहयोग
- 'कृषि उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा बढ़ाने' पर उप समिति की रिपोर्ट की समीक्षा
- चीनी-ताइपेई द्वारा 5वीं व्यापार नीति की समीक्षा

7.3 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

आर प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। नामित अधिकारियों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर आरटीआई शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को प्रस्तुत किए जाने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 25 (2) के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान का अनुपालन किया जा

रहा है। इस अवधि के दौरान प्राधिकरण को या तो सीधे या अन्य विभागों से हस्तांतरित होकर आए कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। प्राप्त सूचना को निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध कराया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या सीआईसी के पास कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है। अधिकांश आवेदन पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की रजिस्ट्री अनुभाग से संबंधित थे।



8. प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 कृषि में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर सृजित एक नवीनतम विधान है अतः इसके बारे में पण्डारियों को अधिक जानकारी नहीं है। नवम्बर 2005 में अपनी स्थापना के पश्चात से प्राधिकरण ने सिविल सोसायटियों में इन प्रावधानों को लोकप्रिय बनाने तथा व्रान्मूल स्तर के कार्यकर्ताओं तक इन्हें पहुंचाने के निरंतर प्रयास किए हैं। अधिनियम का किसानों, अनुसंधानकर्ताओं, पादप प्रजनकों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, छात्रों, स्वयंसेवी संगठनों, सार्वजनिक व निजी संगठनों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क है। पिछले सात वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने संबंधित पण्डारियों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से धनराशि आवंटित की है जिसका उपयोग कृषि मेलों, किसान मेलों, किसान उत्सव, किसान मंचों आदि के आयोजन में हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत दिलाए गए अपने अधिकारों से अवगत हैं, प्राधिकरण में एक किसान कोष्ठ स्थापित किया गया है।

यह कोष्ठ पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार और सम्मान प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित करने और अधिनियम के अंतर्गत किसानों के अधिकारों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कार्य करता है। यह कोष्ठ विभिन्न संगठनों/पण्डारियों प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान स्वयं सेवी संगठनों को निधि प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर अनुमोदित किया गया। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान भा.कृ.अ.प./राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अन्य सरकारी विभागों और स्वयं सेवी संगठनों द्वारा प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से 49 प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए (अनुबंध-IX)। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

8.1 ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

वर्ष 2011-12 के दौरान इस निदेशालय ने पौधा किस्मों की सुरक्षा और डीयूएस परीक्षण पर 2 जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 जनवरी, 2012 को आयोजित हुआ जिसमें ज्वार अनुसंधान निदेशालय, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, पीएच.डी. स्कॉलरों, अनुसंधान अध्येताओं/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं और बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित

140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉ. आर.सुधाकर राव, अनुसंधान निदेशक, आचार्य एन जी रंगा अंग्रे प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने जनता के लाभ के लिए प्राधिकरण द्वारा तेलगु भाषा में प्रकाशित ब्रॉशर का विमोचन किया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के महत्व पर मुख्य व्याख्यान दिया। संकाय सदस्यों तथा आईपीआर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान एवं प्रस्तुतीकरण दिए गए। पौधा किस्मों की सुरक्षा तथा वाणिज्यीकरण पर दूसरा जागरूकता कार्यक्रम 21 मार्च 2012 को आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. बिलास ए.टोनापी, अध्यक्ष, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली ने व्याख्यान दिया तथा 43 फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों से युक्त एक प्रशिक्षण मैनुअल जारी किया। स्नातकोत्तर छात्रों, पीएच.डी. स्कॉलरों तथा किसानों सहित लगभग 120 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

8.2 राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिविकम

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 में किसानों के अधिकारों के प्रावधानों पर 24 जनवरी 2012 को एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें किसानों सहित लगभग 50 प्रतिभागी उपस्थित थे।

8.3 बीज मसालों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, अजमेर

पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की रक्षा के लिए 14 और 22 मार्च 2012 को दो प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए



गए। पहले प्रशिक्षण में लगभग 100 किसान मौजूद थे। मुख्य अतिथि डॉ. एस.एन.शुक्ला, पूर्व सहायक महानिदेशक (एफ और एससी), भा.कृ.अ.प. तथा अन्य महानुभावों ने व्याख्यान दिए जिनमें डॉ. हरजी राम चौधरी, उप निदेशक (कृषि), राजस्थान सरकार भी शामिल थे। दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने पीपीवी और एफआर अधिनियम में उपलब्ध कृषक अधिकारों तथा संबंधित मामलों पर व्याख्यान दिए। इन वक्ताओं में निदेशक, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, डीयूएस केन्द्र के नोडल अधिकारी और परियोजना समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर भी शामिल थे।

8.4 भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, काजीकोड़

इस केन्द्र ने 17 फरवरी 2012 को अपने संस्थान में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों पर जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। सुश्री आर. उषामणि, प्रधान कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, काजीकोड़ जो इस समारोह की मुख्य अतिथि थीं, ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा यह भी कहा कि 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' प्रयोगकर्ता किसानों के लिए नई पौधा किस्मों के विकास के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। डॉ. एस.रामचन्द्रन, निदेशक, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र और तारामण्डल, काजीकोड़ ने समारोह की अध्यक्षता की। किसानों, कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों सहित 100 से अधिक व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। परिचर्चा सत्र के दौरान कृषक किस्मों के पंजीकरण तथा अन्य पहलुओं पर जो प्रश्न किए गए थे, उनके समाधान कृषकों के समक्ष वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए।



कृषक अधिकारों पर एक अन्य जागरूकता कार्यक्रम भारतीय इलायची अनुसंधान केन्द्र में मसाला बोर्ड तथा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा सम्प्रिलित रूप से 9 मार्च 2012 को आयोजित किया गया। केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर; भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट; तथा गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर के वक्ताओं ने संबंधित विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में किसानों, वैज्ञानिकों, छात्रों, स्वयं सेवी संगठनों के

प्रतिनिधियों, किसान कलबों तथा कृषि विज्ञान केन्द्र से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें 150 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे जिनमें विभिन्न मसाला फसलों जैसे इलायची, काली मिर्च, जायफल आदि उगाने वाले विभिन्न किसान शामिल थे। श्री जी मुरलीधरन, माननीय सदस्य, मसाला बोर्ड ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और डॉ. एम.आर.सुदर्शन, निदेशक, अनुसंधान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कुछ किसानों ने अपने अनूठे संकलन भी दिखाए जिनमें बहुत बड़ी शूकी और बड़ी-बड़ी काली मिर्च वाली शाखाएं थीं, शाखित शूकियों वाली काली थी। उन्होंने अपनी किस्मों के पंजीकरण में रुचि भी प्रदर्शित की।

8.5 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर

इस संस्थान में 13–14 मार्च 2012 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, समारोह के मुख्य अतिथि थे। विभिन्न वक्ताओं ने कृषक अधिकारों के लिए प्रावधानों सहित विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए। प्रशिक्षण के



दौरान डीयूएस दिशानिर्देशों, किस्म पंजीकरण प्रणाली, पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने और मूँग व उड़द की किस्मों के पहचान से संबंधित विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से चर्चा की गयी। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों, पीएच.डी. स्कॉलरों व किसानों और तकनीकी स्टाफ सहित विभिन्न प्रतिभागियों ने इस समारोह में भाग लिया।

8.6 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों पर प्रकाश डालने के लिए 12 फरवरी 2012 को महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी में वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे और कुलपति, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी ने समारोह की अध्यक्षता की। विभागाध्यक्षों सहित 168 से अधिक वैज्ञानिक और

छात्र इस कार्यशाला से लाभान्वित हुए। विभिन्न विभागों के व्याख्यानदाताओं ने कृषक अधिकारों के प्रावधानों पर प्रस्तुतीकरण दिए। ये व्याख्यान मराठी और हिन्दी में भी दिए गए जिनमें किस्मों के पंजीकरण, लाभ में भागीदारी, कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं और पादप प्रजनकों के अधिकारों जैसे विषय शामिल थे। इस अवसर पर मराठी भाषा में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का पम्फलेट भी जारी किया गया।

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर एक अन्य जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम 24 फरवरी 2012 को आयोजित किया गया। इसके द्वारा किसानों, विश्वविद्यालय के तकनीकी अधिकारियों, राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों सहित लगभग 90 से अधिक प्रतिभागियों को कृषकों के अधिकारों के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम की लाभदायक जानकारी दी गई तथा अनेक प्रतिभागियों ने डीयूएस केन्द्रों का भ्रमण भी किया। पौधा किस्म पंजीकरण तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों पर मराठी में एक प्रकाशन प्रकाशित हुआ जो किसानों के बीच वितरित गया। इस केन्द्र ने पंजीकरण हेतु प्राधिकरण में सात किस्मों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं (तीन नई और तीन विद्यमान किस्में जो मूँगफली की हैं और कपास की एक किस्म)।

8.7 सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों/कृषि विज्ञान केन्द्रों नामतः क्षेत्रीय केन्द्र, सालूनी, भंडार में 5 अक्टूबर 2011 को; कृषि विज्ञान केन्द्र, ऊना में 27 दिसम्बर 2011 को; कृषि विज्ञान केन्द्र, बजरुआ में 29 दिसम्बर 2011 को और कृषि विज्ञान केन्द्र, बेरथिन में 30 दिसम्बर 2011 को विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए गए। ये प्रशिक्षण संकाय सदस्यों, तकनीकी स्टाफ व किसानों के लिए थे। विभिन्न संगठनों से 100 प्रतिभागियों ने इनमें भाग लिया जिनमें कृषि विभाग के अधिकारियों सहित प्रत्येक केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र से आए प्रतिभागी शामिल थे। सालूनी में श्रीमती रेणु चड्ढा, माननीय विधायक, मुख्य अतिथि थीं और सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने पीपीवी और एफआर अधिनियम के महत्व व फसल सुधार में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और इस क्षेत्र में अपने अनुभव भी बांटे।

कृषि विज्ञान केन्द्र, ऊना में डॉ. जे.सी.भंडारी, अध्यक्ष तथा उपरोक्त विश्वविद्यालय के अन्य वैज्ञानिकों ने व्याख्यान दिए तथा अधिनियम पर अनेक प्रस्तुतीकरण भी दिए। कृषि विज्ञान केन्द्र, बजरुआ में इस कृषि विश्वविद्यालय और एनबीपीजीआर शिमला के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रस्तुतीकरण दिए तथा किसानों को इस अधिनियम के प्रभावों से अवगत कराया। इसके पश्चात् कार्यक्रम में संसाधन व्यक्तियों व किसानों के बीच प्रश्नोत्तर का दौर चला।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बेरथिन में इस कार्यक्रम के प्रति अत्यधिक उत्साह देखा गया तथा प्रतिभागी पीपीवी और एफआर प्राधिकरण से संबंधित प्रस्तुतीकरणों व सूचना से बहुत संतुष्ट थे। ये जागरूकता कार्यक्रम किसानों तथा आदिवासी समुदाय में देसी व परम्परागत ज्ञान को प्रवर्धित करने व संरक्षित करने के अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुए।

8.8 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

इस विश्वविद्यालय के बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 6 मार्च 2012 को किसानों, छात्रों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों/संकाय सदस्यों और सरकारी अधिकारियों/राज्य के कृषि विभाग के कार्यों के लिए हिसार में दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा किसानों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मानव संसाधन प्रबंध के निदेशक ने किया जो इस अवसर पर मुख्य अधिति थे। उन्होंने अपने व्याख्यान में पीपीवी और एफआर अधिनियम के महत्व, कृषकों के अधिकारों तथा कृषक और प्रजनक किस्मों के पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, किसानों, छात्रों, वैज्ञानिकों तथा संकाय सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिभागियों ने भी इस प्रकार के प्रशिक्षणों पर बल दिया और अनुरोध किया कि ऐसे ही प्रशिक्षण भविष्य में भी आयोजित किए जाएं।

8.9 आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद

किसानों को कृषक अधिकारों और पादप सुरक्षा संबंधी अधिकारों से अवगत कराने और जैव-विविधता, पादप आनुवंशिक संसाधनों और किसानों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए राजेन्द्र नगर, हैदराबाद में 13 मार्च 2012 को एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रगतिशील किसानों, स्वयंसेवी संगठनों, अनुसंधान एसोसिएटों, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं व स्नातकोत्तर व पीएच.डी. छात्रों सहित लगभग 65 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भी भाग लिया। महबूब नगर, नालगोडा तथा रंगा रेड्डी जिलों के किसानों ने भी इसमें भाग लिया। ये जिले दक्षिणी तेलंगाना क्षेत्र में आते हैं। कृषकों के अधिकारों, पौधा किस्मों की सुरक्षा तथा भारत में जैव-विविधता के संरक्षण जैसे विषयों को परिचर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के लिए उपयुक्त मंच से चुना गया तथा पौधा किस्म सुरक्षा और जैव-विविधता के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर फलदायी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं। दूसरा कार्यक्रम 15 मार्च

2012 को आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय के बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक समुदाय, छात्रों, अनुसंधान स्कॉलरों, संकाय सदस्यों और किसानों के ज्ञान का उन्नयन था। प्रगतिशील किसानों एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 60 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। किसानों और छात्रों ने वक्ताओं के साथ खुलकर चर्चा की और इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों से भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने पम्फलेटों और व्याख्यान के रूप में उपलब्ध कराई गई सामग्री को सराहा। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालने वाले तेलुगू भाषा में तैयार किए गए एक पम्फलेट का विमोचन भी इस अवसर पर किसानों के लाभ के लिए किया गया।



8.10 चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

चावल अनुसंधान निदेशालय में 7 फरवरी 2012 को किसानों सहित बीज कम्पनियों के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों को पादप किस्म सुरक्षा के अलावा पौधा किस्मों के पंजीकरण के प्रति जागरूक करने के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के

एक अन्य कार्यक्रम अटेरना में 29 फरवरी 2012 को आयोजित किया गया जिसमें किसानों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों व छात्रों सहित 90 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। निदेशालय के वैज्ञानिकों को, प्राधिकरण के कार्यों को तथा डॉ. साईदास, पूर्व परियोजना निदेशक, मक्का अनुसंधान निदेशालय ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए। डॉ. ज्योति कौल, प्रधान वैज्ञानिक ने कृषक किस्मों, जिसमें मक्का भी शामिल है, के संकरों/किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।



सहयोग से एक दिवसीय जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चावल अनुसंधान निदेशालय के निदेशक और पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के महा पंजीकार डॉ. आर.सी.अग्रवाल ने अधिनियम के अंतर्गत किस्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया पर व्याख्यान दिए।

8.11 मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान मक्का अनुसंधान निदेशालय में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। निदेशालय द्वारा मक्का शरदकालीन नर्सरी, हैदराबाद में 30 अक्टूबर 2011 को पौधा किस्मों एवं कृषक अधिकारों की सुरक्षा पर मक्का के विशेष संदर्भ में एक दिवसीय जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

8.12 जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर

इस विश्वविद्यालय की बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान इकाई ने 27 मार्च 2012 को अरण्ड के गुण-निर्धारण, पंजीकरण और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। बाजरा अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र और आत्मा के लगभग 50 अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा जामनगर के विभिन्न गांवों (नामतः धोल, लालपुर, कलावाड और जमजोधपुर तालुका) से आए 98 किसानों/बीज उत्पादकों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। कृषकों के अधिकारों, पंजीकरण, डीयूएस परीक्षण तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम के प्रावधानों पर व्याख्यान दिए गए। आयोजकों द्वारा प्रतिभागियों के लिए अरण्ड के डीयूएस परीक्षण प्लॉटों का दौरा भी आयोजित किया गया।

8.13 गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल

किसानों के अधिकारों के संदर्भ में पीपीवी और एफआर अधिनियम के प्रावधानों पर प्रथम प्रेरणादायी कार्यक्रम 25 जनवरी 2012 को हरियाणा के सिरसा जिले के भांगू गांव में इस निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया। इसमें लगभग 350 किसान उपस्थित हुए तथा एक प्रशिक्षण मैनुअल भी बांटा गया। दूसरा कार्यक्रम 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना गांव में आयोजित हुआ जिसमें 250 किसानों ने भाग लिया। किसानों को प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पोस्टरों, प्रस्तुतीकरणों और ब्राशरों के माध्यम से अधिनियम में मौजूद किसानों के अधिकारों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई और यह सामग्री उन्हें वितरित भी की गई।



8.14 क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बत्तूर

पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के कोयम्बत्तूर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में 26–27 मार्च 2012 को 2 दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके प्रतिभागी अदिकांशतः कोयम्बत्तूर के आस-पास के गांव के कपास उगाने वाले थे। इनमें से प्रमुख गांव थे वादापुदूर, किनाथूकडावू अन्नूर, कंजापल्ली, कल्लापुरम, मीनाक्षीपुरम, वीरप्पागोओडानोर आदि। गन्ना प्रजनन संस्थान, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय और आईएफजीटीबी से आए

लगभग 120 किसानों ने भाग लिया। दूसरा प्रशिक्षण 30 मार्च 2012 को युवाओं को केन्द्रित करते हुए आयोजित किया गया जिसमें नागपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से आए 125 छात्रों ने भाग लिया।



8.16 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

दिनांक 23 और 24 मार्च 2012 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन के बारे में दो जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वैज्ञानिकों, टैक्नोक्रेटों, किसानों, छात्रों आदि के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।

8.17 गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर और क्षेत्रीय केन्द्र (करनाल एवं अगाली)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार की सुरक्षा पर 17 मार्च 2012 को एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर और मदुरै परिसर के अधिकांश स्नातकोत्तर व पीएच.डी. छात्रों के अलावा गन्ना प्रजनन संस्थान के तकनीकी व वैज्ञानिक स्टाफ और किसान भी इस कार्यक्रम



अनेक वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान स्कॉलरों/छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को साहित्य उपलब्ध कराया गया तथा सीआईसीआर, एसबीआई और टीएनएयू कोयम्बत्तूर के संसाधन व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान दिए गए।

8.15 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

संस्थान में कपास में पौधा किस्मों, कृषक अधिकारों की सुरक्षा और डीयूएस परीक्षण के प्रति जागरूकता पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 मार्च 2012 को आयोजित किया गया जिसमें नागपुर जिले के विभिन्न गांवों के



में उपस्थित थे। इस संस्थान के करनाल स्थित क्षेत्रीय केन्द्र ने भी पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत कृषकों के अधिकारों पर एक वार्ता आयोजित की जिसका आयोजन 15 मार्च 2012 को कालेसर वन रेंज, यमुनानगर में किया गया। एक अन्य जागरूकता कार्यक्रम गन्ना प्रजनन संस्थान के करनाल स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में आयोजित

किया गया जिसमें करनाल की उपायुक्त श्रीमती नीलम पी.कासनी, आईएएस मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने उद्घाटन भाषण भी दिया। इस संस्थान के अगाली स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में नवम्बर 2012 को एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

8.18 औषधीय एवं संगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद

इस निदेशालय ने 3 मार्च 2012 को आनंद में अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डालने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उपरोक्त निदेशालय के निदेशक इसमें मुख्य अतिथि थे और इस अवसर पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। संस्थान के अनेक प्रतिभागियों के साथ-साथ राजस्थान सहित आस-पास के जिलों के लगभग 80 किसान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित थे। पण्धारियों के लाभ के लिए एक प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित किया गया। सत्र के पश्चात् किसानों के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न मंच का आयोजन किया गया।

8.19 केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर

दिरांग, बोम्डिला तथा अरुणाचल प्रदेश के अन्य स्थानों पर 27–31 दिसम्बर 2011 के दौरान सरकारी अधिकारियों को शीतोष्ण क्षेत्र की बागवानी से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कृषि विभाग, बागवानी विभाग, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के नर्सरी मालिकों और शीतोष्ण क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों ने इसमें भाग लिया। उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में प्रमुख थे : श्री येसी त्सेइंग, शीतोष्ण क्षेत्र बागवानी के संयुक्त निदेशक; डॉ. डी.बी.सिंह, बागान विज्ञानी व उप निदेशक, क्षेत्रीय सेब नर्सरी, दिरांग; श्री एन.लोबसांग, बागान विज्ञानी व उप निदेशक, शेरगांव, बोम्डिला; रूपा, दिरांग, तवांग, बोम्डिला और याजोली के बागवानी विभाग के अधिकारी; बागवानी फैल्ड सहायक, शेरगांव, अनिनि, जीरो, बोम्डिला, दिरांग, कालाटांग रूपा, अंजवा और अल्लो; बागवानी विकास अधिकारी, योमेहा; रूपा, दिरांग, तवांग, जिरो, दोमखो, मोर्शिंग, अंजवा, अनिनि, चुग, कालाटांग के किसान और स्थानीय वकील आदि। पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम के महत्व व उद्देश्यों, प्रजनकों के अधिकारों, अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों, कृषकों के अधिकारों, पौधा किस्मों के पंजीकरण, कृषक किस्मों के पंजीकरण की पात्रता व प्रजनक किस्मों के पंजीकरण की पात्रता, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पादप किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर, राष्ट्रीय जीन बैंक, राष्ट्रीय जीन निधि, सामुदायिक अधिकारों आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यशाला के दौरान चर्चा की गई।



8.20 बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 'वरदान' द्वारा जागरूकता व प्रशिक्षण अभियान

डॉ. सी.प्रसाद, पूर्व उपमहानिदेशक, भा.कृ.अ.प. द्वारा विभिन्न राज्यों में कृषक समुदायों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे एक स्वयंसेवी संगठन वालेंटरी एक्सर्च, डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग (वरदान) द्वारा तीन जागरूकता व प्रशिक्षण अभियान चलाए गए : 22 मई 2011 को बुलंदशहर में; 12 अगस्त 2011 को सोनीपत, हरियाणा के अटेरना गांव में और अगस्त 2011 के अंतिम सप्ताह में सारन, बिहार में। ये कार्यक्रम प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से आयोजित किए गए। इनके दौरान पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अधिकारियों को कृषकों के अधिकारों के प्रावधानों पर प्रकाश डालने और कृषक समुदायों की शंकाओं का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया गया। भा.कृ.अ.स., नई दिल्ली और राजेन्द्र कृषि विश्वविद्याल, पूसा, समस्तीपुर के वैज्ञानिकों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के महत्व व उनके संरक्षण व उनकी सुरक्षा के महत्व पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। 500 से अधिक किसान इन प्रशिक्षणों से लाभान्वित हुए।

8.21 राष्ट्रीय कार्यशालाएं / किसान मेले / किसानोत्सव

- केरल सरकार ने कृषि एवं उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार; राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड; और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की साझीदारी में 3–7 सितम्बर 2011 के दौरान कृषि शहरी थोक बाजार, मरादु, कोच्चि (केरल) में एक वृहत कृषि बागवानी प्रदर्शनी नामतः हरिस्थोलसवम—2011 आयोजित किया। माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार प्रो. के.वी.थॉमस ने 3 सितम्बर 2011 को इस उत्सव का उद्घाटन किया। श्री उम्मेन चांडी, मा० मुख्यमंत्री, केरल सरकार ने उत्सव की अध्यक्षता की। संसद सदस्य (राज्य सभा) तथा एमएसआरएफ के अध्यक्ष प्रो. एम.एस.स्वामिनाथन भी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थे। इस समारोह

में प्राधिकरण ने एक प्रदर्शनी लगाई। स्थानीय किसानों, वैज्ञानिकों और छात्रों ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ चर्चा की और प्राधिकरण द्वारा निकाले गए साहित्य में विशेष रुचि दिखाई। इस पांच दिवसीय उत्सव में प्राधिकरण ने अपने क्रियाकलापों को पोस्टरों, चार्टों व कृषकों के अधिकारों, पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कारों पर प्रकाशनों के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसके साथ ही अपने अधिदेशों, उद्देश्यों, अधिनियम में मौजूद कृषकों के अधिकारों




से युक्त सूचना वाले ब्रॉशर भी वितरित किए। राज्य सरकार/आयोजकों के एक अनुमान के अनुसार इस उत्सव में एक लाख से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए थे।

- भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व० चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर 23 दिसम्बर 2011 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में हरियाणा किसान आयोग, पीपीवी और एफआरए, ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज और राष्ट्रीय नव-प्रवर्तन संस्थान द्वारा एक राष्ट्रीय वर्कशॉप व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका विषय था : कृषक जनित नव-परवर्तन। इस कार्यशाला का उद्घाटन हरियाणा के मा० मुख्यमंत्री डॉ. भूपिन्द्र सिंह हुड्डा ने किया। हरियाणा सरकार, डेयर / भा.कृ.अ.प., राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य कृषि विभाग के कनिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला से किसानों, वैज्ञानिकों, अनुसंधान प्रबंधकों, विकास अधिकारियों, छात्रों, अनुसंधान स्कालरों तथा नीति-नियोजकों को विचारों के अदान प्रदान व पारस्परिक चर्चा का एक उचित मंच उपलब्ध हुआ। ये सभी देश के विभिन्न भागों से आए थे। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। प्राधिकरण ने इसमें एक स्टॉल भी लगाया जिसमें अधिनियम से संबंधित ब्रॉशर, साहित्य व पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे।



- डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटेस्टिक्स द्वारा 4 दिसम्बर 2011 को राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में आयोजित 65वें वार्षिक सम्मेलन में आईसीटी का उपयोग करते हुए ज्ञान प्रबंध में भा.कृ.अ.प. की पहलों पर एक वार्ता प्रस्तुत की। इस मंच का उपयोग भा.कृ.अ.प. के केन्द्रों के वैज्ञानिक समुदाय को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जागरूक बनाने के लिए किया गया।
- प्राधिकरण ने 3-7 जनवरी 2012 के दौरान आयोजित 99वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अवसर पर केआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित प्राइड ऑफ इंडिया एक्सपो में भाग लिया। इस अवसर पर पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, कृषक किस्मों के पंजीकरण, कृषकों के अधिकारों आदि से संबंधित प्रकाशन प्रतिभागियों व छात्रों में बांटे गए जिन्होंने इन्हें बहुत सूचनाप्रद पाया। प्रतिभागियों के बीच अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस कांग्रेस से विशेष अवसर उपलब्ध हुआ और इससे समाज के विभिन्न वर्गों में इस अधिनियम के बारे में चेतना सृजित करने में सहायता मिली।
- औषधीय गुणों से युक्त केरल की एक परंपरागत चावल की किस्म नवारा के संरक्षण और इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए चित्तूर जिले के किसानों ने 30 जनवरी 2012 को नवारा



इको फार्म, चित्तूर, पालकाड में नवारा उत्सव का आयोजन चित्तूर जिले के किसानों के लिए किया। इस अवसर पर नवारा इको फार्म में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की 15वीं बैठक भी आयोजित की गई। प्राधिकरण के सदस्यों ने उत्सव में भाग लेने के पश्चात् नवारा के चावल के खेतों का दौरा भी किया।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी निकाय राष्ट्रीय नव-प्रवर्तन संस्थान (एनआईएफ) व्रणमूल की खोजों को बढ़ावा देता है। यह संस्थान पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और पौधा किस्म पंजीकरण जैसे विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने में सहायता पहुंचाता है। इस संस्थान ने 21 फरवरी 2012 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के सहयोग से एनएएसी परिसर, नई दिल्ली में प्रथम व्रणमूल प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि (टैफ) का आयोजन किया। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. पी.एल.गौतम और अनिल गुप्ता, आईआईएम, अहमदाबाद तथा एनआईएफ के उपाध्यक्ष ने 8 राज्यों के उन 24 किसानों को प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि पुरस्कार प्रदान किए जिन्होंने धान, गेहूं, सरसों, बीन, अरहर, इलायची, काली मिर्च आदि जैसी फसलों की 39 उन्नत किस्में विकसित की थीं। टैफ से 13.00 लाख रुपये वितरित किए गए। एनआईएफ ने पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए नव-प्रवर्तकों/कृषकों की ओर से पौधा किस्म पंजीकरण के लिए अनेक आवेदन दाखिल किए हैं।



- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली ने भा.कृ.अ.सं. और परिषद के अन्य संस्थानों द्वारा विकसित फार्म प्रौद्योगिकियों व अनुसंधान एवं विकास उत्पादों के प्रदर्शन के लिए 3–5 मार्च 2012 को कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने इस मेले का उपयोग पीपीवी और एफआर अधिनियम व कृषकों के अधिकारों के बारे में लोगों

को शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए किया। पूरे देश से आए हजारों किसानों ने इस मेले में भाग लिया और वे प्राधिकरण द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी से लाभान्वित हुए।



- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने कृषि विस्तार प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली के सहयोग से किसानों को कृषकों के अधिकारों के संदर्भ में पीपीवी और एफआर अधिनियम के प्रावधानों के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए बदरपुर सैयद गांव, फरीदाबाद में 30 मार्च 2012 को एक कृषक मिलन समारोह का आयोजन किया। डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने इसका उद्घाटन किया और अधिनियम तथा कृषकों के अधिकारों के संबंध में प्रकाश डाला।

8.22 अन्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों जैसे कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़; गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थानों जैसे तोरिया—सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर; भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलुरु; सीआरआईजेएफ, बैरकपुर; प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे; मूँगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़; केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला; केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड; सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर; औषधीय एवं सर्गाधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद; केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक; विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा; गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जो बहुत सफल रहे।

9. प्राधिकरण से संबंधित साधारण क्रियाकलाप

9.1 प्राधिकरण का स्थापना दिवस

प्राधिकरण का 7वां स्थापना दिवस 11 नवम्बर 2011 को राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार के सचिव तथा भा. कृ.अ.प. के पूर्व महा निदेशक डॉ. आर.एस.परोदा जो वर्तमान में हरियाणा किसान आयोग और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस (टास) के अध्यक्ष भी हैं, इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। श्री पी.के.बसु, सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने समारोह की अध्यक्षता की। डॉ. गुरबचन सिंह, अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, श्री प्रेम नारायण, वरिष्ठ परामर्शक, योजना आयोग; डॉ. पी.एल.गौतम, प्राधिकरण के अध्यक्ष और डॉ. के.सी.बंसल, निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, मुख्य अतिथि थे।



इस अवसर पर निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए :

- डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के लिए पुरस्कार (भा.कृ.अ.प. संस्थान की श्रेणी में)
 - गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल को सर्वश्रेष्ठ डीयूएस परीक्षण केन्द्र के रूप में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए;
 - ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को डीयूएस परीक्षण केन्द्र के रूप में उत्कृष्ट निष्पादन का सम्मान प्रदान करने के लिए;
 - केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर को डीयूएस परीक्षण केन्द्र के रूप में उत्कृष्ट निष्पादन का सम्मान प्रदान करने के लिए;
- 'पादप किस्मों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान' के लिए पुरस्कार
 - मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली को पौधा किस्म पंजीकरण को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उत्कृष्ट निष्पादन को सम्मान देने के लिए
 - चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को पौधा किस्म पंजीकरण को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उत्कृष्ट निष्पादन को सम्मान देने के लिए
 - 7 परियोजना समन्वयक (बाजरा), जोधपुर को पौधा किस्म पंजीकरण को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उत्कृष्ट निष्पादन को सम्मान देने के लिए
- 'सर्वश्रेष्ठ परियोजना केन्द्र' के लिए पुरस्कार
 - डॉ. बाला साहेब सावंत कॉकण कृषि विद्यापीठ, धपोली को सर्वश्रेष्ठ परियोजना केन्द्र के रूप में उत्कृष्ट निष्पादन को सम्मान देने के लिए

- केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) को सर्वश्रेष्ठ परियोजना केन्द्र के रूप में उत्कृष्ट निष्पादन को सम्मान देने के लिए
- एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चैन्नई को सर्वश्रेष्ठ परियोजना केन्द्र के रूप में उत्कृष्ट निष्पादन को सम्मान देने के लिए
- कृषक किस्मों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य
 - कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशालय, ओडिशा को कृषक किस्मों के पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट निष्पादन को सम्मान देने के लिए
- विशेष पुरस्कार
 - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली को राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने और पौधा किस्म पंजीकरण में समन्वयन हेतु
 - बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली को क्षमता निर्माण में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों को सम्मान देने के लिए
- प्राधिकरण के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के लिए पुरस्कार
 - श्री राजीव तलवार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी
 - श्री डी.एस.राजगणेश, विधिक परामर्शक
 - डॉ. अजय कुमार सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी

9.2 शाखा कार्यालय, गुवाहाटी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की गुवाहाटी शाखा ने खानापारा स्थित असम कृषि विश्वविद्यालय के पशुचिकित्सा महा परिसर में कार्य करना आरंभ कर दिया है। शाखा कार्यालय के उप पंजीकार ने 20 मई 2011 को पदभार ग्रहण किया और इसके पश्चात् अन्य सहायी स्टाफ ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। प्राधिकरण के शाखा कार्यालय के रूप में असम कृषि विश्वविद्यालय के दो कक्षों को परिवर्तित करने के लिए विस्तृत आकलन तैयार किए गए। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट के बीच करार पर हस्ताक्षर हुए तथा 5 मार्च 2012 को कार्यालय नए परिसर में हस्तांतरित कर दिया गया। अयह कार्यालय सभी वाछिंत सुविधाओं से युक्त अब पूर्णतः कार्यशील है।

9.2.1 शाखा कार्यालय की गतिविधियाँ

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रति जागरूकता लाने का कार्य व्यक्तिगत सम्पर्कों व संचार के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों, भा.कृ.अ.प. के क्षेत्रीय केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों से सम्पर्क स्थापित करके; प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान देकर, जो किसान कई पीढ़ियों से परंपरागत किस्में उगा रहे थे, उनके साथ कृषि मेलों में भाग लेकर

यह कार्य आगे बढ़ाया गया। परंपरागत किस्में उगाने वाले किसानों को यह प्रदर्शित किया गया कि पादप किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन—पत्र कैसे दाखिल किए जाएं। उप—पंजीकार, गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया तथा 19 जुलाई 2011, 20 दिसम्बर 2011 तथा 3 जनवरी 2012 को असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट में ‘भारत में पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा’ विषय पर व्याख्यान दिए।

9.2.2 डीयूएस परियोजनाओं / केन्द्रों का दौरा

- उप पंजीकार ने 2 नवम्बर 2011 को टी रिसर्च एसोसिएशन, टोकले प्रायोगिक केन्द्र में डीयूएस परियोजना का दौरा किया तथा डॉ. टी.एस.बर्मन, अध्यक्ष, पादप कार्यकी एवं प्रजनन विभाग, टोकले प्रायोगिक केन्द्र, जोरहट और सह—नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना (वाय), श्री अभिजीत मेधी और श्री बिद्युत मोहन ने भी क्रियाकलापों में भाग लिया।
- चावल के लिए डीयूएस परीक्षण की निगरानी असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट में डॉ. बी.एन.सिंह, पूर्व अनुसंधान निदेशक,



बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची की अध्यक्षता में 3 और 4 नवम्बर 2011 को की गई। इस निगरानी या निरीक्षण में डॉ. ए.ल.सी.सुब्बा राव, चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद; डॉ. एस.आर.धुहा, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक; डॉ. पी.बोरा, नोडल अधिकारी; डॉ. अक्षीय शर्मा, सह—नोडल अधिकारी, डीयूएस परीक्षण



- केन्द्र, असम कृषि विश्वविद्यालय; और उप-पंजीकार गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने भाग लिया।
- उप पंजीकार (गुवाहाटी शाखा) ने 4 नवम्बर 2011 को डॉ. आर.के.कलिता, प्रधान अन्वेषक के साथ आरएफआरआई, जोरहट में बांस पर डीयूएस परियोजना का निरीक्षण किया।

9.2.3 संगोष्ठियों, कृषि मेले, सम्मेलनों आदि में भागीदारी

शाखा कार्यालय ने 10–12 फरवरी 2012 को खानापारा में आयोजित उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कृषि मेला, 2012 में भाग लिया। लगभग 175 लोगों ने स्टॉल का भ्रमण किया जिसमें कुछ प्रमुख हस्तियां जैसे डॉ. आर.एम.गोस्चामी, डीन, सी.वी.एस.सी., असम कृषि विश्वविद्यालय, खानापारा; डॉ. डी.एन.चक्रबर्ती, पूर्व डीन, सीए, असम कृषि विश्वविद्यालय; डॉ. के बोरकाकोटी, कृषि निदेशक और डॉ. ए.डेवरी, बागवानी निदेशक, असम सरकार भी शामिल थे। इन सभी ने अपनी प्रेरणादायक टिप्पणियों से इस आयोजन की सराहना की।



9.3 शाखा कार्यालय, रांची

यह शाखा कार्यालय प्रकृति भवन, वानिकी महाविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची (झारखण्ड) में एक छोटी से इमारत में 21 सितम्बर 2010 को स्थापित हुआ था। कार्यालय ने आउटसोर्स किए गए स्टाफ तथा उप पंजीकार (मुख्यालय) के साथ कार्य करना आरंभ किया तथा उप पंजीकार ने इस शाखा कार्यालय के प्रभारी का उत्तरदायित्व भी संभाला। शाखा कार्यालय पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के बीच समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर के पश्चात् अगले वर्ष बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के कम्प्यूटर केन्द्र की एक अन्य इमारत में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मुख्यालय के अधिकारियों तथा रांची कार्यालय ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 और किसानों के अधिकारों के बारे में सूचना के प्रसार के लिए निम्नानुसार कदम उठाएः :

9.3.1 प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम

मुख्यालय से उप रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार ने शाखा कार्यालय का दौरा किया तथा समय-समय पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची

की 'जीन कैम्पेन' तथा 'फील्ड जीन बैंक परियोजना' को सौंपी गई परियोजनाओं की निगरानी की और वांछित दिशानिर्देश उपलब्ध कराए। शाखा कार्यालय के अधिकारियों व स्टाफ ने झारखण्ड राज्य के बागवानी, कृषि एवं वानिकी विभागों के साथ सम्पर्क बनाए रखा और इसके साथ ही पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 से संबंधित विषयों पर सूचना के प्रसार के लिए विरसा कृषि विश्वविद्यालय तथा भा.कृ.अ.प. में कार्यरत वैज्ञानिकों से भी सम्पर्क साधा।

9.4 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की बैठकें

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने 2011–12 के दौरान तीन बैठकें आयोजित की।

सारणी : 17 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की बैठकें

बैठकें	दिनांक	स्थान
प्राधिकरण की 13वीं बैठक	28.06.2011	समिति कक्ष III एनएससी परिसर, नई दिल्ली
प्राधिकरण की 14वीं बैठक	20.10.2011	समिति कक्ष III एनएससी परिसर, नई दिल्ली
प्राधिकरण की 15वीं बैठक	30.01.2012	नवारा इको फार्मस, करुकामणी, चित्तूर, पालकाड़, केरल

9.4.1 प्राधिकरण की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- निर्माण कार्य शीघ्र करने के लिए परिसर के निर्माण कार्य की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाए।
- प्राधिकरण को कागज़हीन प्राधिकरण कार्यालय बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
- प्राधिकरण को राष्ट्रीय जीन निधि में प्राप्त दानों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए और इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं को भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(17ए) के अंतर्गत आयकर में छूट दिलाने के प्रयास करने चाहिए।



- ईडीवी श्रेणी के अंतर्गत आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी) और आईवी (आरंभिक किस्मों) के पंजीकरण पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए।
- पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अनुसार तालमेल बनाए रखने के लिए पीपीवी और एफआर नियमावली व विनियमों में संशोधन प्रस्तावित करते हुए एक वृहत प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों/भा.कृ.अ.प. द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों, राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव-विविधता मंडलों आदि के बीच परिचालित करके तथा लोकप्रिय समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार करके पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, 2010–11 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने चाहिए।
- प्राधिकरण के कर्मचारियों को सीजीएचएस दरों पर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा सीजीएचएस के पैनल में मौजूद अस्पतालों को मान्यता दी जानी चाहिए।
- संसद में रखने के पूर्व वार्षिक लेखों और वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 का अनुमोदन।

9.5 प्राधिकरण की कार्यक्रम, नियोजन एवं नीति समिति (पीपीपीसी)

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान पीपीपीसी की एक बैठक 16 जनवरी 2012 को श्रीमती राधा सिंह, पूर्व सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में हुई जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों/संगठनों के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। यह बैठक पण्डारियों की आवश्यकता के अनुसार प्राधिकरण के अधिदेशों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम और नीतियों को विकसित करने, डिजाइन करने व नियोजित करने के लिए प्राधिकरण की कार्य प्रणाली को दिशानिर्देश देने और उसमें सुधार लाने के लिए आयोजित की गई थीं।

9.6 परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकें

प्राधिकरण ने रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान निधि प्राप्त करने के लिए नई परियोजनाओं के मूल्यांकन व उन्हें अंतिम रूप देने के लिए निम्नानुसार परियोजना मूल्यांकन समिति गठित की है :

अध्यक्ष

डॉ. बी.एन. जलाली, पूर्व निदेशक (अनुसंधान), चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, 601, नीलकांत, सैक्टर-21/सी, पार्ट-3, फरीदाबाद

सदस्य

डॉ. एस.मौरिया, सहायक महानिदेशक (आईपीआर और नीति), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली

डॉ. वी.एस. पार्थसारथी, निदेशक, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, मारीकुन्नू, डाकघर, कालीकट, केरल

डॉ. राजबीर यादव, प्रधान वैज्ञानिक, आनुवंशिकी संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली

सदस्य सचिव

डॉ. तेजबीर सिंह, पंजीकार, पीपीवी और एफआरए

परियोजना मूल्यांकन समिति ने 6 फरवरी 2012 को आयोजित बैठक में 14 संस्थानों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणों पर चर्चा की जिनके माध्यम से 16 परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न फसलों की परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता के रूप में 355.50 लाख रुपये की राशि की अनुशंसा की। चल रही परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई और मध्य अवधि की सिफारिशें की गईं।

9.7 प्राधिकरण भवन का निर्माण

- प्राधिकरण ने 28 अप्रैल 2011 को भा.कृ.अ.सं. से पूसा परिसर में 10,480 मी.² निर्धारित भूमि का कब्जा लिया।
- इमारत के निर्माण के लिए भवन का शिलान्यास 8 जुलाई 2011 को श्री शरद पवार, माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार ने किया।
- परियोजना प्रबंध परामर्शक के रूप में काम का ठेका मैसर्स उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दिया गया।
- मैसर्स उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के साथ 28 जून 2011 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- मैसर्स आधारशिला डिजाइन प्रा.लि. को इस परियोजना के लिए वास्तुकार डिजाइन परामर्शक चुना गया।
- निर्माण कार्य की योजना बनाने, प्रगति की समीक्षा करने और समन्वयन के लिए एक इमारत समिति गठित की गई।
- मैसर्स उत्तर प्रदेश राजकीय निगम निर्माण लिमिटेड ने स्थल पर अस्थाई कार्यालय बना लिया है।



9.8 स्टॉफ कल्याण एवं समाचार

- सीजीएचएस दरों पर स्टॉफ को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली व इसके आस-पास 38 अस्पतालों/प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई।
- श्री नीतीश कुमार ने 20 जून 2011 को महानिदेशक, विदेश व्यापार से आकर यहां कम्यूटर सहायक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

- डॉ. ए.के. मल्होत्रा, महापंजीकार को उनके मूल कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के लिए 01 सितम्बर 2011 को पदभार मुक्त किया गया
- श्री श्याम नारायण प्रसाद ने 08 नवम्बर 2011 को कम्प्यूटर सहायक के रूप में पदभार ग्रहण किया
- डॉ. आर.सी. अग्रवाल, राष्ट्रीय समन्वयक, एनएआईपी (भा.कृ.अ.प.) ने 23 नवम्बर 2011 को पीपीवी और एफआरए के महा पंजीकार के रूप में पदभार ग्रहण किया।

9.9 डॉ. पी.एल.गौतम, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए की संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों में भागीदारी

- यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेड मार्क ऑफिस, यूएसपीटीओ, तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से पौधा किस्मों की सुरक्षा व कृषि जैवप्रौद्योगिकी संबंधी हस्तक्षेपों पर संगोष्ठी के दौरान जो 11–18 अगस्त 2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, में एक सत्र की अध्यक्षता
- आईआईएम, अहमदाबाद में 7–9 अक्टूबर 2011 को राष्ट्रीय नवोन्मेष संस्थान (एनआईएफ) की राष्ट्रीय अनुसंधान परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता
- ए.पी.शिंदे हॉल, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 3 नवम्बर 2011 को आयोजित तीसरी भारतीय युवा विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में भागीदारी व सम्बोधन और रिओ+20 : टिकाऊ भविष्य के लिए कार्यसूची' पर पैनल चर्चा में भागीदारी
- पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली में 8 दिसम्बर 2011 को आईटीपीजीआरएफए तथा संबंधित संघियों के मुद्दों पर आयोजित संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक की अध्यक्षता
- एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में 13 दिसम्बर 2011 को आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंध के लिए राष्ट्रीय परामर्शक मंडल में भागीदारी
- एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में 23–25 जनवरी 2012 को आईटीपीजीआरएफए के अंतर्गत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के

- मुद्दों व वर्तमान स्थिति पर बहुपक्षीय प्रणाली के कार्यान्वयन पर उद्घाटन व प्रारंभिक सत्र की अध्यक्षता
- महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी में डीयूएस परीक्षण केन्द्र का 10–11 फरवरी 2012 को दौरा तथा भारतीय कांग्रेस, 2012 (एनएसएआई द्वारा आयोजित) में भागीदारी
- रियो सम्मेलन के 20 वर्षों पर एमएसएसआरएफ, चैन्सई द्वारा 15 फरवरी 2012 को आयोजित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता
- राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय नव–प्रवर्तन संस्थान के 21 फरवरी 2012 को आयोजित पुरस्कार समारोह में भागीदारी।

9.10 महा पंजीकार की भागीदारी

डॉ. ए.के. मल्होत्रा, महा पंजीकार

- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची में 29 अप्रैल से 1 मई 2011 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर आयोजित जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया
- डीयूएस परीक्षण केन्द्र की प्रगति की समीक्षा करने और संदर्भ किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन के अंतर्गत परीक्षण प्लॉट/प्रायोगिक क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए 17 जून 2011 को सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर का दौरा किया।
- पटसन में डीयूएस परीक्षण, संदर्भ व उदाहरण किस्मों के अनुरक्षण प्रजनन के लिए 6 अगस्त 2012 को केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा संस्थान, बैरकपुर स्थित नोडल केन्द्र का दौरा किया।

डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महा पंजीकार

- 3–7 जनवरी 2012 के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में 6–8 फरवरी 2011 को आयोजित द्वितीयक वैश्विक कृषि–व्यापार इन्क्यूबेशन सम्मेलन; एनआईएबीआई 2012 में तथा 8 फरवरी 2012 को सकल विकास के लिए कृषि व्यापार को मुख्य धारा में लाने शीर्षक के सत्र के दौरान पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।



10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

10.1 द्विपक्षीय सहयोग

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने कृषि एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से पादप किस्मों की सुरक्षा, डीयूएस परीक्षण और पादप प्रजनकों के अधिकारों के क्षेत्र में अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर अनेक पहलें कीं। प्राधिकरण ने नीदरलैंड्स इंस्पेक्शंस सर्विस फार हार्टीकल्चर (नाक्टूबोउव) नीदरलैंड्स और प्लैट्टम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर दिसम्बर 2011 में हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कृषि मंत्रालय, भारत सरकार तथा आर्थिक मामले, कृषि और नवोन्मेष मंत्रालय, नीदरलैंड्स सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्य योजना के अनुपालन भी किए गए थे। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों द्वारा पीपीवी अधिनियमों के कार्यान्वयन में अनुभवों को बांटना, नाक्टूबोउव द्वारा भारत में डीयूएस प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण, भारतीयों द्वारा हालैण्ड में पीपीवी पाठ्यक्रम में भाग लेना तथा पादप प्रजनन अधिकार प्रणाली में साझीदारी जैसे विषय शामिल किए गए हैं।

भारत ने हाल ही में ओ.ई.सी.डी. तथा ओ.ई.सी.डी. प्रतिनिधि मंडल के दो सदस्यों के साथ प्रतिनिधि मंडल के रूप में भाग लिया है। इसमें न्यूजीलैंड से श्री पीटर जोन्स्टन और श्री माइकेल रेयॉन, अध्यक्ष, कोड्स एंड स्कीम्स, पैरिस ने 23–25 अगस्त 2011 को भारत का दौरा किया। भारत में दौरे के दौरान इस प्रतिनिधि मंडल ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया।

इंटरनेशनल सीड फेडरेशन के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया तथा पौधा किस्मों की सुरक्षा, पादप प्रजनकों के अधिकार व डीयूएस परीक्षण तथा संबंधित मामलों पर 27 सितम्बर 2011 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में एनएसएआई–पीपीवी और एफआरए के बीच परिचर्चात्मक सत्र का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीएफआरए) से संबंधित मुद्दों के अतिरिक्त कन्वेंशन ऑन बायोलोजिकल डाइवर्सिटी (सीबीडी) और संबंधित इंस्ट्रूमेंट एंड कन्वेंशनल, डीएसी ने पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष डॉ. पी.एल. गौतम की अध्यक्षता में एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जिसके अन्य सदस्य विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि थे। इसका उद्देश्य आईटीपीजीएफआरए से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भारत सरकार का पक्ष रखना था क्योंकि

भारत भी इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता है और साथ ही इसने अन्य संबंधित संधियों/समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान संयुक्त कार्यदल की दो बैठकें आईटीपीजीआरएफए से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित हुईं। इसके साथ ही इन बैठकों में सीबीडी के नागोया प्रोटोकोल–2, पक्षों के सम्मेलन (सीओपी–11) पर अंतर–शासकीय समिति की बैठक 1–19 अक्टूबर 2012 को हैदराबाद में आयोजित हुई।

10.2 विदेशी अतिथि

- प्रो. हयूज डब्ल्यू पीटचार्ड, अनुसंधान अध्यक्ष, सीड कंजर्वेशन एंड सीनियर साइंस ग्रुप, यूके— 2 जून 2011
- संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग (यूएसडीए) के एक प्रतिनिधि मंडल ने 12 सितम्बर 2011 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का दौरा किया
- जर्मन प्लांट ब्रीडर एसोसिएशन (बीडीपी) के एक प्रतिनिधि मंडल ने 4 अक्टूबर 2011 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का दौरा किया
- केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में 8 नवम्बर 2011 को कृषि भवन में आयोजित डच प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक में भाग लिया।

10.3 विदेशी दौरे

- स श्री डी.एस.मिश्रा, संयुक्त पंजीकार ने 19 जून – 1 जुलाई 2011 के दौरान वेजेनिंजन, नीदरलैण्ड्स में आयोजित पौधा किस्म सुरक्षा पाठ्यक्रम – 2011 में भाग लिया। यह कार्यक्रम नक्टूबोउव एंड वेजेनिंजन यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर फॉर डेवलपमेंट इनोवेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार ने 27 फरवरी–2 मार्च 2012 को एशिया पेसेफिक सीड्स एसोसिएशन (एपीएसए) सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन पताया, थाईलैंड में आयोजित किया गया था।
 - पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष डॉ. पी.एल.गौतम ने 26–27 मार्च 2012 को रोम, इटली में आयोजित खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय के पांचवे सत्र की ब्यूरो की दूसरी बैठक में सह–अध्यक्ष (एशिया क्षेत्र) के रूप में भाग लिया।

11. वर्ष 2011-12 के लिए प्राधिकरण के वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण सम्पूर्ण लागत स्थिति के अंतर्गत सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी लागू होने योग्य अधिदेशित लेखा मानकों (एएस) और लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। प्राधिकरण ने जहां अन्यथा उल्लिखित था, उसे छोड़कर व्यय और आय की सभी मर्दों के संदर्भ में लेखाकरण की एक्रूल विधि को अपनाया। 31 मार्च 2012 को तैयार तुलन-पत्र की एक प्रति जिसमें 31 मार्च 2012 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए आय

और व्यय के लेखे तथा प्राप्ति एवं अदायगी के लेखे शामिल हैं, अनुबंध X पर प्रस्तुत है।

पीपीवी और एफआरए अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के अनुपालन में प्राधिकरण के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को प्रस्तुत किए गए। लेखापरीक्षक रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षित लेखे और प्रबंध संबंधी उत्तर मंत्रालय को, संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए अलग से भेजे जाएंगे। प्राधिकरण को वर्ष 2011-12 के दौरान 1500.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई जिसका पूरा उपयोग किया गया।



31 मार्च 20132 को प्राधिकरण का तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

कॉर्पस/पूंजी निधि तथा देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पस/पूंजी निधि	10,12,55,674.84	66,079,819.96
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	.	.
निर्धारित/स्थायी निधि	.	.
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	.	.
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	.	.
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	.	.
चालू देयताएं और प्रावधान	1,91,77,979.26	10,970,026.03
योग	12,04,33,654.10	7,70,49,845.99
परिसम्पत्तियां	.	.
स्थिर परिसम्पत्तियां	2,12,03,696.00	16,132,222.00
घटाएँ : संचयित मूल्यद्वास	(1,47,54,455.22)	(11,761,619.82)
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	64,49,240.78	4,370,602.18
निवेश – निर्धारित/स्थायी निधियों से	.	.
निवेश – अन्य से	.	.
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	.	.
फुटकर व्यय	.	.
(जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हों)	11,39,84,413.32	72,679,243.81
योग	.	.
परिसम्पत्तियां	.	.
योग	12,04,33,654.10	77,049,845.99
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	.	.
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	.	.

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए प्राधिकरण का आय व व्यय का लेखा

(राशि रूपये में)

आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री / सेवाओं से हुई आय	.	.
अनुदान / सहायता	14,45,84,986	90,525,753.00
शुल्क / चंदा	47,80,650	6,740,840.00
निवेशों से हुई आय	.	.
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	.	.
अर्जित ब्याज	25,29,652.28	1,136,603.08
अन्य आय	3,15,027	365,601.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	.	.
डैफर्ड आय (अचल सम्पत्ति पर मूल्यद्वास)	31,00,540.40	3,402,376.17
योग (क)	15,55,10,855⁰⁶⁸	102,171,173.25
व्यय		
स्थापना व्यय	3,50,50,111.00	22,429,965.00
अन्य प्रशासनिक आय आदि	2,31,74,602.00	13,081,945.00
अनुदान / चंदों आदि पर हुआ व्यय	5,97,39,470.00	33,551,802.00
ब्याज	9,562.00	6,040.00
मूलद्वास (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)	31,00,540.40	3,402,376.17
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)	1,15,98,662.00	10,208,891.35
योग (ख)	13,26,72,947.40	82,681,019.52
व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क-ख)	2,26,37,908.28	19,490,153.73
प्राधिकरण निधि – 2,84,10,708.28	—	—
जीन निधि – 44,50,673.00	—	—
विशेष आरक्षित निधि में स्थानानंतरण (प्रत्येक को अलग-अलग बताएं)	—	—
सामान्य आरक्षित निधि को/से स्थानानंतरित	—	—
कॉर्पस/ पूँजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)	2,26,37,908.28	19,490,153.73

**पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, 31 मार्च 2012 को
समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं अदायगी का लेखा**

राशि (रुपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगीयां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आदिशेष			1. व्यय		
क. मौजूद नकद राशि	5,300.00	5,300.00	क) स्थापना व्यय	2,08,69,459.00	1,53,21,749.00
ख. बैंक अधिशेष			ख) प्रशासनिक व्यय (प्राधिकरण)	1,83,08,129.00	1,05,29,465.00
जीन निधि	1,20,923.00	27,524.00			
2. प्राधिकरण निधि	99,30,185.70	67,14,406.70	2. निधियों के विरुद्ध भुगतान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध ख और ग) परियोजनाएं (अनुबंध घ और डं.)	4,67,23,504.00	1,94,10,901.00
(एसबीआई)				2,32,29,717.00	2,70,23,238.00
सिंडिकेट बैंक	25,06,758.08	-			
3. प्राप्त अनुदान			3. अचल परिसम्पत्तियों पर व्यय तथा चालू पूँजी कार्यों पर व्यय		
क) भारत सरकार से	15,00,00,000.00	9,28,00,000.00	क) अचल सम्पत्तियों की खरीद (प्राधिकरण)	46,37,286.00	7,91,039.00
ख) राज्य सरकार से	-	-	ख) पूँजीगत चालू कार्यों पर व्यय	-	-
ग) अन्य स्रोतों से	-	-			
4. प्राप्त ब्याज			4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध छ)	53,21,499.00	62,91,292.00
क) बैंक में जमा राशि पर	-	-			
ख) ऋण, पेशगियां आदि			5. बाहरी संस्थाओं को पेशगियां (अनुबंध ज)	30,98,574.00	8,61,338.00
ग) जीन निधि	-	-			
प्राधिकरण निधि	10,48,775.28	39,335.08	6. प्राधिकरण के भवन निर्माण के लिए पेशगी	1,55,23,604.00	-

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
5. प्राप्त पेशगियां (अनुबंध च)	1,05,000.00	5,48,074.00			
6. आय कर की वापसी	-	23,370.00	7. डीयूएस परीक्षण के लिए पेशगी (अनुबंध झ)	9,24,000.00	5,32,000.00
7. पेशगी की वसूली (अनुबंध ट)	3,41,675.00	91,016.00	8. फेंकिंग मशीन की रीफीलिंग	1,75,000.00	1,75,000.00
8. शुल्क/अंशदान/ अन्य आय			9. डीओसी को वापसी	185.00	12,68,390.00
प्राप्त आवेदन/पंजीकरण शुल्क	39,20,000.00	64,76,000.00	10. संगठनों/संस्थानों को योगदान	-	15,79,041.00
पीवीजे शुल्क	49,000.00	49,890.00	11. स्टाफ को पेशगी (अनुबंध ढ)	28,41,414.00	18,56,801.00
आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क	1,27,500.00	1,53,000.00	12. वित्त प्रभार	6,908.00	6,040.00
वार्षिक शुल्क—जीन निधि	5,26,000.00	72,000.00	13. प्राप्त पेशगी के विरुद्ध अदायगी	55,000.00	10,000.00
पुराने समाचार—पत्रों, रद्दी की बिक्री	600.00	2,595.00	14. सीपीएफ जमा लेखा	-	3,71,204.00
प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क	57,97,500.00	19,15,000.00	15. मियादी जमा	3,40,00,000.00	50,00,000.00
प्राप्त अन्य शुल्क	683.00	6,604.00			
9. डीओसी को देय राशि	-	185.00			
10. स्टाफ से पेशगी की वसूली (अनुबंध द)	10,39,389.00	7,19,605.00			
11. मियादी जमा का					
नकदीकरण	3,67,97,466.00	-	16. पुराने डिमांड ड्राफ्ट की राशि की वापसी	600.00	-

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
12. पुराने चैकों की राशि की वापसी	-	4,204.00	17. पुराने दावों के विरुद्ध डीयूएस केन्द्रों को भुगतान	22,38,064.00	-
13. प्रधान डाकघर से प्राप्त छूट	-	5,975.00	18. अदा की गई विधिक देयताएं (अनुबंध ण)	37,04,910.00	60,80,172.00
14. बैंक द्वारा गलत नामे का सुधार	2,000.00	16,753.00	19. अंत शेष क) मौजूद नकद ख) बैंक में शेष राशि भारतीय स्टेट बैंक (मोड सहित) सिंडिकेट बैंक जीन निधि गुवहाटी बैंक रांची बैंक	5,000.00 4,63,721.70 2,41,96,312.36 58,53,950.00 48,856.00 93,062.00	5,300.00 99,30,185.70 25,06,758.08 1,20,923.00 - -
कुल	21,23,18,755.06	10,96,70,836.78	कुल	21,23,18,755.06	10,96,70,836.78

12. नागरिक आचार संहिता

परिदृश्य

पौधा किस्मों की सुरक्षा, पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने और पादप प्रजनकों को पादप आनुवंशिक सामग्री उपलब्ध कराने व ऐसी किस्मों के संरक्षण व सुधार में किसी भी समय किए गए कृषकों के योगदान के संदर्भ में उनके अधिकारों के लिए प्रभावी प्रणाली की स्थापना।

मिशन

नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु देश में कृषि विकास में तेजी लाने में योगदान करना और इस प्रकार देश में बीज उद्योग के विकास में सहायता प्रदान करना, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों व रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

उद्देश्य

- पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों, पादप प्रजनकों और अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराना
- पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा अनुसंधान एंव विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना और नई किस्मों का विकास
- कृषकों को नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने और इन संसाधनों के संरक्षण व सुधार में किए गए योगदानों के लिए मान्यता प्रदान करना
- किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज व रोपण सामग्री उपलब्ध कराने व उसका उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करना।

कार्य

- पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना और कृषकों के पादप प्रजनन के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना;
- बहु-वार्षिक फसलों के लिए फील्ड जीन बैंक और परंपरागत बीजों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना
- नई और विद्यमान पादप किस्मों का पंजीकरण
- पंजीकृत पौधा किस्मों के गुणों का विकास व प्रलेखन

- कृषक किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण और सूचीपत्रकरण
- सभी पौधा किस्मों के लिए अनिवार्य सूचीपत्रकरण की सुविधा
- यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों तथा यदि आवश्यकता हो तो अनिवार्य लाइसेंस उपलब्ध कराना
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करना;
- पर्यावरणीयों को लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति से संबंधित स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करना तथा टिकाऊ उपयोग व संरक्षण जैसे कार्यों को सम्पन्न करने में पंचायतों की क्षमता का निर्माण और पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग की सहायता के लिए जीन निधि का उपयोग करना।

स्टेकहोल्डर्स

पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा एक अनूठा विषय है जिसमें विविध कियाकलाप, पहलें व स्टेकहोल्डर शामिल हैं। पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित स्टेकहोल्डर हैं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों, दिल्ली उद्योगों, स्वयंसेवी संगठनों सहित अनुसंधान संगठन और इन सब के उपर जनजातीय कृषक समुदायों सहित सभी किसान।

प्रदान की जाने वाली सेवाएं

- कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं/पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित पौधों की किस्मों को पौधा किस्म पंजीकरण के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार आईपीआर की सुरक्षा प्रदान करना।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव जिसमें पौधा किस्मों तथा संबंधित प्रजनकों के अधिकारों का उल्लेख हो
- यदि कोई पंजीकृत किस्म उस प्रकार निष्पादन नहीं करती है, जिसका दावा प्रजनकों द्वारा किया गया है तो किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना।
- समुदायों/किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों में योगदान/साझीदारी के लिए लाभ में भागीदारी।
- पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पौधा प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के लिए जागरूकता का सृजन व क्षमता का निर्माण।

6. स्टेकहोल्डरों को पौधा किस्मों का डेटाबेस उपलब्ध कराना।
7. आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे किसानों, कृषक समुदायों, विशेष रूप से जन जाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना व पुरस्कृत करना। शिकायत के निपटारे की क्रियाविधि

महापंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण जन-शिकायतों के निपटान के लिए पद-नामित अधिकारी है और शिकायतें निम्न पते पर भेजी जा सकती हैं :

महा पंजीकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली-1100 12

फोन : 011-25843316, फैक्स : 011-25840478

E-mail:ppv&fra-agri@nic.in

www.plantauthority.gov.in



प्राधिकरण के सदस्य

डॉ. पी.एल.गौतम प्राधिकरण के अध्यक्ष

पदेन सदस्य :

- डॉ. गुरबचन सिंह, (12 अक्टूबर 2011 तक), कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली—110014
- डॉ. स्वपन कुमार दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प., कृषि भवन, नई दिल्ली— 110 014
- श्री अनिंदो मजूमदार, (22 जुलाई 2011 तक), श्री ए.के.जी. रहाटे (23 जुलाई 2011 तक) संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली—110014
- डॉ. गोरख सिंह, बागवानी आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग,कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली—110 014
- डॉ. के.सी.बंसल, निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली—110012
- डॉ. एस.नतेश, सलाहकार ग्रेड—1, भारत सरकार, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003
- श्री सतीश चन्द्रा, संयुक्त सचिव एवं विधिक मामले, विधिक मामले विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली—110 003
- श्री हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव (जैवसुरक्षा के साथ संबंधित), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली—110 003

नामांकित सदस्य

- श्री वी. नागी रेड्डी, प्रधान सचिव (कृषि), आंध्र प्रदेश सरकार, डी ब्लॉक, प्रथम तल, कमरा नं. 270, सचिवालय कार्यालय, हैदराबाद—9
- डॉ. एस.एन.पुरी, कुलपति, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, इम्फाल— 795001
- श्री रोशन लाल, आईएएस, वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव (कृषि), कमरा नं. 430, चौथा तल, सैकटर—17, नया हरियाणा सचिवालय भवन, चंडीगढ़— 160 017
- श्री राजू बरवाले, प्रबंध निदेशक (बीज उद्योग प्रतिनिधि के रूप में), महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड (मायको), दवालवाद, पीओ बॉक्स 76, जालना (महाराष्ट्र) – 431203
- श्री ए.सी. जोनुमाविया, समन्वयक एवं अध्यक्ष (आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में),पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र (सीईपी), बी—27 / 1, कुलकुआल साउथ, एजवाल— 796001 (मिजोरम)
- श्री पी.नारायण उन्नी (किसान संगठन के प्रतिनिधि के रूप में), नवारा इको फार्म, कारुकामनी कलाम, चित्तूर कॉलेज, पीओ, जिला पालाकाड, केरल— 678 104
- महिला संगठन का प्रतिनिधित्व – रिक्त

सदस्य—सचिव (पदेन)

डॉ. ए.के.मल्होत्रा, महा पंजीकार, (01 सितम्बर 2011 तक) तथा

डॉ. आर.सी.अग्रवाल, महा पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण (23 नवम्बर 2011 से)

कार्यक्रम, नियोजन और नीति समिति

अध्यक्ष

- सुश्री राधा सिंह, पूर्व सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, सी-२/३२, तिलक लेन, नई दिल्ली- 110001

सदस्य

- श्री एस.के.रुग्णा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012
- डॉ. एस.आर.राव, परामर्शक, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ब्लॉक २, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
- डॉ. टी. रामाकृष्णन, अपर प्राध्यापक, विधि तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार के केन्द्र समन्वयक, अनुसंधान एवं एडवोकेसी, आईआर पीठ, नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नागरभावी, पो.बा. 7201, बंगलुरु- 560 072
- डॉ. आर.के.गुप्ता, अध्यक्ष, बौद्धिक संपदा प्रबंध प्रभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिसर, निस्केयर बिल्डिंग, तीसरा तल, १४, सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110067
- डॉ. नजीर अहमद, निदेशक, केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केडी फार्म, ओल्ड एयर फील्ड, रांगरेथ, श्रीनगर 190 007 (जम्मू व कश्मीर)
- निदेशक, आईएफजीटीबी, पोस्ट बॉक्स नं. १०, ६१ फोरेस्ट कैम्पस, आर.एस.पुरम, कोयम्बत्तूर, 641 002
- डॉ. डी.पी.रे, कुलपति, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा 751003
- श्री अनिंदो मजुमदार, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 014
- श्री हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
- डॉ. एस.एस.बांगा, राष्ट्रीय प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141 004
- डॉ.रमेश चन्द, निदेशक, एनसीएपी, नई दिल्ली-110012
- डॉ. के.सी.बंसल, निदेशक, एनबीपीजीआर, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012
- डॉ.बी.पी.सिंह, निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश-170001
- डॉ. एन.के.दादलानी, निदेशक, नैशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ९०९, सूर्य किरण बिल्डिंग, १९, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

सदस्य—सचिव

- डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में स्वीकृत पद


प्रधान कार्यालय (नई दिल्ली)	
वेतनमान सहित पदनाम	स्वीकृत पद
अध्यक्ष 80000/- (निर्धारित)	1
महा पंजीकार 67000–79000/-	1
पंजीकार 37400–67000 (ग्रेड पे ₹8700)	3
वित्तीय सलाहकार 37400–67000 (ग्रेड पे ₹8700)	1
संयुक्त पंजीकार 15600–39100 (ग्रेड पे ₹7600)	2
उप पंजीकार 15600–39100 (ग्रेड पे ₹6600)	1
विधि सलाहकार 15600–39100 (ग्रेड पे ₹6600)	2
वरिष्ठ लेखा अधिकारी 15600–39100 (ग्रेड पे ₹6600)	1
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 9300–34800 (ग्रेड पे ₹4600)	3
तकनीकी सहायक 9300–34800 (ग्रेड पे ₹4200)	1
कम्प्यूटर सहायक 9300–34800 (ग्रेड पे ₹4200)	6
उप योग	22
शाखा कार्यालय (गुवाहाटी एवं रांची)	
उप पंजीकार 15600–39100 (ग्रेड पे ₹6600)	2
पौधा किस्म परीक्षक 15600–39100 (ग्रेड पे ₹5400)	2
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 9300–34800 (ग्रेड पे ₹4600)	2
कार्यकारी सहायक 9300–34800 (ग्रेड पे ₹4200)	2
उप योग	8
योग	30

मानव संसाधन का विवरण

प्रधान कार्यालय

पदनाम एवं उनके पदस्थ	भरे गए पद	रिक्त पद	पदनाम एवं उनके पदस्थ	भरे गए पद	रिक्त पद
अध्यक्ष डॉ. पी.एल. गौतम	1	—	कम्प्यूटर सहायक श्री अरविंद कुमार राय	6	—
महा पंजीकार डॉ. आर.सी. अग्रवाल	1	—	श्री संजय कुमार गुप्ता		
पंजीकार डॉ. मनोज श्रीवास्तव डॉ. तेजबीर सिंह डॉ. रवि प्रकाश	3	—	श्रीमती सिप्रा माथुर श्री नितेश कुमार वर्मा श्री श्याम नारायण प्रसाद ज्योति		
वित्तीय सलाहकार श्री जे.पी. सिंह	1	—	शाखा कार्यालय गुवाहाटी डॉ. ए.सी. शर्मा (उप पंजीकार)	1	
संयुक्त रजिस्ट्रार श्री डी.आर. चौधरी श्री डी.एस. मिश्रा	2	—	पौधा किस्म परीक्षक		1
उप पंजीकार श्री उमा कांत दुबे	1	—	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी		1
विधि सलाहकार श्री डी.एस.राज गणेश श्री आर.आर. प्रधान	2		कार्यकारी सहायक		1
वरिष्ठ लेखा अधिकारी श्री राजीव तलवार	1		शाखा कार्यालय रांची (उप पंजीकार) निविदा पर		1
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉ. ए.के. सिंह डॉ. सुशील कुमार	2	1	पौधा किस्म परीक्षक		1
तकनीकी सहायक डॉ. डी.एस. पिलानिया	1	—	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी कार्यकारी सहायक		1

प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा



डीयूएस केन्द्रों को प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता

₹ (लाख में)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	फसलें	निधियां जारी
1.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	बंदगोभी, फूलगोभी, भिण्डी, बैंगन, टमाटर, मटर तथा राजमा	4.97
2.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	भिण्डी, बैंगन, टमाटर	14.99
3.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	कपास, चना, ज्वार	3.20
4.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	तोरिया एवं सरसों, गेहूं, अलसी	2.25
5.	परियोजना समन्वयक, तिल एवं रामतिल, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	अलसी, मसूर, मटर	2.50
6.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	अरहर, चना, मटर, राजमा	10.00
7.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर (मुलार्प)	मसूर, मूंग, उड़द	1.50
8.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	सूरजमुखी, कुसुम, अरण्ड	5.83
9.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	धान, सूरजमुखी, उड़द	6.27
10.	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी	चना, बाजरा, ज्वार	5.90
11.	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., करनाल	चावल	3.12
12.	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं. इंदौर	गेहूं	4.00
13.	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., कटराई	बंदगोभी, फूलगोभी	1.94
14.	पुष्पविज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	गुजाब, गैंदा	3.92
15.	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र, राजगुरुनगर	प्याज, लहसुन	4.44
16.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, शिमला	आलू	3.92
17.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	गन्ना	3.84
18.	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर		3.43
19.	गन्ना प्रजनन संस्थान, अगाली		2.22
20.	गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल		2.42
21.	केन्द्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान एवं कृषि वानिकी, बैरकपुर (बुद बुद)	पटसन	7.89
22.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	चावल	6.28
23.	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद		8.25
24.	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा	मक्का, राजमा, सोयाबीन	3.84
25.	गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	चारा ज्वार	4.10
26.	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	ज्वार	14.00
27.	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर	सोयाबीन	3.89
28.	तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	तोरिया एवं सरसों, तारामिरा	3.74
29.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	गेहूं	9.03
30.	पीडीकेवी, अकोला	अरहर, कुसुम	4.50
31.	एआईसीएमआईपी, मंदौर (प.स. बाजरा)	बाजरा	5.71

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	फसलें	निधियां जारी
32	पीसी, सीआईसीआर आरएस, कोयम्बत्तूर	कपास	2.61
33	सीआईसीआर, नागपुर		5.08
34	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	गेहूं	3.63
35	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़	मूंगफली	4.14
36	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिविकम	ऑर्किड	3.16
37	परियोजना समन्वयक, अलसी (चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	अलसी	2.25
38	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	चावल	0.88
39	आईआईएसआर, कोज़ीकोड़े	हल्दी, अदरक, काली मिर्च, इलायची	2.93
40	सीआईएसएच, लखनऊ	आम	15.30
41	जोएयू जामनगर	अरण्ड, बाजरा	3.41
42	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड	नारियल	3.00
43	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	मक्का	8.84
44	आईआईएचआर, बंगलुरु	शोभाकारी फसलें	4.50
45	भा.कृ.आ.सं., पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, नई दिल्ली (गुलदाउदी के लिए राष्ट्रीय रिपोजिटरी)	गुलदाउदी	6.25
46	भा.कृ.आ.सं. (शाकीय विज्ञान संभाग)	बंदगोभी, फूलगोभी	1.32
47	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	तिल	2.11
48	अंगारू, हैदराबाद	मक्का	5.40
49	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	गेहूं कपास	3.18
50	सीआईएमएटी, लखनऊ	पुदीना, दमस्क गुलाब, कैथारेंथस, विथानिया, बैकोप	2.00
51	डीएमएपीआर, आनंद	ईसबगोल	5.87
52	आईआईएचआर, बंगलुरु	गुलाब	4.88
	कुल		252.62

**डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए परियोजनाओं को प्राधिकरण द्वारा
उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता**

₹ (लाख में)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	फसलें	जारी की गई निधि
1.	सीआईटीएच, श्रीनगर	स्ट्रावेरी	7.75
2.	आईआईएचआर, बंगलुरु		4.35
3.	सीआईटीएच, श्रीनगर	सेब, अखरोट, नाशपाती, बादाम	9.24
4.	डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	कार्मशन	5.45
5.	आईआईएचआर, बंगलुरु		5.58
6.	पुष्पविज्ञान निदेशालय, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	ट्यूबरोज़	6.30
7.	आईआईएचआर, बंगलुरु		6.30
8.	आईआईएचआर, बंगलुरु	पपीता व शरीफा	2.07
9.	टीएनएयू कोयम्बत्तूर		1.50
10.	आईआईएचआर, बंगलुरु	चाइना एस्टार	4.51
11.	एमपीकेवी अनुसंधान केन्द्र, गणेशखिंद, पुणे		4.51
12.	आईआईएचआर, बंगलुरु	चमेली	8.08
13.	टीएनएयू कोयम्बत्तूर		5.42
14.	आईआईएचआर, बंगलुरु	गेंदा	1.55
15.	आईआईएचआर, बंगलुरु		4.95
16.	आईआईएचआर, बंगलुरु	पान	4.80
17.	बीसीकेवी, कल्याणी		1.55
18.	आईआईएचआर, बंगलुरु	मिर्च, स्वीट पैपर, पैपरीका	13.45
19.	भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली		1.46
20.	आईआईएचआर, बंगलुरु	चौलाई, पालक तथा तोरई	4.88
21.	भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली		1.25
22.	केएयूत्रिशुर	कैटलेया ऑर्किड, फैलीलोनॉप्सिस	6.17
23.	एसएफआरआई, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश		6.18
24.	एनडीयू व टी. फैजाबाद	जौ	2.75
25.	डीडब्ल्यूआर, करनाल		15.05
26.	एनआरसी – अनार, शोलापुर	अनार	3.03
27.	काजरी, जोधपुर		2.70
28.	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	दाना चौलाई, बक व्हीट, फाबा बीन	9.02
29.	एनबीपीजीआर, क्षेत्रीय केन्द्र अकोला		1.34
30.	एनबीपीजीआर, क्षेत्रीय केन्द्र, फागली–शिमला		1.34
31.	बीसीकेवी, कल्याणी	जिमीकंद, तारो	2.41
32.	सीटीसीआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र भुवनेश्वर		3.42

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	फसलें	जारी की गई निधि
33.	सीआईसीएच, लखनऊ	बेल	1.25
34.	सीआईएएच क्षेत्रीय केन्द्र, गोदरा		6.18
35.	सीआईएसएच, लखनऊ	जामुन	6.16
36.	सीआईएएच, गोदरा	जामुन	1.28
37.	सीआईएसएच, लखनऊ	आंवला	3.15
38.	सीआईएएच, क्षेत्रीय केन्द्र, गोदरा		1.15
39.	पुष्पविज्ञान निदेशालय, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	ग्लेडियोलस	1.38
40.	एनबीआरआई, लखनऊ		4.80
41.	सीआईएएच, बीकानेर	खजूर	8.29
42.	सीआईएएच, बीकानेर	बेर	16.75
43.	सीआईटीएच, श्रीनगर	आडू और अलूचा	9.13
44.	एनबीआरआई, लखनऊ	बोगनवेलिया	5.05
45.	एनबीआरआई, लखनऊ	कैन्ना	5.00
46.	एनआरसी – सिट्रस, नागपुर	सिट्रस प्रजातियां	6.89
47.	टोकली प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट	चाय	Nil
48.	एचएफआरआई, शिमला	कोनिफर	1.50
49.	एनईएच क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर	कोलोकेसिया	Nil
50.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहट	बांस	Nil
51.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान	खरबूजा तरबूज	20.00
52.	एनआरसी—अंगूर, पुणे	अंगूर	12.75
53.	एनआरसी—केला, त्रिची	केला	8.30
54.	एनआरसी एसएस, अजमेर	धनिया व बीज मसाले	4.17
55.	आईएफजीटीवी, कोयम्बत्तूर	सफेदा, कैसुरीना	5.84
56.	बीज विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी संभाग, भा.कृ.अ.सं.	पीक्यूपी परियोजना	3.31
57.	एफसीआरआई, कोयम्बत्तूर (टीएनएयू)	नीम, करंज, रतन ज्योति	0.62
58.	आईआईवीआर, वाराणसी	कुकरबीट्स	17.61
	कुल		308.93

**विशेष परीक्षणों, कृषकों से संबंधित परियोजनाओं और फील्ड जीन बैंकों के लिए
उत्तरदायी संस्थानों को वित्तीय सहायता**

₹ (लाख में)

विशेष परीक्षण			
क्र.सं.	केन्द्र का नाम	विवरण	जारी की गई निधि
1.	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	जैव रसायन विज्ञानी परीक्षण के लिए संदर्भ प्रयोगशाला	8.65
2.	सीआरआरआई, कटक (नई परियोजना)	चावल में एफवी का आण्विक गुण—निर्धारण	5.45
3.	एनआरसीपीबी, नई दिल्ली	जैव-रसायनविज्ञानी व आण्विक परीक्षण	8.00
		कुल	22.10
कृषकों से संबंधित परियोजनाएं			
1.	कृषि एवं खाद्य उत्पादन, भुवनेश्वर	ओडिशा में चावल की कृषक किस्मों का गुण—निर्धारण व मूल्यांकन	7.00
2.	पर्यावरण एवं पारिस्थितिक विकास संस्थान, पटना	बिहार में अरहर और बाकला की कृषि किस्मों का दोहन, प्रलेखन, सूचीकरण और गुण—निर्धारण	6.82
3.	एमएसएसआरएफ, चैन्नई	केरल और ओडिशा में सामुदायिक जीन बैंक में कृषक किस्मों का डीयूएस गुण—निर्धारण और मूल्यांकन	0.50
4.	जीन कैम्पेन, नई दिल्ली	चावल जैव-विविधता का संरक्षण और झारखंड और मेघालय में कृषकों के अधिकारों पर प्रशिक्षण	10.80
5.	वानधाई, नागापट्टीनम	तमिल नाडु के तटवर्ती मुहाने और तटवर्ती पट्टी के साथ परंपरा से उगाई जाने वाली चावल की किस्मों का गुण—निर्धारण और पंजीकरण	5.40
		कुल	30.02
फील्ड जीन बैंक			
1.	बीएयू रांची	आम, सिट्रस, केला, अमरुद आदि	9.70
2.	डॉ. बालेसाहेब कोकण कृषि विद्यापीठ, धोपोली	आम, सिट्रस, नारियल, मसाले आदि	12.37
3.	काजरी, जोधपुर (फील्ड जीन बैंक)	शुष्क क्षेत्र की फसलें	46.25
4.	डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय, मशोबरा	सेब, नाशपाती, आडू, अखरोट	Nil
5.	सीटीसीआरआई, त्रिवेन्द्रम	शकरकंद, करसावा	14.16
6.	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	राष्ट्रीय जीन बैंक और डीयूएस रिपोजिटरी	2.87
		कुल	85.35

**प्राधिकरण द्वारा जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए
विभिन्न संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता**

क्र.सं.	संगठन	राशि (लाख रु. में)
1.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	1.20
2.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	1.20
3.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	1.80
4.	कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशालय, भुवनेश्वर	1.80
5.	शाकीय फसलें संभाग, आईआईएचआर, बंगलुरु	0.80
6.	शोभाकारी फसलें संभाग के अध्यक्ष, आईआईएचआर, बंगलुरु	0.80
7.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	1.60
8.	राष्ट्रीय बीज परियोजना इकाई, अंगारू, हैदराबाद	1.60
9.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी	1.20
10.	केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता	1.60
11.	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र, राजगुरुनगर, पुणे	1.20
12.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	1.20
13.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	1.20
14.	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर और इसका क्षेत्रीय केन्द्र, अगाली, केरल	2.40
15.	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	1.60
16.	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	1.60
17.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	1.60
18.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	1.60
19.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, काजीकोड़	1.60
20.	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	1.20
21.	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	1.60
22.	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगौड़	1.60
23.	सोयाबीन अनुसंधान निदेशायल, इंदौर	1.20
24.	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	1.20
25.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	2.40
26.	मूंगफली अनुसंधान निदेशायल, जूनागढ़	1.20
27.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर	1.20
28.	ओषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनन्द, गुजरात	1.20
29.	केन्द्रीय सगंधीय एवं ओषधीय पादप संस्थान, लखनऊ	1.20
30.	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	1.60
31.	चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	1.60
32.	शेरे कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर, (जम्मू कश्मीर)	0.80
33.	भा.कृ.अ.सं., कृषि विज्ञान केन्द्र, शिकोहपुर, गुडगांव	0.80

क्र.सं.	संगठन	राशि (लाख रु. में)
34.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	0.80
35.	गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	1.51
36.	तोरिया और सरसों निदेशायल, भरतपुर	0.80
37.	सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर	0.79
38.	एम.एस.आर.एफ. चैन्नई	2.00
39.	एस.के.आर.ए.वी., वीकानेर	0.92
	कुल	53.22



वर्ष 2011–12 के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण—पत्रों की सूची

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने की तिथि	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक और पता
1.	2011 का 12 / 24.06.2011	विद्यमान	बिरसा धान 108	चावल	ओराइज़ा सेटाइवा एल.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
2.	2011 का 13 / 24.06.2011	विद्यमान	डीबीडब्ल्यू 16	चपाती गेहूं	ट्रिटिक्स इस्टाइवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
3.	2011 का 14 / 24.06.2011	विद्यमान	जीडब्ल्यू 322	चपाती गेहूं	ट्रिटिक्स इस्टाइवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
4.	2011 का 15 / 24.06.2011	विद्यमान	पूसा व्हीट—105 (एचडी— 2833)	चपाती गेहूं	ट्रिटिक्स इस्टाइवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
5.	2011 का 16 / 24.06.2011	विद्यमान	टीटी 401	अरहर	कैजानस कैजान (एल.) (मिल्स्प)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
6.	2011 का 17 / 24.06.2011	विद्यमान	सिद्धांत	चावल (ओआरएस 102—4) (आईईटी 15296)	ओराइज़ा सेटाइवा एल.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, खंडगिरि, जिला खुर्द, ओडिशा
7.	2011 का 18 / 24.06.2011	विद्यमान	उपहार	चावल (ओआरएस 1234—12—1) (आईईटी 17318)	ओराइज़ा सेटाइवा एल.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, खंडगिरि, जिला खुर्द, ओडिशा
8.	2011 का 19 / 24.06.2011	विद्यमान	जेआरसी 80 (मिताली व्हाइट)	पटसन	कारकोरस कैप्सुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
9.	2011 का 20 / 24.06.2011	विद्यमान	जेआरओ 128 (सूर्या) सीओ 28	पटसन	कारकोरस कैप्सुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
10.	2011 का 21 / 24.06.2011	विद्यमान	जेआरओ 66 (पीबीओ 6)	पटसन	कारकोरस कैप्सुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
11.	2011 का 22 / 24.06.2011	विद्यमान	सुबला (एस—19)	पटसन	कारकोरस कैप्सुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
12.	2011 का 23 / 24.06.2011	विद्यमान	जेआरओ—8432 (शक्ति, तोसा, सीओ 32)	पटसन	कारकोरस कैप्सुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
13.	2011 का 24 / 24.06.2011	विद्यमान	यूपी 2382	चपाती गेहूं	ट्रिटिक्स इस्टिवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
14.	2011 का 25 / 24.06.2011	विद्यमान	यूपी 2425	चपाती गेहूं	ट्रिटिक्स इस्टिवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने की तिथि	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक और पता
15.	2011 का 26 / 24.06.2011	विद्यमान	एनसीएस-207 मल्लिका (एनसीएचएच-	कपास	गोसिपियम हिसुर्टम एल.	निजुवीदू सीडस लिमिटेड, एनएसएलआईसीओएन, संख्या 8-2-684/ए, प्लॉट नं 124, 207) बंजारा हिल्स, हैदराबाद
16.	2011 का 27 / 24.06.2011	विद्यमान	आरबीडी-7 (प्रताप कपी-1)	कपास	गोसिपियम हिसुर्टम एल.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान
17.	2011 का 28 / 24.06.2011	विद्यमान	श्रेष्ठ (सीएसएचएच-198)	कपास	गोसिपियम हिसुर्टम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
18.	2011 का 29 / 24.06.2011	विद्यमान	हाइब्रिड कल्याण (सीएसएचएच-238)	कपास	गोसिपियम हिसुर्टम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
19.	2011 का 30 / 24.06.2011	विद्यमान	प्रतीमा (सीएनएच 120 एमबी)	कपास	गोसिपियम हिसुर्टम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
20.	2011 का 31 / 24.06.2011	विद्यमान	उजाला (ओबीजी 17)	उड़द	विग्ना मुंगो (एल.) हैप्पर	उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय, खंडगिरि, जिला खुर्द, ओडिशा
21.	2011 का 32 / 24.06.2011	विद्यमान	गजपति (आईईटी 13251)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय, खंडगिरि, जिला खुर्द, ओडिशा
22.	2011 का 33 / 24.06.2011	विद्यमान	खारावेला (आईईटी 13253)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय, खंडगिरि, जिला खुर्द, ओडिशा
23.	2011 का 34 / 24.06.2011	विद्यमान	जवाहर ताप्ती	कपास	गोसिपियम हिसुर्टम एल.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, 80, कृषिनगर आधारताल, जबलपुर
24.	2011 का 35 / 24.06.2011	विद्यमान	जेकेबीएच- 676 (एमएच- 1299)	बाजरा	फेनेसेटम ग्लाउकम (एल.)	जे.के. एग्रीजेनेटिक्स लिमिटेड, 1-10-177, चौथा तल, वरुण टावर, हैदराबाद
25.	2011 का 36 / 24.06.2011	विद्यमान	एमएसीएच 6145	चपाती गेहूं	ट्रिटिकम एस्टाइवम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
26.	2011 का 37 / 24.06.2011	विद्यमान	आशा (आरएसजी 945)	चना	साइसर एरेटेनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
27.	2011 का 38 / 24.06.2011	विद्यमान	हरियाणा चना-3 (एच 86-18)	चना	साइसर एरेटेनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
28.	2011 का 39 / 24.06.2011	विद्यमान	हरियाणा चना-5 (एच 96-99)	चना	साइसर एरेटेनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
29.	2011 का 40 / 24.06.2011	विद्यमान	आरएसजी-896 (अर्पण)	चना	साइसर एरेटेनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
30.	2011 का 41 / 24.06.2011	विद्यमान	हरियाणा काबुली-1 (एचके 89-131)	चना	साइसर एरेटेनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने की तिथि	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक और पता
31.	2011 का 42 / 24.06.2011	विद्यमान	हाइब्रिड 6129 (आईईटी 18815)	चावल	ओराइज़ा सेटाइवा एल.	बायर कॉप साइंस ईजी, एल्फेड नोबल स्ट्रैस 50. 40789, मोनीएइम, जर्मनी
32.	2011 का 43 / 24.06.2011	विद्यमान	एकोएसएचवी-22	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, डाकघर कृषि नगर, अकोला
33.	2011 का 44 / 24.06.2011	विद्यमान	एकोएसवी-13आर (पीकेवी-क्रांति)	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, डाकघर कृषि नगर, अकोला
34.	2011 का 45 / 24.06.2011	विद्यमान	एकोए-8	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, डाकघर कृषि नगर, अकोला
35.	2011 का 46 / 24.06.2011	विद्यमान	पीकेवी एचवाई-4, सीएएचएच-8	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, डाकघर कृषि नगर, अकोला
36.	2011 का 47 / 24.06.2011	विद्यमान	ललितागिरि (आईईटी-1319)	चावल	ओराइज़ा सेटाइवा एल.	उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय, खंडगिरि, जिला खुर्द, ओडिशा
37.	2011 का 48 / 24.06.2011	विद्यमान	उदयगिरि (आईईटी – 12136)	चावल	ओराइज़ा सेटाइवा एल.	उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय, खंडगिरि, जिला खुर्द, ओडिशा
38.	2011 का 49 / 24.06.2011	विद्यमान	प्रोएग्रो-9444 (एमएसएच 118)	बाजरा	पेनेसेटम ग्लाउकम (एल.) आर.बीआर.	बायर बायो साइंस प्रा.लि. 8-1-39, कुतुबशाही टाम्ब्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद
39.	2011 का 50 / 24.06.2011	विद्यमान	एच 1117	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
40.	2011 का 51 / 24.06.2011	विद्यमान	एचडी 324 (एचडी 324-1)	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
41.	2011 का 52 / 24.06.2011	विद्यमान	एचएचएच 287 (जीएमएस आधारित) इंट्रा हिस्टर्टम संकर)	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
42.	2011 का 53 / 24.06.2011	विद्यमान	एच-1226	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
43.	2011 का 54 / 24.06.2011	विद्यमान	एचएचएच-223	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
44.	2011 का 55 / 24.06.2011	विद्यमान	एएएच-1 (देशी कॉटन हाइब्रिड-1)	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
45.	2011 का 56 / 24.06.2011	विद्यमान	एचडी 123	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने की तिथि	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक और पता
46.	2011 का 57 / 24.06.2011	विद्यमान	एच-1098	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
47.	2011 का 58 / 24.06.2011	विद्यमान	अनुभव (आरएसजी 88)	चना	साइसर एरिटीनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
48.	2011 का 59 / 30.09.2011	विद्यमान	बिरसा विकास धान- 110	चावल	ओराइज़ा सेटाइवा एल.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची
49.	2011 का 60 / 30.09.2011	विद्यमान	बिरसामति	चावल	ओराइज़ा सेटाइवा एल.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची
50.	2011 का 61 / 30.09.2011	विद्यमान	बिरसा विकास धान 109	चावल	ओराइज़ा सेटाइवा एल.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची
51.	2011 का 62 / 30.09.2011	विद्यमान	विवेक मेज हाइब्रिड-23 (एफएच-3529)	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
52.	2011 का 63 / 30.09.2011	विद्यमान	आजाद कमल (आर 9803)	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
53.	2011 का 64 / 30.09.2011	विद्यमान	पीएमएच-2 (जेएच 3851)	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
54.	2011 का 65 / 30.09.2011	विद्यमान	प्रकाश (जेएच 3189)	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
55.	2011 का 66 / 30.09.2011	विद्यमान	एमसीयू-12 (टीसीएच-1025)	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर, तमिल नाडु
56.	2011 का 67 / 30.09.2011	विद्यमान	केसी-2	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर, तमिल नाडु
57.	2011 का 68 / 30.09.2011	विद्यमान	एमसीयू 13	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर, तमिल नाडु
58.	2011 का 69 / 30.09.2011	विद्यमान	पीएयू-626 एच	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
59.	2011 का 70 / 30.09.2011	विद्यमान	एफ- 1861	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
60.	2011 का 71 / 30.09.2011	विद्यमान	वागद कल्याण (आरबी-423)	कपास	गोसिपियम हिस्टर्टम एल.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान
61.	2011 का 72 / 30.09.2011	विद्यमान	बिधान पत-2 (डी-90)	पटसन	कारकोरस कैप्सुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
62.	2011 का 73 / 30.09.2011	विद्यमान	बिधान पत-1 (डी 18)	पटसन	कारकोरस कैप्सुलेरिस एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
63.	2011 का 74 / 21.10.2011	विद्यमान	एमआईएम 601	मक्का	जी.मेज. एल	मोन्सेटो इंडिया लिमिटेड, 5वां तल, आहुरा सेंटर, 96 महाकाली केब्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने की तिथि	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक और पता
64.	2011 का 75 / 21.10.2011	विद्यमान	एमआईएम 101	मक्का	जी.मेज. एल	मोन्सेंटो इंडिया लिमिटेड, 5वां तल, आहुरा सैंटर, 96 महाकाली कैब्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई
65.	2011 का 76 / 21.10.2011	विद्यमान	एमआईएम 611	मक्का	जी.मेज. एल	मोन्सेंटो इंडिया लिमिटेड, 5वां तल, आहुरा सैंटर, 96 महाकाली कैब्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई
66.	2011 का 77 / 21.10.2011	विद्यमान	पीसीबी—164	बाजरा	पैनेसेटम ग्लाउकम (एल.) आरबीआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
67.	2011 का 78 / 21.10.2011	विद्यमान	जवाहर तूर (जेकेएम 189)	अरहर	कैजानस कैजन (एल.) मिलस्प	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
68.	2011 का 79 / 21.10.2011	विद्यमान	पूसा 391 (बीजी 391)	चना	साइसर एरेटेनम (एल.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
69.	2011 का 80 / 21.10.2011	विद्यमान	पूसा चमत्कार (बीजी 1053)	चना	साइसर एरेटेनम (एल.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
70.	2011 का 81 / 21.10.2011	विद्यमान	बुलंद (जेएच— 1805)	मक्का	जी.मेज. (एल.)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
71.	2011 का 82 / 21.10.2011	विद्यमान	पीएचबी 2168	बाजरा	पैनिसेटम ग्लाउकम (एल.) आरबीआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
72.	2011 का 83 / 21.10.2011	विद्यमान	जीएचबी 744	बाजरा	पैनिसेटम ग्लाउकम (एल.) आरबीआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
73.	2011 का 84 / 21.10.2011	विद्यमान	आभार (आरएसजी—807)	चना	साइसर एरेटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
74.	2011 का 85 / 21.10.2011	विद्यमान	अर्पिता (आरएसजी—895)	चना	साइसर एरेटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
75.	2011 का 86 / 21.10.2011	विद्यमान	आभा (आरएसजी 973)	चना	साइसर एरेटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
76.	2011 का 87 / 21.10.2011	विद्यमान	आरएसजी—991 (अर्पण)	चना	साइसर एरेटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
77.	2011 का 88 / 21.10.2011	विद्यमान	आरएसजी— 902 (अरुणा)	चना	साइसर एरेटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
78.	2011 का 89 / 21.10.2011	विद्यमान	अंकुर—09 (डब्ल्यूएचएच—09)	कपास	गोसिपियम हिसुटम एल.	अंकुर सीड़स (प्रा०) लिमि., 27, न्यू कॉटन मार्केट लेआउट, नागपुर
79.	2011 का 90 / 21.10.2011	विद्यमान	उपहार (आरआरएस 1234—12—1) (आईईटी 17318)	चावल	ओराइंजा सेटाइवा एल.	उड़ीसा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, खंडगिरि जिला खुर्द, ओडिशा

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने की तिथि	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक और पता
80.	2011 का 91 / 21.10.2011	विद्यमान	एनसीएस—145, बन्नी (एनसीएच एच—145)	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	निजुबीडू सीड़स लिमिटेड, एनएसएलआईसीओएन, संख्या 8—2—684 / ए, प्लॉट नं 124, बंजारा हिल्स, हैदराबाद
81.	2011 का 92 / 21.10.2011	विद्यमान	जी.कॉट (जी एम—31)	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी— 396450 (गुजरात)
82.	2011 का 93 / 21.10.2011	विद्यमान	जी.कॉट 21	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी— 396450 (गुजरात)
83.	2011 का 94 / 21.10.2011	विद्यमान	केसी—3	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर
84.	2011 का 95 / 21.10.2011	विद्यमान	सीवीपीआर—2 (टीएसएच—289)	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर
85.	2011 का 96 / 21.10.2011	विद्यमान	एसवीपीआर—3	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर
86.	2011 का 97 / 21.10.2011	विद्यमान	एफ 1378	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
87.	2011 का 98 / 21.10.2011	विद्यमान	सीआईसीआर—2 (सीआईएसएसए—2) (जीएमएस आधारित संकर)	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
88.	2011 का 99 / 21.10.2011	विद्यमान	पूसा कम्पोजिट 443 (एमपी 443)	बाजरा	पेनेसेटम र्लाइकम (एल.) आर.बीआर.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
89.	2011 का 100 / 21.10.2011	विद्यमान	बायो— 22027	मक्का	जी.मेज. एल	बायो सीड़स इंडिया (प्रा.लि.), प्लॉट नं 206, रोड नं. 14, जुबली हिल्स, हैदराबाद
90.	2011 का 101 / 21.10.2011	विद्यमान	सीड टैक 747 (सीड टैक 2324)	मक्का	जी.मेज. (एल)	बिस्को बायो साइसेस प्रा. लि. ,सी—39, भरणी काम्लैक्स, मिनिस्टर रोड, सिकंदराबाद
91.	2011 का 102 / 21.10.2011	विद्यमान	जी. कॉट 18	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी— 396450 (गुजरात)
92.	2011 का 103 / 21.10.2011	विद्यमान	जी.कॉट एमडीएच—11 (जीएसजीडीएच—2)	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी— 396450 (गुजरात)
93.	2011 का 104 / 21.10.2011	विद्यमान	जी.कॉट एचवाई—12	कपास	गोसिपियम हिर्स्टम एल.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी— 396450 (गुजरात)
94.	2011 का 105 / 21.10.2011	नई	जे 1126	ज्वार	सॉरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	मायको रेशम भवन, मुम्बई
95.	2011 का 106 / 01.11.2011	विद्यमान	जे 1062	ज्वार	सॉरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	मायको रेशम भवन, मुम्बई

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने की तिथि	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक और पता
96.	2011 का 107 / 01.11.2011	नई	एमआईएम 311	मक्का	जी.मेज. (एल.)	मॉसेंटो इंडिया लिमिटेड, 5वां तल, आहुरा सैंटर, मुम्बई
97.	2011 का 108 / 01.11.2011	नई	एमआईएम 301	मक्का	जी.मेज. (एल.)	मॉसेंटो इंडिया लिमिटेड, 5वां तल, आहुरा सैंटर, मुम्बई
98.	2011 का 109 / 01.11.2011	नई	जेकेएसएच 574	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	जे.के. एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, 1-10-177, चौथा तल, हैदराबाद
99.	2011 का 110 / 01.11.2011	विद्यमान	पूसा वैभव (एल 4147)	मसूर	लैंस क्यूलिनेरिस मैडिक	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
100.	2011 का 111 / 07.12.2011	नई	बी 2114	बाजरा	ऐनेसेटम ग्लाउकम (एल) आरबीआर	मायको, रेशम भवन, मुम्बई
101.	2011 का 112 / 07.12.2011	नई	एमआईएम 502	मक्का	जी.मेज. (एल.)	मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड, 5वां तल, आहुरा सैंटर, मुम्बई
102.	2011 का 113 /	नई	एमआईजे 007 07.12.2011	ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक	देवगन एन.वी., टैक्नोलॉजी पार्क 30, बी, 9052, ज्वीनार्ड, बैल्जियम
103.	2011 का 114 / 07.12.2011	नई	एमआईएम 003	मक्का	जी.मेज. एल.	मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड, 5वां तल, आहुरा सैंटर, मुम्बई
104.	2011 का 115 / 07.12.2011	नई	एचक्यूपीएम-5	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
105.	2011 का 116 / 07.12.2011	नई	एचएम 9	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
106.	2012 का 117 / 27.12.2012	विद्यमान	मालवीय हाइब्रिड मक्का—2	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी की ओर से), कृषि भवन, नई दिल्ली
107.	2012 का 1 / 02.01.2012	विद्यमान	पूसा काबुली 1003 (बीजी 1003)	चना	साइसर एरेटिनम एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
108.	2012 का 2 / 02.01.2012	विद्यमान	अरावली मक्का—1 (ईवी 90)	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
109.	2012 का 3 / 02.01.2012	विद्यमान	जेएम—8	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
110.	2012 का 4 / 02.01.2012	विद्यमान	डीएमएच—1	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
111.	2012 का 5 / 02.01.2012	विद्यमान	जवाहर मक्का—201	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली
112.	2012 का 6 / 02.01.2012	विद्यमान	जवाहर कम्पोजिट मक्का 12 (जेएम 12)	मक्का	जी.मेज. एल.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली

क्र. सं.	पंजीकरण सं./ जारी करने की तिथि	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म का नाम	फसल	प्रजाति	आवेदक और पता
113.	2012 का 7/ 16.01.2012	विद्यमान	एपीके-1	ज्वार	सौरधम बाइकलर (एल) मोयंक	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर
114.	2012 का 8/ 07.03.2012	नई	बी 2124	बाजरा	पैनेसेटम ग्लाउकम (एल.) आर.बीआर	मायको, रेशम भवन, मुम्बई
115.	2012 का 9/ 07.03.2012	नई	एमआईपी 003	बाजरा	पैनेसेटम ग्लाउकम (एल.) आर.बीआर	देवगन, एनवी टैक्नोलॉजी पार्क, 30बी-5052 ज्वीनार्ड, बैल्जियम
116.	2012 का 10/ 07.03.2012	नई	एसवाईएन पीएम 0458	बाजरा	पैनेसेटम ग्लाउकम (एल.) आर.बीआर	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड, शिवाजी नगर, पुणे
117.	2012 का 11/ 07.03.2012	नई	86एम 64	बाजरा	पैनेसेटम ग्लाउकम (एल.) आर.बीआर	पायनियर ओवरसीज कारपोरेशन, भारतीय शाखा कार्यालय, हैदराबाद
118.	2012 का 12/ 07.03.2012	नई	एमआईएम 112	मक्का	जी.सेज. एल.	मोंसेंटो इंडिया लिमिटेड, 5वां तल, आहुरा सैंटर, मुम्बई
119.	2012 का 13/ 07.03.2012	विद्यमान	हाइब्रिड 6444, (एचआरआई-120 आईईटी 16434)	चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.	बायर कॉप साइंस एजी, एल्फेड नोवल, स्ट्रास 50.40789, मोनहेइम, जर्मनी



संक्षिप्तियां

AICRP	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
BAU	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
CAG	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
CBD	जैव-विविधता पर सम्मेलन
CCMB	कोशिकीय एवं आणिक जीवविज्ञान केन्द्र
CFTRI	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
CIMMYT	अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केन्द्र
CIRCOT	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
CSIR	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
DAC	कृषि एवं सहकारिता विभाग
DUS	विशिष्टता, एकरूपता ओर स्थायित्व
EVRC	विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति
GATT	टैरिफ और व्यापार पर महा संधि
GEAC	आनुवंशिकी अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति
IARI	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
IINDUS	डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली
IPGRI	जैवविविधता अंतर्राष्ट्रीय संस्थान
ITPGRFA	खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि
KVK	कृषि विज्ञान केन्द्र
MPUA & T	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
NARS	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली
NASC	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र
NBPGR	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
NCF	राष्ट्रीय किसान आयोग
NGO	गैर सरकारी संगठन
NORV	भारत की अधिसूचित व जारी किस्में
NSAI	नैशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया
OECD	आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए संगठन
PGR	पादप आनुवंशिक संसाधन
PPV&FR	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण

PVIS	पौधा किस्म सूचना प्रणाली
R&D	अनुसंधान एवं विकास
SAU	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
TRIPS	बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू
UPOV	पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय संघ
VCK	सामान्य ज्ञान की किस्म
WIPO	विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन
WTO	विश्व व्यापार संगठन



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
की लखनऊ में 19.10.2012 को आयोजित सत्रहवीं बैठक में
स्वीकृत किया गया (कार्यसूची मद सं. 5)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एनएएससी काम्लैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110 012

www.plantauthority.gov.in

200 Copies